द्वितीय माला, खण्ड २१—अंक ३४

२५ सितम्बर, १९५८ (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha
(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २१ में अंक ३१ से अंक ३५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) | ३ शिलिंग (विदेश में)

218-A LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खंड २१—अंक ३१ से ३५—२२ सितम्बर से २७ सितम्बर १९५८)

पृष्ठ

अंक ३१—सोमवार, २२ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२७ से १४३१, १४३३, १४३६, १४४० और १४४२ से १४५० ... ३६७१–९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३७ से १४३९, १४४१, १४५१ से १४६१ और १४६३ से १४७६ ... ३६९५–३७०७

अतारांकित प्रश्न संख्या २४३७ से २४८४ और २४८६ से २४९९ ... ३७०७–३०

जानकारी का प्रश्न ... ३७३१, ३७३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ३७३१

राज्य-सभा से सन्देश ... ३७३२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ३७३२

याचिका समिति—

चौथा प्रतिवेदन ... ३७३३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल के बीच सीमा रेखा के बारे में ... ३७३३

सभापति तालिका ... ३७३३

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ... ३७३४

केरल की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में ... ३७३४–३८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी सम्भावनाओं के बारे में प्रस्ताव ... ३७३८–९१

दैनिक संक्षेपिका ... ३७९२–९८

अंक ३२—मंगलवार, २३ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७७ से १४८१, १४८३, १४८५, १४८७, १४८८, १४९० से १४९६, १४९८, १५०१ और १५०३ ... ३७९९–३८२४

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२, १४८४, १४८६, १४८६, १४६७, १४६६, १५००, १५०२, १५०४ से १५१७ और १५१६ से १५२१ . . . ३८२४–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या २५०० से २५६६ . . . ३८३४–७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८७८–७६

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . . ३८७६–८१

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . . ३८८१–६०

तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का स्पष्टीकरण . . . ३८६०–६१

वर्ष १६५८–५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . . ३८६१–३६२०

कोयले के निर्यात के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . . ३६२०–२५

दैनिक संक्षेपिका ३६२६–३२

अंक ३३—बुधवार, २४ सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५२२ से १५२६, १५३१ से १५३४, १५३६, १५३८ और १५४१ से १५४५ . . . ३६३३–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३०, १५३५, १५३७, १५३६, १५४०, १५४६ से १५५७, १५५७-क, १५५८, १५५६, १५५६-क, १५५६-ख, १५६० से १५६३ और १५६३-क . . ३६५६–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या २६०१ से २७११, २७१३, २७१५ से २७३५, २७३७ से २७४१, २७४१-क और २७४१-ख . . ३६७५–४०३६

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में . . ४०३७–३८

विशेषाधिकार के प्रस्ताव के सम्बन्ध में . . ४०३८–३६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४०३६–४०

सदस्य की गिरफ्तारी . . . ४०४०

याचिका समिति—

कार्यवाही सारांश ४०४१

राज्य-सभा से सन्देश . . ४०४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मोती बाग में कुछ मकानों आदि के गिराये जाने के कारण अनसूचित जाति के लोगों को हुई कठिनाई . . ४०४१–४३

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ पर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का स्पष्टीकरण ४०४२

सभा का कार्य ४०४२–४३

वर्ष १९५८–५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांग ४०४३—४५

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—— ४०४५——७२
खण्ड २, ३, ४ और १ तथा अनुसूची ४०६६——७०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४०७०——७२

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक——
विचार करने का प्रस्ताव ४०७२——७७

स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य के दमन के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४०७७——८१

दैनिक संक्षेपिका ४०८२——९१

अंक ३४—गुरुवार, २५ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १५८४ से १५८७, १५८३, १५८८ से १५९०, १५९२ से १५९६, १५९८ और १६०० ४०९३——४११४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ और १६ ४११५——१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——
तारांकित प्रश्न संख्या १५९१, १५९३, १५९९, १६०१ से १६०६, १६०६-क, १६०७ से १६१७, १६१७-क, १६१८ से १६३२, १६३४ से १६३६, १६३६-क, १६३७, १६३७-क और १६३८ से १६४३ ४११८——३९
अतारांकित प्रश्न संख्या २७४२ से २७५०, २७५२ से २८५४, २८५६ से २८६६ और २८६६-क ४१३९——९०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४१९०–९१

सदस्य की गिरफ्तारी ४१९१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——
अठाइसवां प्रतिवेदन ४१९१

प्राक्कलन समिति——
छब्बीसवां प्रतिवेदन ४१९१

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति——
नवां प्रतिवेदन ४१९२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——
शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड के बन्द हो जाने से देश में वस्त्र उत्पादन में कमी ४१९२

भारत एलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य——
सभा पटल पर रखा गया ४१९३

	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ७६४ के उत्तर की शुद्धि	४१९४
विनियोग (संख्या ४) विधेयक—	
पुरःस्थापित	४१९४
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव	४१९४–९५
सभा का कार्य	४१९५,४२२२
उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक —	
विचार करने का स्ताव	४१९५–४२२२
खण्ड २ से २५, अनुसूची और खण्ड १	४२१३–२२
पारित करने का प्रस्ताव	४२२२
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	४२२२–३१
दैनिक संक्षेपिका	४२३२–४०
अंक ३५—शनिवार, २७ सितम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४३-क, १६४४ से १६४६, १६५१, १६५२,१६५५, १६५७ से १६६०, १६६४ और १६६५	४२४१–६५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ से २०	४२६५–७५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६६१ से १६६३, १६६६ से १६९२, १६९२-क, और १६९३ से १६९८	४२७५–९०
अतारांकित प्रश्न संख्या २८७० से २९९० और २९९२ से ३०२५	४२९०–४३६३
स्थगन प्रस्ताव—	
भारतीय पुलिस पर पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा गोली चलाना	४३६४–६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४३६५–६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौबीसवीं से उन्तीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश	४३६६
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
आठवीं तथा नवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश	४३६६
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
आठवीं तथा नवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश	४३६७

पृष्ठ

सदस्य की गिरफ्तारी . ४३६७–६८

सदस्यों को संज्ञा . . . . ४३६८—४४०१

विशेषाधिकार समिति—

चौथा तथा पांचवां प्रतिवेदन . . ४३६८

प्राक्कलन समिति . . . .

सत्ताइसवां तथा अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . ४३६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

१. अम्बाला में अवैध हथियारों का पकड़ा जाना . ४३६६—७०

२. कपड़ा जांच समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही . ४३७०—७१

अनुपस्थिति की अनुमति . . ४३७१

तारांकित प्रश्न संख्या ७६६ के उत्तर की शुद्धि ४३७१—७२

विशेषाधिकार प्रस्ताव—

केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य ४३७२—८५

विधेयक—पुरःस्थापित—

१. भारतीय विद्युत् (संशोधन) विधेयक . ४३८५–८६

२. संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक। ४३८६

३. चाय (सीमा शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक। ४४०४

जानकारी का प्रश्न ४३८६–८७

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों के रूपभेद के सम्बन्ध में प्रस्ताव ४३८७—९०

रेल यात्रा में जीवन की असुरक्षा के बारे में . . ४३९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन ४३९१

उड़ीसा मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़ों का निर्णय करने के लिए आयोग के बारे में संकल्प . . . ४३९२—४४०१

बेरोजगारी की समस्या की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने के बारे में संकल्प . . . ४४०१—०३

अमेरिका को रूई के संभरण के सम्बन्ध में आधे घण्टे की चर्चा ४४०५—०९

दैनिक संक्षेपिका . ४४१०—२१

पांचवें सत्र का कार्यवाही सारांश ४४२२–२४

नोटः—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, २५ सितम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गोआ जेल में श्रीमती जोशी

†*१५८४. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने श्रीमती सुधा जोशी को, जो कि १९५४ से गोआ जेल में है, वहां से छुड़वाने के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की है और भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : राजनयिक सूत्रों के द्वारा श्रीमती सुधा जोशी की रिहाई के प्रश्न को उठाया गया था। उनकी भारतीय राष्ट्रीयता सिद्ध करने के लिये उनके और उनके पति, श्री महादेव शास्त्री जोशी, के राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र पुर्तगाली प्राधिकारियों के पास पुनः भेज दिये गये हैं। हमें आशा है कि पुर्तगाली प्राधिकारी उन्हें शीघ्र ही रिहा कर देंगे।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : वहां पर श्रीमती जोशी के अतिरिक्त और कितने भारतीय बन्दी हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : तीन और हैं।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या सरकार ने इस प्रश्न के संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाये जाने के औचित्य पर विचार किया है ; यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं नहीं समझती कि सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय किया है।

†**श्री गोरे** : क्या यह सच है कि मिस्र के राजदूतावास के कुछ एक प्राधिकारी शीघ्र ही इन बन्दियों से मिलने के लिये वहां जा रहे हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी हां, यह सच है।

†**श्री गोरे** : क्या उनसे यह कह दिया गया है कि वे वहां की सरकार से यह अनुरोध करें कि वे श्री रानाडे को अधिक सुविधायें दें जिन्हें कि वहां पर २८ वर्षों की सजा दी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं यह तो ठीक प्रकार से नहीं जानती कि उन्हें क्या क्या हिदायतें दी गयी है। मेरा ख्याल है कि वे भारतीय बन्दियों की दशा का निरीक्षण करेंगे और उनके हितों के संबंध में विचार करेंगे।

†**श्री आसर** : क्या यह सच है कि पुर्तगाली प्राधिकारी श्रीमती जोशी को आधार पर नहीं छोड़ना चाहते कि उनके मतानुसार वह गोआ की राष्ट्रजन है ; यदि हां, तो क्या सरकार वहां के प्राधिकारियों को चेतावनी देगी कि भारतीयों और गोआ निवासियों में भेद करना व्यर्थ है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी हां, यह सच है कि पुर्तगाली प्राधिकारियों ने श्रीमती जोशी को इस आधार पर छोड़ने से इनकार कर दिया गया था कि वे भारतीय राष्ट्रजन नहीं हैं। इसी लिये तो हमने श्रीमती जोशी के राष्ट्रीयता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये थे। इस पर उन्होंने यह कहा कि जब तक यह सिद्ध न हो जाये कि उनके पति श्री जोशी भी विवाह के समय भारतीय राष्ट्रजन थे, तब तक उन्हें रिहा नहीं किया जायेगा। अब हमने उनके पति की राष्ट्रीयता का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : इस समय गोआ की जेल में कितने भारतीय हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैंने अभी अभी तो इसका उत्तर दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा ख्याल है तीन भारतीय।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेन** : श्रीमती जोशी के अतिरिक्त तीन और भारतीय।

†**श्री गोरे** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि श्री रानाडे को २८ वर्ष कैद की सजा दी गयी है, क्या सरकार मिस्र के राजदूतावास के उस पदाधिकारी को यह हिदायत दे दें कि वे पुर्तगाली सरकार से उनके संबंध में बात करें ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं उस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

†**श्री आसर** : क्या सरकार को ज्ञात है कि जुलाई मास के आखिरी सप्ताह में समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि श्रीमती जोशी को ६ जुलाई को रिहा कर दिया गया था कि यदि हां तो क्या सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि यह गलत खबर क्यों फैलाई गई थी और क्या इसमें पुर्तगाली प्राधिकारियों का भी कोई हाथ था ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मुझे यह नहीं पता है कि यह गलत खबर कैसे फैलाई गई थी। यह सच है कि समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुई थी। बाद में हमने उसकी जांच की थी और हमें यह ज्ञात हुआ कि यह खबर गलत थी।

कपड़े की कीमतें

+

†*१५८५. { **श्री श्रीनारायण दास** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में भारत की कपड़े की मुख्य मुख्य मंडियों में कीमतों का रूख कैसा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि कीमतों में निरन्तर कमी हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) मुख्य मुख्य मंडियों में कीमतें लगभग स्थिर ही रही हैं, बहुत थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ था ।

(ख) और (ग)। प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री श्रीनारायण दास:** इस समय की कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में कैसी हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: इस वर्ष मोटे, मध्यम, महीन और अत्याधिक महीन कपड़ों की औसत कीमतें गत वर्ष की कीमतों की तुलना में कम हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है कि उत्पादन शुल्कों में कमी होने पर भी कीमतों में कमी क्यों नहीं हुई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र:** उत्पादन शुल्कों को फिर से वैसा ही कर दिया गया है । हां, कुछ एक वस्तुओं में रियायत दी गयी है । महीन और अत्यधिक महीन कपड़ों की कीमत में थोड़ी सी कमी हुई है । परन्तु मोटे और मध्यम प्रकार के कपड़े में लगभग कोई भी कमी नहीं हुई है ।

†**श्री रंगा:** क्या हथकरघा बोर्ड तथा हथकरघा बुनकरों की कुछ संस्थाओं ने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं किया है कि हाथ द्वारा बुने हुये कपड़े की कीमतें बहुत गिर गयी हैं और इस प्रकार से बहुत सा कपड़ा इकट्ठा हो गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी, हां । हथकरघा कपड़े का उत्पादन तो बढ़ गया है, परन्तु उसकी बिक्री इतनी अधिक बढ़ी नहीं है । आशा है कि दशहरा, दुर्गापूजा और दीवाली के दिनों में इसकी बिक्री बढ़ जायेगी ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या उत्पादन शुल्क को पुनः वही रूप दे देने के परिणाम स्वरूप, इस कपड़े का उत्पादन देश की मांग और विदेशों में मांग के अनुसार ही किया जायेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : उत्पादन शुल्क के इन परिवर्तनों का उत्पादन पर भी कुछ प्रभाव पड़ा है । मोटे कपड़े के निर्माताओं में अब यह प्रवृत्ति दिखाई दे रही है कि वे मो े कपड़े की अपेक्षा अब मध्यम कपड़े का निर्माण करना चाहते हैं क्योंकि उसके लिये अब अधिक मांग है ।

†**श्री जाधव:** क्या शक्ति चालित करघों से तैयार किये गये कपड़ों का मिलों द्वारा विधायन[1] करने की अनुमति नहीं दी जाती ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं नहीं कह सकता शक्ति चालित करघे स्वयं ही छोटी मिलों के समान हैं ।

†**श्री जाधव:** मेरा तात्पर्य विधान से है ?

†**श्री सतीश चन्द्र:** मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है । परन्तु मेरा विचार है कि उसके किसी मिल में विधायन करने पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Processing,

श्री रा० क० वर्मा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मिल-मालिक कपड़े की जात में हलके रीड और पीक चला उसको हल्की बना कर सस्ता बेचने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: अगर ऐसी कोई शिकायत आयेगी, तो उसकी तहकीकात की जायेगी।

श्री रा० क० वर्मा : क्या माननीय मंत्री ने टेक्स्टाइल एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को देखा है, जिसमें साफ बताया गया है कि मिल-मालिक कपड़े की जात में हलके रीड और पीक चला कर उसको हलकी बना कर सस्ता बेचने की कोशिश करते हैं ?

श्री ब्रजराज सिंह : उन्होंने पढ़ी नहीं है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : रिपोर्ट में अगर कहा गया है, तो उन्होंने उपाय भी बताया है और जो उपाय उन्होंने बताया है, उसके अनुसार कार्यवाही करने की कोशिश की जायेगी।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** लगभग ३० मिलें, जो कि उत्पादन शुल्क में रियायत प्राप्त करने से पहले ही बन्द हो गयी थीं, अभी भी बन्द हैं। सरकार केवल शोलापुर मिल को ही चला रही है। क्या सरकार इसी प्रकार से अन्य मिलों को भी चलाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** बन्द हुई मिलों को फिर से चालू करने के लिये कई बातों पर विचार करना पड़ेगा। प्रत्येक मिल की अपनी अपनी स्थिति है। सभी के अलग अलग कारण हैं। हम निश्चय ही उनके कारणों पर विचार करेंगे और कपड़ा जांच समिति की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुये हम यथासंभव अधिक से अधिक प्रयत्न करेंगे।

प्रशासन का विकेन्द्रीकरण

*†१५८६. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री रामी रेड्डी :
श्री केशव :

क्या **योजना** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) किन-किन राज्यों ने सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा में प्रशासन के प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के लिये स्थापित किये गये अध्ययन मंडल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) किन-किन राज्यों ने उन सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) राज्य सरकारों ने उक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७७]**

†**श्री राम कृष्ण** : विवरण से यह ज्ञात होता है कि बहुत से राज्य प्रशासन के प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के लिये विधेयक तैयार कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या केन्द्रीय सरकार इस संबंध में कार्य को गति देने के लिये और सभी राज्य सरकारों का पथ प्रदर्शन करने के लिये कोई आदर्श विधेयक तैयार करने का विचार रखती है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : हमारा वास्तविक उद्देश्य यही है कि सभी राज्य अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार विधेयक तैयार करें।

†**श्री राम कृष्ण** : किन किन राज्यों ने इन संस्थाओं के लिये किसी गैर-सरकारी सभापति को नियुक्त करना स्वीकार कर लिया है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर सभा कई बार विचार कर चुकी है। योजना आयोग का विचार यह है कि इस बात पर विचार करना राज्य सरकारों का काम है कि सभापति के रूप में गैर-सरकारी व्यक्ति को नियुक्त किया जाये या कि सरकारी व्यक्ति को।

†**श्री शिवनंजप्पा** : उत्तर में ताल्लुका परामर्श समितियों तथा जिला परामर्श समितियों के विधानों की चर्चा की गई। इस प्रशासनीय व्यवस्था में पंचायतों की क्या स्थिति होगी ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : ंचायतें ही तो वास्तव में उस ढांचे का आधार है ?

†**श्री बासप्पा** : सरकार पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : यह प्रश्न मूल प्रश्न से बिल्कुल भिन्न है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : माननीय उपमंत्री ने यह बताया है कि सभापति की नियुक्ति का प्रश्न राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। क्या योजना आयोग ने स्वयं इस प्रकार का सुझाव दिया था ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैंने योजना आयोग का विचार तो पहले ही बता दिया है। इस बात का निर्णय करना राज्य सरकारों का काम है कि क्या किसी सरकारी व्यक्ति को सभापति के रूप में नियुक्त किया जाये अथवा किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से यह ज्ञात होता है कि मद्रास राज्य ने जिला बोर्ड समाप्त कर दिये हैं, और विधान मंडल में एक और ंचायत विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। क्या यह विधेयक अब विधि बन गया है और उसमें बलवन्त मेहता समिति की सिफारिशों का अनुसरण किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** मद्रास विधान मंडल के सामने दो वि`यक थे। एक विधेयक तो पास हो गया है और दूसरा अभी तक विचाराधीन है। जहां तक मेहता समिति के प्रतिवेदन के सिद्धांत का संबंध है, उसे मद्रास सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उस दिशा में संतोषजनक प्रगति हो रही है।

†**श्री तंगामणि :** मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या १५८७ और १६३३ को इकट्ठा ले लिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** जी, हां।

लंका में भारतीय राष्ट्रजन

†*१५८७. { **श्री राम गरीब :**
श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ अगस्त, १९५८ को लंका में रहने वाले कितने भारतीय राष्ट्रजनों को लंका सरकार से नागरिकता के अधिकार प्राप्त हो चुके थे ;

(ख) इस समय आवेदन पत्र रजिस्ट्रेशन के कितने लम्बित हैं ;

(ग) ऐसे कितने राज्य विहीन व्यक्ति हैं जिन्होंने लंका स्थित भारतीय उच्चायोग से भारत आने की इच्छा प्रकट की है ; और

(घ) उनमें से कितने व्यक्तियों को भारत आने की अनुमति दी गयी है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जून १९५८ के अन्त तक ९४,८२४ व्यक्ति। उसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) ९,६७३ आवेदन-पत्र जिनमें ३१,८३६ व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन किया गया है।

(ग) और (घ). भारत सरकार के मतानुसार इस प्रकार के राज्य विहीन लोगों को बसाने की जिम्मेवारी लंका सरकार की है। अतः उनके भारत आने की अनुमति देने का काम लंका सरकार का है।

लंका से स्वदेश वापिस आने वाले भारतीय

+

†*१६३३. { **श्री तंगामणि :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बता` की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक कितने भारतीय लंका से भारत वापिस आ गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति मद्रास राज्य में बस गये हैं, और

(ग) उन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी सहायता दी है !

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) १९५४ और ३० जून १९५८ के दौरान ६३,८५२ व्यक्ति।

(ख) मद्रस सरकार की यह रिपोर्ट है कि अक्तूबर १९५४ से अगस्त, १९५८ तक की अवधि में मद्रास राज्य में ४४,९७१ व्यक्ति बसे थे।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। भारतीय सीमाशुल्क विभाग मे उनकी आस्तियों को लंका से भारत लाने के सम्बन्ध में पहले ही बड़ी उदारता से काम लिया है।

†**श्री तंगामणि** : क्या केन्द्रीय सरकार को इन व्यक्तियों को सहायता देने के संबंध में मद्रास सरकार से कोई प्रस्थापना प्राप्त हुई है ; और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री सादत अली खां** : जी, हां। मद्रास सरकार ने मई, १९५७ में मद्रास राज्य में बसे हुये उन व्यक्तियों की स्थिति का निरीक्षण करने के लिये एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया था। इस विशेष पदाधिकारी की आपत्तियों की वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने अच्छी प्रकार से जांच की है, और उसके ये परिणाम निकले हैं :

(१) वापिस आने वाले सभी व्यक्ति अपने अपने मूल घरों में वापिस आ गये हैं ;

(२) उन्हें अपनी सभी वस्तुओं और कमाई को भारत में लाने की पूरी सुविधा दी गयी है ;

(३) उनके साथ भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने बड़ी उदारतापूर्ण बर्ताव किया है। इसीलिये यह अनुभव किया गया था कि लंका से आने वाले लोगों को कोई विशेष सहायता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मद्रास सरकार ने कुछ एक सुझाव भेजे थे, परन्तु उपरोक्त कारणों से ही हम उन्हें स्वीकार न कर सके।

†**श्री राम कृष्ण** : देश के अन्य भागों में कितने व्यक्ति बसे हैं ?

†**श्री सादत अली खां** : मेरे पास इस समय यह जानकारी नहीं है।

†**श्री सिंहासन सिंह** : लंका से आने वाले उन व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों के भारत में अपने घर और जमीनें थीं और कितने प्रतिशत व्यक्ति घर तथा भूमि विहीन थे ?

†**श्री सादत अली खां** : इसका ठीक ठीक उत्तर देना तो कठिन है, परन्तु मैं समझता हूं कि लगभग सभी लोगों के भारत में अपने घर और जमीनें थीं।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या लंका में हाल ही में भारतीय व्यापारियों की दुकानों के लुट जाने और फिर मुकदमों आदि के संबंध में भारत सरकार और लंका सरकार में कोई बात चीत हुई है और क्या पीड़ित व्यक्तियों को कोई सहायता दी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खां :** लंका स्थित हमारे उक्त आयुक्त इस मामले की जांच कर रहे हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** उन १०,००० तामिल व्यक्तियों में, कितने व्यक्ति भारत वापिस आ गये हैं, जिसको वहां के दंगों के परिणाम स्वरूप कोलम्बों की पुलिस चौकियों में शरण प्राप्त करने के लिये बाध्य किया गया था और जिन्होंने भारत लौटने की इच्छा व्यक्त की थी और माननीय मंत्री ने अभी जो संख्या बतायी है उनमें ऐसे कितने व्यक्ति सम्मिलित हैं ?

†**श्री सादत अली खां :** इसके लिये मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री तंगामणि :** क्या मद्रास सरकार द्वारा की गई सिफारिशों में एक यह नहीं है कि जो लोग लंका से आये हैं उन्हें रेलवे व डाक विभाग में नौकरी के मामले में कुछ रियायत दी जाये और लंका को निर्यात करने के लिये भी कुछ सुविधायें दी जायें ?

†**श्री सादत अली खां :** जी हां ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** दक्षिण में विशेष कर मद्रास राज्य में इस बारे में व्याप्त अत्यधिक आवेश को ध्यान में रखते हुये सरकार अपने उच्चायुक्त के परामर्श से इस मामले पर शीघ्रता से विचार करने और उन्हें आवश्यक सहायता देने के बारे में क्या क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री सादत अली खां :** यदि माननीय सदस्य भारत आने वाले उन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान किये जाँने की चर्चा कर रहे हैं, तो उसका उत्तर यही है कि इस कार्य में संतोष-जनक प्रगति हो रही है । यदि आप अनुमति दे तो मैं इसे पढ़ कर सुना सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि बहुत बड़ा न हो तो आप पढ़ कर सुना सकते हैं ।

†**श्री सादत अली खां :** सब से पहले भारतीय तथा पाकिस्तानी निवासी (नागरिकता) अधिनियम के अधीन लंका की नागरिकता के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों का निर्णय करने में निम्न-लिखित प्रगति हुई है :—

४–८–५१ तक लंका में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को लंका की नागरिकता प्रदान करने के लिये २,३७,९३४ आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे । उनमें से लंका सरकार ने अभी तक २१,१२७ आवेदन पत्र स्वीकार किये हैं जिनमें ९४,८२४ व्यक्तियों को नागरिक माना गया है । ७,३९२ आवेदन पत्र वापिस ले लिये गये थे । फिर जून, १९५८ तक २,२७,३६१ आवेदन पत्रों का निर्णय कर दिया गया था जिनमें ८,०६,३१६ को नागरिकता प्रदान करने का प्रश्न था । इस समय केवल ९,६७३ आवेदन पत्र रहते हैं ।

यह तो बात हुई लंका की नागरिकता की । जून १९५८ के अन्त तक भारतीय उच्चायुक्त के पास भारतीय नागरिकता के लिये २१,२९५ के आवेदन पत्र पहुंचे थे । हमारे उचायुक्त केवल उन्हीं लोगों को वापिसी के प्रमाण पत्र देते हैं जोकि भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड हों अथवा जिनके पास भारत यात्रा के प्रमाण पत्र हों ।

†**श्री सुब्बया अम्बलम् :** क्या मद्रास सरकार ने यह भी सिफारिश की है कि उन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिये उस क्षेत्र में लघु उद्योग प्रारम्भ किये जायें ?

†**श्री सादत अली खां :** मद्रास सरकार ने तो कई सिफारिशें भेजी थीं, परन्तु उक्त कारणों से हम उन्हें स्वीकार न कर सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री थानू पिल्ले : भारतीय उच्चायोग को जिन लोगों ने आवेदन-पत्र भेजे थे, उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें पहले लंका की नागरिकता प्राप्त हो गई थी, परन्तु उन्होंने फिर भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन किया ।

†श्री सादत अली खां : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†श्री रंगा : क्या सरकार ने इन लोगों को भी पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थियों के समान ही सहायता देने की आवश्यकता पर विचार किया है ; और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले पर शीघ्र ही विचार करेगी ?

†श्री सादत अली खां : मैंने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया है । मैं ठीक प्रकार से नहीं जानता कि इन व्यक्तियों को किस प्रकार की सहायता दी गयी है । मैं इस बारे में जांच करूंगा ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : हाल ही में लंका के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि उन सभी लोगों को, जो कि लंका की नागरिकता के लिये प्रार्थना करें, नागरिकता प्रदान कर दी जानी चाहिये, परन्तु फिर भी ये आवेदन अनियमित अवस्था में पड़े हैं । क्या इस संबंध में भारत के प्रधान मंत्री ने लंका के प्रधान मंत्री को कोई पत्र लिखा है ?

†श्री सादत अली खां : उसके लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

नागा विद्रोही

†*१५८८. { श्री पाणिग्रही :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ फरवरी से ३१ अगस्त, १९५८ तक कितने नागा विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया ;

(ख) उक्त अवधि में कितने नागा कैदियों को रिहा किया गया ; और

(ग) उन्होंने कितने हथियार सरकार के हवाले किये हैं ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) : (क) ८५६ ।

(ख) ३३ ।

(ग) ६४ ।

†श्री पाणिग्रही : जब विद्रोह प्रारम्भ हुआ था उस समय कितने विद्रोही थे और इस समय उनकी कितनी संख्या है ?

†श्री जो० ना० हजारिका : हमें यह तो ज्ञात नहीं है कि प्रारम्भ में नागा विद्रोहियों की कितनी संख्या थी, परन्तु इस समय उनकी संख्या काफी कम हो गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही :** क्या राजभक्त नागाओं के किसी प्रतिनिधि-मण्डल को नागा विद्रोहियों के पास भेज कर उन उपद्रवी लोगों से सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रयत्न किया गया है, और क्या यह भी सच है कि १६ नागाओं का जो प्रतिनिधि-मण्डल नागा विद्रोहियों से बातचीत करने गया था, वह अपनी रिपोर्ट देने के लिये सरकार के पास वापिस नहीं आया है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** मैं नहीं जानता कि यह प्रश्न यहां कैसे उत्पन्न होता है। पर हां नागा सम्मेलन की प्रवर समिति द्वारा नियुक्त एक सम्पर्क समिति है। सम्पर्क समिति पहले ही नागा विद्रोहियों से मिल चुकी है। और उसने हमें वर्तमान स्थिति से अवगत कराया है।

†**श्री भक्त दर्शन :** इस समाचार में कहां तक सत्यता है कि जिन नागा कैदियों को रिहा किया गया था, क्षमादान दिया गया था जिन्होंने आत्म समर्पण, किया वे फिर जा कर विद्रोहियों से मिल गये हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** जी, नहीं; जिन्होंने आत्म समर्पण किया था वे वापिस नहीं गये हैं। लगभग १००० व्यक्ति विद्रोहियों से अलग हुए हैं और वे वापिस नहीं गये हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** ऐसे कितने नागा विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया है जोकि कछार—पूर्वी पाकिस्तान की सीमा—को लांघ कर फिजों से मिलने गये थे ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** इसका ठीक ठीक उत्तर देने के लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

†**श्री बसुमतारी :** सम्पर्क समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** नागा सम्मेलन के प्रधान डा० इमकांग लिवो आओ उस सम्पर्क समिति के भी प्रधान हैं। अन्य सदस्यों के नाम मुझे ज्ञात नहीं है।

उद्योगों के लिये कच्चा सामान

†*१५८९. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० च० सामन्त : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय निर्माता संघ के प्रतिनिधियों ने मई १९५८ में उन से भेंट की थी और उन से यह अभिवेदन किया था कि उद्योगों के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकार के कच्चे सामान की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९५८-५९ में देश के उद्योगों के विकास के लिये कच्चे सामान जैसे इस्पात, कच्चे लोहे और अलौह धातुओं की कुल कितनी आवश्यकता होगी ; और

(घ) सरकार इन मांगों को किस प्रकार से पूरा करने का विचार रखती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ). सभापटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी निहित है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७८**]

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : अगस्त १९५८ के अंत में निर्यात संवर्धन मंत्रणा परिषद् तथा आयात संवर्धन मंत्रणा परिषद् की बैठक हुई थी। क्या सरकार ने इन परिषदों में से किसी परिषद को उक्त अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में लिखा था ; और यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : निर्यात संवर्द्धन तथा आयात संवर्द्धन मंत्रणा परिषदें अन्य पार्टियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं करतीं। ये परिषदें तो परामर्शदात्री निकाय हैं जोकि आयात-कर्ताओं तथा निर्यात-कर्ताओं के सम्मुख उपस्थित सभी समस्याओं पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से बातचीत करते हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार आयात नीति की इस प्रकार से पुनर्व्यवस्था करने के संबंध में पुनः विचार कर रही है जिस से कच्चे सामान की कमी के कारण आयात की जाने वाली वस्तुओं का भारत में ही निर्माण करने वाली फैक्टरियों को कोई नुकसान न हो ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस मामले पर निरन्तर विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में प्रयत्न किए जा रहे हैं कि उपलब्ध विदेशी मुद्रा की राशि के अनुसार ही कच्चे सामान का आयात किया जा सके।

†**श्री स० च० सामन्त** : जहां तक छोटे उद्योगों के लिए इस्पात का सम्बन्ध है, क्या १९५७-५८ के लिए आवश्यक इस्पात उपलब्ध हो गया था; यदि हां तो पश्चिमी बंगाल को केवल ६००० टन इस्पात ही क्यों दिया गया था जब कि उसकी मांग ४४,००० टन की थी और उसे उस किस्म का इस्पात क्यों दिया गया जो उसने नहीं मांगा था ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह सच है कि विभिन्न राज्यों द्वारा मांगी गई इस्पात की पूरी पूरी मात्रा सम्भरित नहीं की जा सकी थी, परन्तु छोटे उद्योगों के लिए इस्पात का आवण्टन अब निरन्तर बढ़ाया जा रहा है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब कि उस किस्म का इस्पात उपलब्ध नहीं था जो कि बंगाल ने मांगा था तो फिर उसे ऐसा इस्पात क्यों भेजा गया था जिसकी उसे आवश्यकता ही न थी और वह भी ऊंचे दर पर ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं नहीं जानता कि क्या बंगाल को अनावश्यक इस्पात दिया गया है, परन्तु अब तो छोटे उद्योगों के लिए इस्पात का आवण्टन निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इस चालू अनुज्ञापन अवधि में छोटे उद्योगों के लिए किया गया आवण्टन पिछले छः महीनों में किये गए आवण्टन से अधिक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : विवरण से ज्ञात होता है कि कुछ एक उद्योगों में कुछ रियायत दी गई है । में यह जानना चाहता हूं कि किन किन उद्योगों में आयात सम्बन्धी कुछ रियायतें अथवा छूट दी गई है ?

†श्री सतीश चन्द्र : किसी भी अनुसूचित उद्योग के सम्बन्ध में जब इस्पात की कमी का अनुभव किया जाता है और यह महसूस किया जाता है कि उस के उत्पादन के कम हो जाने का भय है तो उसके लिए इस्पात का विशेष कोटा देने का प्रयत्न किया जाता है ।

†श्री वें० प० नायर : विवरण से ज्ञात होता है कि उद्योगों के लिए कच्चे सामान के आयात के लिए निर्यात संवर्द्धन योजनाएं बनाने की विशेष व्यवस्था की गई है । क्या यह सच है कि इस प्रकार की रियायतें भावी निर्यात-वस्तुओं के लिए भी दी गई हैं. और यदि हां, तो इन भावी निर्यात कर्त्ताओं से क्या क्या गारंटी ली गई है और वे उस गारंटी को कैसे पूरा करेंगे ।

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : हो सकता है कि जैसा माननीय सदस्य ने बताया है उस प्रकार से कुछ एक उद्योगों के सम्बन्ध में किया गया हो, परन्तु ऐसे उद्योग बहुत कम हैं । हम आयात और निर्यात में सम्बन्ध स्थापित करने वाली इस योजना पर अच्छी प्रकार से विचार कर रहे हैं और आशा है कि इस बारे में हम शीघ्र ही निर्णय कर देंगे, यह निर्णय प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग होगा ।

†श्री वें० प० नायर : क्या यह सच है कि निर्यात तथा आयात संवर्द्धन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति में अस्पष्टता के कारण इसका अनुचित लाभ उठाया जा रहा है और सरकार केवल इस जानकारी पर कि फर्में लाखों पये की वस्तुओं का निर्यात कर रही हैं, उन्हें आयात के लिए लाईसेंस दे देती हैं ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : यदि माननीय सदस्य कोई विशेष मामले प्रस्तुत करें तो मैं उनका बड़ा आभारी हूंगा ।

†श्री वें० प० नायर : वह तो मैं पहले ही बता चुका हूं ।

†श्री रंगा : क्या कृषि उद्योगों के लिये भी लोहे तथा इस्पात के संभरण की ओर उतना ही ध्यान दिया जा रहा है जितना कि छोटे उद्योगों के लिए ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : इस बारे में शिफ़ारिशें करना तो खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का काम है, और हाल ही में खाद्य तथा कृषि मंत्री ने कृषि के ।वकास लिये कुछ एक वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में मुझ से बातचीत की थी । मैं ने उन्हें बताया था कि हम इस पर अच्छी प्रकार से विचार करेंगे ।

†श्री विमल घोष : अब जब कि सरकार ने विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सहायता देने के बारे में पक्का फैसला कर लिया है, क्या यह संभव नहीं है कि सरकार यह स्पष्टतया बता सके कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की शेष अवधि में उद्योगों के लिए कितना कच्चा सामान दिया जा सकेगा ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक इस अनुज्ञापन अवधि का संबंध है, इस बारे में बताना संभव नहीं; हमें अभी तक यह ज्ञात नहीं कि बाहर से हमें कितनी सहायता अथवा ऋण मिलेगा परन्तु आशा है कि अगले कुछ एक महीनों में स्थिति पूर्णतया स्पष्ट हो जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच है कि जब सरकार राज्यों द्वारा मांगा गया विशेष कच्चा सामान संभरित नहीं कर सकती तो वह अन्य प्रकार की वस्तुएं अधिक मात्रा में भेज देती है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं माननीय सदस्य को सूचित कर देना चाहता हूं कि हम राज्य सरकारों को अनावश्यक इस्पात सम्भरित नहीं करना चाहते, परन्तु जब मांगे गये इस्पात की अत्याधिक कमी हो जाती है तो हमें कभी कभी दूसरे प्रकार का इस्पात सम्भरित करना पड़ जाता है । उदाहरणार्थ, इस देश में जो रूसी इस्पात आया है उसे विभिन्न राज्य सरकारों को सम्भरित करना पड़ गया था, इसे अपनी इच्छानुसार तैयार किया जा सकता है । अतः वर्तमान कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस इस्पात का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों अथवा उद्योगों को विशेष प्रयत्न करना पड़ता है ।

सूती वस्त्र उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

*१५९०. { **श्री पद्म देव** :
श्री वाजपेयी :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १६ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड ने इस बीच क्या प्रगति की है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : बोर्ड ने अब तक बम्बई, कानपुर, दिल्ली, अहमदाबाद और कलकत्ता में सम्बन्धित पक्षों के बयान लिये हैं । देश के दूसरे कपड़ा उद्योग केन्द्रों में भी बोर्ड जायगा ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री पद्म देव : क्या माननीय मंत्री यह बतला सकेंगे कि यह काम कब तक ख़त्म हो जायगा ?

श्री आबिद अली : अभी यह कहना मुश्किल होगा कि क्योंकि बहुत सी जगहों पर बोर्ड को जाना है और संबंधित पक्षों से बातचीत करनी है । उसके बाद वह उस पर विचार करेगा और फिर अपनी रिपोर्ट बनायेगा । अभी उसका अंदाज़ा देना मुश्किल है ।

†**श्री तंगामणि** : श्री जीजी भाई की अध्यक्षता में यह वस्त्र मजूरी बोर्ड दो वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था । क्या सरकार हमें यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इसकी रिपोर्ट इस वर्ष के समाप्त होने से पहले हमें प्राप्त हो जाएगी ?

†**श्री आबिद अली** : यह बोर्ड दो वर्ष पूर्व नियुक्त नहीं किया गया था, यह ो ३० मार्च, १९५७ को नियुक्त किया गया था । जैसा कि मैंने अभी बताया है कि इस समय यह कहना क न है कि इस. बोर्ड की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी क्योंकि अभी बहुत सा काम करना बाकी है । इस बोर्ड में मजदूरों तथा मालिकों दोनों के प्रतिनिधि हैं तथा उन्हें प्रत्येक बात पर अच्छी प्रकार से विचार करना है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

श्री रा० क० वर्मा : क्या श्रीमान् को यह ज्ञात है जैसा कि उन्होंने फ़रमाया कि ेज बो ै बम्बई, कानपुर, दिल्ली और अहमदाबाद व ै रह गया था, बम्बई और अहमदाबाद में जब ेज बोर्ड गया तो कम्युनिस्ट्स समर्थित यूनियन की तरफ से वेज बोर्ड के सामने कोई एविडेंस देने नहीं आया ?

श्री आबिद अली : इस बारे में मैंने एक अख़बार में तो पढ़ा था लेकिन बोर्ड की तरफ़ से मुझे कोई ऐसी सूचना नहीं मिली।

श्री रा० क० वर्मा : क्या श्रीमान् को यह ज्ञात है कि वेज वोर्ड ने सम्बन्धित उद्योगपतियों और ट्रेड यूनियनों से सितम्बर १६५७ के अन्त तक प्रश्नावली के उत्तर और मेमोरेंडम मांगा था लेकिन कम्युनिस्ट्स समर्थित टेक्सटाएल फ़ेडरेशन की तरफ से अभी तक उनकी प्रश्नावली के उत्तर में उनका मेमोरेंडम न आने से वेज बोर्ड को का ैवाही करने में देरी हुई ?

श्री आबिद अली : मैं फिर वही अर्ज़ करूंगा कि इस क़िस्म की कुछ चीज़ बम्बई के एक अख़बार में मैंने देखी थी। अब अगर उसकी तफ़सील माननीय सदस्य को चाहिये तो वे उसके लिये नोटिस दें और मैं उसको बोर्ड से मंगा कर पेश कर दूंगा।

†**श्री दासप्पा :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार े पहले ही तीन मजूरी बोर्ड नियुक्त कर रखे हैं और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि तीनों बोर्डों की कई बातें एक समान हैं ; क्या मैं जान सकता हूं कि इन समान वस्तुओं में समन्वय उत्पन्न करनेके सम्बन्ध में क्या-क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

†**श्री आबिद अली :** एक यह सुझाव दिया गया था कि इन तीनों बोर्डों के प्रधान आपस में मिलें और बातचीत करें। एक और दूसरा सुझाव यह था कि मजूरी बोर्डों के सदस्य आपस में मिल कर बातचीत करें और इस सुझाव को विभिन्न मजूरी बोर्डों के पास भेज दिया गया है।

श्री रा० क० वर्मा : क्या श्रीमान् को यह ज्ञात है कि कपड़ा उद्योग के संचालकों द्वारा मौजूदा कथित क्राएसिस को बढ़ा चढ़ा कर प्रचार करने के कारण ेज वोर्ड के कार्य में भी विघ्न ैदा हो रहा है ?

श्री आबिद अली : वेज बोर्ड का यह ख़याल तो है कि जो कपड़े की क़ीमत है और जो उद्योग की हालत है वह बहुत अच्छी नहीं है और इस काम को फ़ौरन कर लेने से शायद वह जो पहले उन्होंने ख़याल किया था, उस नतीजे तक नहीं पहुंच सके और इसलिए कुछ धीरे धीरे जाने का विचार है।

श्री रा० क० वर्मा : श्रीमान् मेरा यह निवेदन है........

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री रा० क० वर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा सवाल है। वेज बोर्ड का ख़याल ऐसा बनाने की ग़रज़ से ही इस उद्योग के संचालकों ने ग़लत तौर से इस क्राएसिस का प्रचार किया है।

श्री आबिद अली : मेरे लिए यह कहना तो मुश्किल होगा।

†**श्री तंगामणि :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि १८ महीने की देर हो गई है, क्या सरकार वेज बोर्ड को यह हिदायत देगी कि वह इस वर्ष के अन्त तक एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे ?

†**श्री आबिद अली :** यह तो श्रमिक प्रतिनिधियों का काम है कि वे स प्रकार का सुझाव दें और हम इस सुझाव को बोर्ड के पास भेज दें।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सुचेता कृपलानी** : माननीय मंत्री ने अभी अभी यह कहा है कि मजूरी बोर्ड के सदस्य किन्ही विशेष कारणों से जानबूझ कर काम को धीरे धीरे चला रहे हैं। क्या सरकार भी उन कारणों से सहमत है अथवा वह कोई ऐसी कार्यवाही करना चाहती है जिस से मजूरी बोर्ड का कार्य शीघ्रता से हो सके ?

†**श्री आबिद अली** : मेरे कहने का यह मतलब नहीं था।

अलौह धातुएं

†*१५६२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलौह धातुओं के निर्माताओं से रोलिंग चद्दरों के लिए तांबे में १०% जस्ता मिलाने के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) भारतीय मानक संस्था तांबे की चद्दरों का मान निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

†**श्री वें० प० नायर** : मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या १६२६ को भी इसी के साथ ले लिया जाय।

† **श्री सतीश चन्द्र** : परन्तु इस प्रश्न का सम्बन्ध तो तांबे और उसकी कीमतों से है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री सतीश चन्द्र** : वह बिल्कुल एक अलग प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां, अब श्री नायर वर्तमान प्रश्न के सम्बन्ध में यदि चाहें तो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : तांबे तथा जस्ते की कीमतों में कितना अन्तर होना चाहिये ताकि तांबे में १०% जस्ता मिलाने पर भी उस की कीमत से लाभ प्राप्त किया जा सके।

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस के लिए मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या यह सच है कि कुछ एक कापर रीरोलिंग मिलों ने जानबूझ कर ताबें की चद्दरों में १०% अधिक जस्ता मिला दिया, ताकि उस से मूल्य नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत निर्धारित लाभ से अधिक लाभ प्राप्त हो सके ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : कुछ समय पूर्व यह शिकायत आई थी कि तांबे की चद्दरों में जस्ता मिलाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पूरी पूरी जांच की गई और देखा गया कि किसी भी अनुसूचित उद्योग में ऐसा नहीं किया जा रहा है। परन्तु बम्बई की कुछ एक रोलिंग मिलों ने वैसा किया था, क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई निर्धारित मान नहीं है, इसीलिए भारतीय मानक संस्था से यह प्रार्थना की गई थी कि वह इस सम्बन्ध में कोई मान निर्धारित करे।

---

† मूल अंग्रेजी में

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि तांबे का वितरण इस प्रकार से है कि केवल बड़े बड़े निर्माण कारखानों को तो वह प्राप्त हो जाता है, परन्तु जगाधरी और लुधियाना के छोटे उद्योगों के लिए वह नहीं दिया जाता, जिस से यह छोटे उद्योग बंद हो गए हैं।

† अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता।

†श्री वें० प० नायर : माननीय मंत्री का यह कहना है कि तांबे की चद्दरों में १०% जस्ता मिलाये जाने के विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और ये शिकायतें छ टे कारखानों के विरुद्ध हैं बड़े कारखानों के नहीं। परन्तु क्या यह सच नहीं ै कि इस प्रकार की शिकायत कामनी इंजीनियरिंग वर्कस के विरुद्ध भी प्राप्त हुई।

†श्री सतीश चन्द्र : जी, नहीं। इस प्रकार के मिश्रित तांबे की चद्दरें बम्बई मार्किट में देखी गई थीं और जांच करने पर मालूम हुआ कि इस प्रकार का मिश्रण कुछ एक छोटी री-रोलिंग मिलें कर रही हैं, परन्तु जब तक कोई निश्चित मान निर्धारित नहीं हो जाता तब तक इन के विरूद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।

दावों का सत्यापन

†*१५९३. श्री दलजीत सिंह : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सहकारी ऋण समितियों के विरुद्ध दावों का सत्यायन करने में काफी विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि दावों का रूप े न मिलने के कारण सेवा निवृत-कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(घ) क्या दावों के तदर्थ सत्यापन के आधार पर दावेदारों को अन्तरिम सहायता देने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख). पाकिस्तान और भारत की सहकारी समितियों ने दावों की देय राशि उस समय तक ेने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी है जब तक कि प्रव्रजक सदस्यों से बकाया राशि प्राप्त नहीं हो जाये। इस कठिनाई को हल करने के लिये यह निर्णय किया गया है कि दोनों सरकारें दिसम्बर, १९५८ के अंत तक उन सूचियों को बतायें जिन में समितियों द्वारा प्रव्रजक सदस्यों को दी जाने वाली और उन से वसूल होने वाली रकमें बताई गई हों। इसके पश्चात् पृथक पृथक सहकारी समितियों को दी जाने वाली रकम का प्रश्न लिया जायेगा।

(ग) जी हां। इस सम्बन्ध में नार्थ वेस्टर्न रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारियों की ओर से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) रेलवे और विधि मंत्रालय के परामर्श से इस विषय का परीक्षण किया गया था, किन्तु इस विषय में दी गई अन्तरिम सहायता व्यावहारिक सिद्ध नहीं हुई।

†श्री दवलजीत सिंह : इस प्रकार के कितने मामले लम्बित हैं ?

† मूल अंग्रेजी में

†श्री पू० शे० नास्कर : विचाराधीन मामलों की निश्चित संख्या हमारे पास नहीं है क्योंकि अन्तिम तिथि दिसम्बर १९५८ है । उसके बाद ही स्थिति मालूम होगी ।

† श्री दलजीत सिंह : इन दावों की रकम कब तक मिलने की संभावना है ?

†श्री पू० शे० नास्कर : दावेदारों को समितियों द्वारा भुगतान के लिये कुछ समय रुकना पड़ेगा ।

†श्री राम कृष्ण : दावेदारों को अन्तरिम सहायता न देने के क्या कारण हैं ?

†श्री पू० शे० नास्कर : इन दावों के तदर्थ जांच सत्यापन के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि रकम सरकार द्वारा नहीं, परन्तु सहकारी समितियों द्वारा दी जायेगी ।

शरणार्थी पुनर्वास सम्मेलन

†*१५९४. श्री विमल घोष : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में निर्णय करने के लिये कलकत्ता में जुलाई १९५८ में आयोजित उच्चस्तरीय सम्मेलन में किसी राजनैतिक दल के प्रतिनिधि आमंत्रित किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया था ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधि आमंत्रित नहीं किया गया था ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री विमल घोष : क्या पश्चिम बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस के अध्यक्ष इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे ?

†श्री पू० शे० नास्कर : श्री अतुल्य घोष संसद् सदस्य उस में उपस्थित थे ।

†श्री विमल घोष : क्या कुछ व्यक्तियों को संसद् सदस्य की हैसियत से आमंत्रित किया गया था ?

†श्री पू० शे० नास्कर : कोई आमंत्रित नहीं किया गया था ।

†श्री विमल घोष : श्री अतुल्य घोष किस हैसियत से सम्मिलित हुए थे ?

†श्री पू० शे० नास्कर : श्री अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल के प्रमुख नागरिक और शरणार्थी समस्या में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति की हैसियत से सम्मिलित हुए थे । (अन्तर्बाधा)

†श्री विमल घोष : क्या पश्चिम बंगाल के कोई अन्य नागरिक इस समस्या में रुचि नहीं रखते हैं ?

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : अन्य कोई नागरिक, जिन में माननीय सदस्य भी हैं, इस सम्मेलन में आकर विचार व्यक्त करने के लिये प्रस्तुत नहीं थे ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका क्या लाभ है ? माननीय सदस्य बाद में भी आमंत्रित किये जा सकते हैं ।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री ने बताया है कि सभा के एक सदस्य को पुनर्वास में विशेष रूप रूचि से रखने के कारण आमंत्रित किया गया है । हमने श्री अतुल्य घोष को कभी पुनर्वास पर एक शब्द बोलते हुए नहीं सुना है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : माननीय उपमंत्री ने कभी यह नहीं कहा कि श्री अतुल्य घोष आमंत्रित किये गये थे । उन्होंने बिल्कुल विपरीत बात कही है ।

†**श्री विमल घोष** : माननीय विधि मंत्री ने गलत जानकारी दी है । क्योंकि समाचार पत्रों में सदस्यों को आमंत्रित करने अथवा न करने के बारे में कुछ नहीं छपा है । तभी सदस्य इसका लाभ उठा सकते थे ।

†**श्री अ० कु० सेन** : सम्मेलन की आयोजन के कई दिन पहले अखबारों में छपा था । किसी को भी उपस्थित होने अथवा न होने के लिए आमंत्रित नही किया गया था ।

†**श्री विमल घोष** : यह सम्मेलन मंत्रालय के स्तर पर था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य पर्याप्त रूचि का प्रदर्शन करते ।

†**श्री विमल घोष** : माननीय विधि मंत्री को गलत जानकारी नहीं देना चाहिये । अखबारों में छपा था कि यह मंत्रियों का सम्मेलन था । फिर नागरिकों अथवा साधारण सदस्यों को इसमें कैसे आमंत्रित किया जा सकता था ?

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय उपमंत्री ने कहा था कि श्री अतुल्य घोष संसद् सदस्य की हैसियत में सम्मिलित हुए थे । अखबारों ने छापा कि : "श्री अतुल्य घोष, अध्यक्ष पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस......."

†**श्री विमल घोष** : यह अखबारों की खबर नहीं थी ; यह संरकारी विज्ञप्ति थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा प्रश्न ।

इलाइची बोर्ड

†*१५९५. { **श्री नारायण स्वामी** :
श्री पणियंगाडन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची उत्पादकों ने चाय बोर्ड की भांति ही एक बोर्ड बनाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** :

(क) जी हां ।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

†**श्री नारायण स्वामी** : इलायची केरल, मद्रास और मैसूर में उत्पन्न होती है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न क्या है ?

†**श्री नारायण स्वामी :** चाय बोर्ड, काफी बोर्ड और रबड़ बोर्ड है। फिर इलायची बोर्ड की भी संविहित रचना क्यों न कर दी जाये और इस के क्षेत्र और कार्यवाहियों को इतना विस्तृत कर दिया जाये कि उस में काफी, चाय और रबड़ बोर्ड की भांति ही इलायची का उत्पादन, संरक्षण, सुधार, गवेषणा और विपणन सम्बन्धी सब पहलू इस में सम्मिलित हो सकें ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** इस आशय का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस का परीक्षण किया जा रहा है। किन्तु सभा यह अनुभव करेगी कि देश में लगभग १४,००० टन इलायची पैदा होती है इस में से केवल १,००० टन बाहर भेज दी जाती है। फिर इस कम परिमाण के उत्पादन के लिये और निर्यात समस्या के अभाव में इलायची बोर्ड स्थापित करने की व्यवहारिकता का परीक्षण किया जायेगा।

†**श्री तंगामणि :** इस वस्तु के निर्यात की संभावना को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने उक्त तीन राज्यों में उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है और निर्यात की सम्भावना उज्जवल है। अतः हम इस विषय पर विचार करेंग और यह देखेंगे कि हम इलायची के विकास में कहां तक सहायता दे सकते हैं।

†**श्री नारायण स्वामी :** क्या सरकार इलायची उत्पादन केन्द्रों का सर्वेक्षण करेगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** कृषि गवेषणा की भारतीय परिषद् और विभिन्न राज्य सरकारों के कृषि विभाग इलायची उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के हितों की देखभाल करेंगे। कृषि गवेषणा की भारतीय परिषद् के तत्वावधान में हाल ही में मरकारा में एक सम्मेलन हुआ था और इन समस्याओं पर वहां भी चर्चा की गई थी।

†**श्री वें० प० नायर :** माननीय मंत्री का विचार है कि इस विषय में कोई समस्यायें नहीं हैं क्योंकि केवल १,००० टन का ही निर्यात हुआ है : क्या सरकार यह जानती है कि यदि इस के कुछ भाग के टिंक्चर-कार्डमोनियम तथा अन्य पदार्थ बनाया जाये तो इलायची के निर्यात से मिलने वाली हमारी आमदनी काफी बढ़ जायेगी और यदि हां, तो इस के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** माननीय सदस्य इलायची से रासायनिक उद्योग पर जा रहे हैं। इस के लिये पृथक प्रश्न पूछा जा सकता है। सरकार ऐसे किसी भी रासायनिक उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहन देगी जो इलायची को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करती है। किन्तु इस कार्य को प्रारंभ करने के लिये किसी पार्टी का तैयार होना आवश्यक है।

†**श्री आचार :** इलायची के निर्यात में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है ?

†**श्री शतीश चन्द्र :** १९५७-५८ में २ करोड़ ७२ लाख रुपये मिले हैं।

†**श्री रंगा :** जब कृषि गवेषणा की भारतीय परिषद अधिकांशतः गवेषणा से ही सम्बन्धित है तो परिषद् द्वारा गवेषणा के अतिरिक्त स्टोर करने और इलायची उगाने के लिये लोगों को ऋण देने आदि के रूप में विशेष सहायता प्रदान करना सरकार के लिये आवश्यक नहीं है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं ने प्रारम्भ में ही मुख्य प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि इस विषय पर विचार किया जा रहा है । केवल प्रश्न यह है कि क्या इलायची के लिये पृथक बोर्ड हो अथवा सब गरम मसालों को मिला कर एक ही बोर्ड हो ।

कच्ची फिल्में बनाने वाली फैक्टरी

†*१५९९. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका की एक फर्म ने इस देश में कच्ची फिल्में बनाने की एक फैक्टरी स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष रखा है ;

(ख) क्या सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की शर्तें और अवस्थायें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार को इस के अतिरिक्त अन्य कोई प्रस्ताव मिला है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जहां तक सभा को मालूम है पूर्वी जर्मनी की फर्म के सहयोग से कच्ची फिल्मों का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है । यही एक प्रस्ताव है । माननीय सदस्य के उत्तर के बारे में मेरा निवेदन है कि अमेरिका से इस के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव नहीं मिला है कि फैक्टरी स्थापित करने की संभावनायें मालूम करने के लिये किसी फैक्टरी के एक प्रतिनिधि इस स्थान को देखने आये थे । बाद में उन्हों ने वहां फैक्टरी स्थापित करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : देश में कच्ची फिल्मों के अत्यधिक आयात के कारण क्या कच्चे फिल्म की फैक्टरी स्थापित करने में सरकार स्वयं ही किसी कार्यवाही का सूत्रपात कर रही है ?

†**श्री रंगा** : किसी अन्य देश के सहयोग से ऐसा किया जा रहा है ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: यह विषय विचाराधीन है । कच्ची फिल्मों के उत्पादन के लिये सरकार गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र में एक फैक्टरी स्थापित करना चाहती है ।

†**श्री जाधव** : कच्ची फिल्मों की कीमतों में इस वर्ष और गत वर्ष कितना अन्तर है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इस कार्य के लिये किसी अन्य देश से सम्पर्क स्थापित किया गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : पूर्वी जर्मनी की फर्म के प्रस्ताव पर पर्याप्त विचार हो रहा है । विशेषज्ञ आये थे और चले गये हैं और परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गई है । यह अन्तिम अवस्था में है । हमारे उद्योग अमेरिका में हैं और यदि सम्भव हुआ तो इस मामले को अन्तिम रूप देने के लिये वह जर्मनी भी जायें ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेडा** : इन प्रतिबन्धों के होने पर भी कच्ची फिल्मों के आयात पर हमें विदेशी मुद्रा के रूप में कितना खर्च करना पड़ता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मुझे निश्चित मूल्य मालूम नहीं है। इस की मांग लगभग ३,००० लाख क्यूबिक मीटर है और योजना अवधि के अन्त तक यह ४,००० लाख क्यूबिक मीटर तक बढ़ जायेगी। १९५६-५७ में १ करोड़ ४५ लाख रुपये की सिनेमाटोग्राफ और २ करोड़ २० लाख रुपये की फोटोग्राफिक फिल्में आदि का आयात किया जायेगा।

टायर बनाने वाली कम्पनियां

†*१५९८. **श्री चांडक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर बनाने वाली कम्पनियों ने प्रशुल्क आयोग की सिफारिश के अनुसार अपने उद्योग में भारतीय पूंजी बढ़ाने के लिये कोई कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कम्पनियों में अभी तक कुल कितनी भारतीय पूंजी विनियोजित की गई है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इस के क्या कारण हैं ;

(घ) इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (घ). लोकसभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

टायर कम्पनियों में केवल दो कम्पनियां--मेसर्स डनलप रबड़ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, और मेसर्स फायर स्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड--निर्माण में संलग्न हैं। जहां तक डनलप का सम्बन्ध है, मुख्य शेअरहोल्डर डनलप रबड़ कम्पनी (ब्रिटेन) हैं उन्होंने भारतीय जनता में दस-दस रुपये के ३,३६,५०० सामान्य शेअर बेच कर अपना अधिकार ९० प्रतिशत से वटा कर ५१ प्रतिशत कर दिया है। १४० लाख रुपये के सामान्य शेअर जारी करने में भी ब्रिटिश फर्म ने मेसर्स डनलप रबड़ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड में केवल ५१ प्रतिशत शेअर खरीदे हैं।

२. मेसर्स फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड की प्रदत्त अंश पूंजी केवल २०,००० रुपये है। इस उद्योग की शेअर पूंजी में भारतीय सहयोग का प्रश्न अतिरिक्त पूंजी स्वीकार करते समय ध्यान में रखा जायेगा।

†**श्री चांडक** : क्या टायर के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं बनाने वाली कम्पनियों से अपना व्यवसाय बन्द करने के लिये कहा गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : उन से व्यवसाय बन्द करने के लिये नहीं कहा गया है। किन्तु ऐसी अनेक टायर बनाने वाली कम्पनियां हैं जो कुछ वस्तुएं भारत में टायर बनाने वाली अन्य कम्पनियों से बनवाती हैं।

†**श्री चांडक** : मद्रास और बम्बई में टायर बनाने के लिये प्रस्तावित दो फैक्टरियों में कितनी प्रतिशत भारतीय पूंजी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सतीश चन्द्र : वर्तमान फैक्टरियों अथवा भविष्य में बनने वाली फैक्टरियां ?

†श्री चांडक : प्रस्तावित फैक्टरियां ।

†श्री सतीश चन्द्र : तीन नई फैक्टरियां स्थापित करने का विचार है। कीट टायर्स नामक फर्म ने टाटा के साथ सहयोग स्थापित किया है। इस में प्रारम्भ में भारतीय पूंजी ४० प्रतिशत होगी जो शनैः शनैः बढ़ कर ५० प्रतिशत हो जायेगी। डाटन रबड़ फैक्टरी के सहयोग से एक और फैक्टरी स्थापित करने का विचार है। इस में पूंजी का अनुपात ५० : ५० होगा ? नेशनल रबड़ कम्पनी कलकत्ता में स्थापित की जायेगी जो सर्वथा भारतीय होगी।

†श्री चांडक : क्या बम्बई की प्रस्तावित टायर फैक्टरी इटली की फर्म से सहयोग करेगी जो इस क्षेत्र में सर्वथा नई है और अमरीकन पेटेंट के अन्तर्गत कार्य करेगी और यदि हां, तो प्रारम्भकर्ताओं के सीधा अमरीकन सहयोग प्राप्त करने के लिये क्यों नहीं कहा गया ?

†श्री सतीश चन्द्र : टाटा ने स्वयं अपने सहयोगी ढूंढ़े हैं। अतः किसी भी प्रकार की सहायता देने के पूर्व उन्होंने इस दिशा में उक्त फर्म की उपयुक्तता पर विचार किया होगा।

†श्री वि० च० शुक्ल : विवरण से प्रकट है कि मेसर्स फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी की भुगतानशुदा पूंजी केवल २०,००० रुपये है। इस पूंजी से वे टायर किस प्रकार बना रहे हैं। क्या वह बाहर से ऋण इत्यादि लेते हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र : फायरस्टोन टायर निर्माण करने वाली एक बड़ी कम्पनी है। यह विदेशी कम्पनी का सहायक अंग है। यह नाममात्र की पूंजी से यहां काम करने के लिये पंजीकृत की गई है। उसके कोई अन्य शेअरहोल्डर नहीं हैं।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : वर्तमान कम्पनियों में भारतीय शेअरहोल्डरों का निम्न प्रतिशत देखते हुए सरकार इन कम्पनियों से उस प्रकार की वार्ता करने के लिये क्या कदम उठायेगी कि उनमें भारतीयों का अंश अधिक बढ़े ?

†श्री सतीश चन्द्र : यदि माननीय सदस्य विवरण का अध्ययन करें तो उन्हें प्रतीत होगा कि डनलप रबड़ कम्पनी में जो अधिक शेअर पूंजी की एक मात्रा कम्पनी है, अपनी विदेशी पूंजी कम कर रही है। इसका प्रतिशत ९० से घटकर ५१ रह गया है ; और यह भारतीय शेअर-होल्डरों को दिया जा रहा है।

बापू पार्क में जल संभरण

†*१६००. श्रीमती सुचेता कृपलानी : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण दिल्ली के नगरीय क्षेत्र और विशेष रूप से बापू पार्क में कच्चे पानी[1] का संभरण कब तक संभव हो सकेगा ?

†निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): दक्षिण दिल्ली की सरकारी बस्तियों में कच्चा पानी १९५९ के अंत तक उपलब्ध होगा। बापू पार्क सदश अन्य बस्तियां, जो दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में हैं कच्चे पानी के संभरण का कोई प्रस्ताव अभी निगम के विचाराधीन नहीं है।

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Unfiltered water.

बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा नौका सेवा बन्द किया जाना

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५** { **श्री आसर :** **श्री जाधव :** **श्री नाथ पाई :**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड ने बम्बई से रीवास और बम्बई से पूर्नागड लाइन पर नौका सेवा बंद कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि उक्त नौका सेवा बंद करने से बम्बई और कोंकण के निवासियों को पर्याप्त असुविधा हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो नौका सेवा जारी रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां।

(ख) कम्पनियों के अनुसार दोनों नौका सेवाएं हानि में चल रही थीं।

(ग) जी हां ।

(घ) बम्बई, पूर्नागड सर्विस के बारे में यह निश्चित किया गया है कि पूर्नागड के अतिरिक्त सब पत्तनों पर उसे बम्बई-दाभोल-वेनगुला सर्विस के साथ एकीकृत हो जाने पर भी नौका सेवा पहले की भांति सप्ताह में तीन बार वहां चालू रहेगी। जहां तक पूर्नागड पत्तन का सम्बन्ध है स्टीमर कम्पनी रानपुर होकर सीधे टिकट जारी करने के लिये तैयार है ; ऐसा उन्हें रानपुर से पूर्नागड तक बस का किराया देकर करना होगा।

जहां तक रिवास तक जाने वाली सर्विस का सम्बन्ध है और जो राज्य सरकार के क्षेत्र में है, स्टीमर कम्पनी ने बताया है कि ज्योंही उनका लान्च तैयार हो जायेगा उनका बोर्ड इस सेवा को चालू करने पर विचार करेगा। इसी बीच खराब मौसम बीत जाने पर प्राइवेट लान्च रिवास जा रहे हैं और यात्रियों की असुविधायें दूर कर दी गई हैं।

†**श्री आसर :** यदि हानि हुई है तो क्या सरकार ने यह निश्चय करने का प्रयत्न किया है कि हानि यथार्थ है अथवा मनगढ़ंत है ? बम्बई के मुख्य मंत्री ने जनसंघ के प्रतिनिधि को गत वर्ष इसकी जांच के बारे में आश्वासन दिया था क्या इसकी जांच कराई गई है ?

†**श्री राज बहादुर :** प्रश्न के उत्तरवर्ती भाग का उत्तर बम्बई सरकार ही दे सकती है ?

प्रथम भाग के बारे में मैं कहूंगा कि बम्बई उच्च न्यायालय के भूतपूर्व जज की जस्टिस लोकट द्वारा इस विषय की नियमित जांच कराई गई थी, उन्होंने सम्पूर्ण विषय का अध्ययन किया था और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही किराये में दस प्रतिशत वृद्धि की गई थी।

†**श्री नाथ पाई :** क्या यह सच नहीं है कि बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी में, जो सिंधिया कम्पनी की एक सहायक अंग है, हानि हो रही है जबकि मूल कम्पनी में लाखों रुपये का मुनाफा हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : यह सच है, श्रीमान् ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या सरकार ने यह मालूम करने की कोशिश की है कि जिन बन्दरगाहों में कम्पनी के जहाज़ जाते थे उन्हें बन्द करने की कार्यवाही धमकी का प्रारम्भिक चरण है ? क्या यह सम्पूर्ण लाइन को बन्द करने की दिशा में पहला कदम है अथवा क्या सरकार से रियायत मांगने के लिये एक प्रकार का दबाव है ?

†**श्री राज बहादुर** : इसके अनेक अर्थ लगाये जा सकते हैं। हमें इन लोगों के हृदय का रहस्योद्घाटन करना होगा। किन्तु यह सच है कि उन्होंने अधिकांश सर्विस चालू कर दी है। स्टीमर सर्विस के नियमित मार्ग से केवल एक पत्तन पृथक कर दिया गया है।

†**श्री नाथ पाई** : गत वर्ष सभा में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने बताया था कि सितम्बर, १९५७ समाप्त होने के पूर्व कम्पनी के जहाज़ मलवान के बन्दरगाह पर भी चलेंगे। सत्रह महीने से अधिक बीत गये हैं और सहस्रों व्यक्ति बम्बई जाने के लिये एक मात्र साधन से वंचित हैं ? सरकार द्वारा इस विषय में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : यह प्रश्न अन्य दो सर्विस से सम्बन्धित है—माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट सर्विस से नहीं। यात्रियों की असुविधा से हम पूर्ण अवगत हैं। इस विषय का उत्तरदायित्व केन्द्र और राज्य सरकार वहन करेंगे। कुछ सर्विस सर्वथा बन्दरगाह से सम्बन्धित हैं जिनके लिये राज्य सरकार उत्तरदायी है। इतना होने पर भी हम परिस्थितियों के अनुसार पूरी कोशिश कर रहे हैं।

†**श्री जाधव** : क्या यह सर्विस आजकल सप्ताह में केवल छः दिन ही चलती है ?

†**श्री राज बहादुर** : उन्होंने जो अनुसूची निर्धारित की है यह उसी के अनुसार है।

†**श्री जाधव** : किराये की १५ प्रतिशत वृद्धि होने पर भी नौकाएं चल रही हैं।

†**श्री राज बहादुर** : यह दस प्रतिशत है।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह सच है कि कम्पनी सप्ताह में एक दिन इस लाइन को बंद करने की धमकी दे रही है ? क्या आशय का आश्वासन दिया जायेगा कि यह केवल एक दिन ही बन्द रहेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : कहा जाता है कि मंगलवार समुद्र यात्रा के लिये अशुभ है अतः उस दिन सर्विस नहीं चलती है। यह अंधविश्वास है। मेरे पास यही जानकारी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री के अनुसार यह भावनाओं का पालन किया जा रहा है ।

†**श्री राज बहादुर** : एक विशेष दिन वह सर्विस बन्द रखते हैं । मुझे यह स्मरण नहीं है कि यह मंगलवार है अथवा कोई और दिन है।

झरिया में निवास स्थानों का खाली कराया जाना

†१६. **श्री बोस** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झरिया टाउन के स्टेशन क्षेत्र में रहने वाले अनेक व्यक्तियों को खान विभाग के कहने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत मकान खाली करने के नोटिस दे दिये गये हैं क्योंकि इस क्षेत्र के जल मग्न होने की संभावना है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस विषय के क्या तथ्य हैं ; और

(ग) क्या संकट ग्रस्त व्यक्तियों की इच्छा के अनुरूप यथार्थ स्थिति निश्चित करने के लिये विशेषज्ञों द्वारा जांच कराने का विचार है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख) खास झरिया खान की तह नं० १० और नं० ११ में जमीन के नीचे अग्नि के अस्तित्व के कारण जिला अधिकारियों ने १९३३ में झरिया टाउन में स्थित कुछ मकान खाली करा लिये थे। उस क्षेत्र की हाल की जांच में यह मालूम हुआ कि खाली कराये गये मकानों में से २२ फिर भर गये हैं तथा आठ नये मकानों का निर्माण हो गया है। चूंकि कोयला खान की एक तह के नीचे आग होने और दूसरे के अस्थित संचालन के परिणामस्वरूप यह क्षेत्र खतरनाक है अतः उक्त ३० मकानों में रहने वालों को खाली करने के नोटिस जारी किये गये हैं।

(ग) मुख्य खनिज इंसपेक्टर ने १६ सितम्बर, १९५८ को इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था और उनकी भी राय है कि इन लोगों के वहां रहने के लिये उक्त क्षेत्र सुरक्षित नहीं है।

†**श्री बोस** : क्या माननीय मंत्री ने पीड़ितों द्वारा भेजा गया तार देखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोयला बोर्ड के इंजीनियरों ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया है और जिसे सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है और बताया है कि इस स्थान को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां, इस प्रकार का तार उन व्यक्तियों के पास से प्राप्त हुआ है जो उन मकानों पर अवैध कब्जा किये हुये हैं। हम इस तार को खानों के मुख्य निरीक्षक के पास किये गये सुझावों को देखते हुए पुनः जांच करने के लिये भेज देंगे।

†**श्री बोस** : क्या सरकार का विचार एक समिति नियुक्त करने का है जिस में खान विभाग और कोयला बोर्ड दोनों के इंजीनियर होंगे जो संयुक्त रूप से उस क्षेत्र की जांच करेंगे कि यह क्षेत्र कहां तक सुरक्षित अथवा असुरक्षित है ?

†**श्री आबिद अली** : खानों का मुख्य निरीक्षक स्वयं इस मामले में अपनी राय देने के बारे में पर्याप्त योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति है। हम नहीं समझते किसी और की राय लेना आवश्यक होगा।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि क्या कोयले की तहों की खुदाई कहीं और भी खदानों वाले नगर में किया जा रहा है और यदि हां, तो दुर्घटना अथवा आग न लगे इसके लिये क्या पूर्वोपाय किये जाते हैं ?

†**श्री आबिद अली** : जब तक खानें रहेंगी तब तक आग लगने की घटनायें होती रहेंगी। हां हमारा प्रयत्न इन घटनाओं में कमी करने का रहता है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : माननीय मंत्री ने बताया है कि १९५३ में भूमि के अन्दर लगी आग देखी गई थी और १९५८ में पुनः वह देखी गई है। क्या उस समय जिसमें से होकर गैस अथवा धुंआ बाहर आ रहा था उसमें कुछ फिशर पाये गये थे ; यदि हां, तो क्या उसी समय कोई कार्यवाही की गई थी अथवा भविष्य में करने का विचार है ?

†**श्री आबिद अली** : यह प्रश्न उन ३० मकानों के बारे में है जिन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। मैंने किसी भी आग लगने की ऐसी घटना का उल्लेख नहीं किया जिसका माननीय सदस्य

---

†मूल अंग्रेजी में

ने हवाला दिया है। लगता है कि उन्हें गलतफहमी हो गई है ; मैंने कहा था कि १६३३ में ये मकान खाली किये गये थे जो फिर से भर गये हैं और इन लोगों से उन्हें खाली करने के लिये कह दिया गया है क्योंकि उनमें रहना सुरक्षित नहीं है। इस प्रश्न का क्षेत्र यहीं तक सीमित है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** पिछले वर्ष हम लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि झरिया के आस-पास के स्थान में भूमि के अन्दर आग लग गई थी और कहीं से थोड़ा बहुत धुआं बाहर आ रहा था। उस आग को रोकने के लिये सरकार अथवा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री आबिद अली :** एक खान ऐसी है जिसमें २० वर्षों से भी अधिक समय बीता जबसे आग लगी हुई है। इस बारे में केवल इतना सम्भव है कि उसे बन्द कर दिया जाये और विभाग द्वारा यह कार्यवाही की जा रही है कि यह आग और अधिक न फैलने पाये।

†**श्री बोस :** उन घने बसे नगरों में जहां ऊंची-ऊंची इमारतें हैं, ऐसे नगरों में स्थित कोयला खानों के बारे में सरकार का पूर्वोपाय करने का विचार करती है ?

†**श्री आबिद अली :** जी हां। खान विभाग का काम ऐसे मामलों की निगरानी करना है और जो आवश्यक समझा जाता है वह किया जा रहा है। वे पूर्वोपाय करते हैं और पक्षों को यदि आवश्यक हुआ तो सावधान कर देते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सीमेंट का उत्पादन

†*१५६१. **श्री संगण्णा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३० जून, १६५८ से सीमेंट का भाव बढ़ जाने से देश में सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि होने में कुछ सहायता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां तक ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** १ जुलाई, १६५८ से सीमेंट के उत्पादकों को बढ़ी हुई दर पर किये गये भुगतान से सामान्यतः विस्तार योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये प्रोत्साहन मिला है, किन्तु इस प्रक्रम पर संक्षेप में इसके प्रभाव का पता लगाना सम्भव नहीं है। थोक भाव में वृद्धि हो जाने से किराये भाड़े सहित ११७.५० न० पै० प्रति टन के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जिस दर पर राज्य व्यापार निगम उपभोक्ताओं को सीमेंट बेच रहा है।

मोटर टायरों का आयात

†*१५६७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों में मोटर के टायरों का आयात करने के लिये तदर्थ लाइसेंस स्वीकृत किये गये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन पक्षों को ये लाइसेंस दिये गये थे और प्रत्येक लाइसेंस कितने मूल्य का था ;

(ग) क्या लाइसेंसों का पूरा उपयोग किया गया था ;

(घ) क्या यह सच है कि प्रशुल्क आयोग ने टायरों के आयात के बारे में प्रतियोगिता लागू करने की सिफारिश की थी ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें न मानने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७९**]

(ग) लाइसेंसों का उपयोग कहां तक किया गया इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी हां ।

(ङ) क्योंकि आयात किये गये टायरों का मूल्य बहुत बढ़ता जा रहा था इस कारण आयात किये गये और देशी टायरों के एक ही से सामान्य मूल्य रखना वांछनीय समझा गया ।

पुनर्वास के लिये भूमि

†*१५९९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा पूर्वी रेलवे भी पनिहारी नगर पालिका थाना खरडाह २४ परगना के अधीन मौज़ा घोला और बामनपुर में ५४ एकड़ खाली और पानी से भरी हुई भूमि पर शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये काम में लाने के बारे में अधिग्रहण करने के लिये रेलवे मंत्रालय से कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). राज्य सरकार ने बताया है कि उसने अगस्त, १९५८ में मौज़ा घोला, थाना खरडाह में स्थित भूमि जिस पर उनका (रेलवे) का कब्जा है, कुछ भूमि हस्तांतरित करने के बारे में रेलवे मंत्रालय को निर्देश किया है। उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

फरीदाबाद का कस्बा

*१६०१. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरीदाबाद के कस्बे में, जहां बहुत कम कारखाने हैं, रहने वाले बहुत से बेरोजगार विस्थापित परिवारों को काम दिलाने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ख) उनमें स्थानीय श्रमिक कितने हैं और बाहर के लोग कितने हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) फरीदाबाद में ४० से भी अधिक कारखाने स्थापित किये जा चुके हैं और इन से लगभग २९०० शरणार्थियों को रोज़गार मिलता है। कुछ शरणार्थी निजी व्यापार और कामों और फरीदाबाद डिवेल्पमेंट बोर्ड की मदों से रोजगार पाते हैं। किसी दूसरे कस्बे में पुनर्वास मंत्रालय ने इतनी बड़ी तादाद में कारखाने स्थापित नहीं किये हैं। सरकार सब शरणार्थियों को रोज़गार दिलाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। सारे देश में रोजगार की हालत को देखते हुये स्थिति का अवलोकन करना है।

(ख) इन कारखानों में २९०० शरणार्थी और २६०० गैर-शरणार्थी काम करते हैं। और गैर-शरणार्थियों में से १२०० व्यक्ति टेकनीकल और कलात्मक कामों में लगे हुए हैं।

तिहाड़ बस्ती में विस्थापित व्यक्ति

*१६०२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की तिहाड़ बस्ती में जो अपने मकान बनाने के लिये ५०० रुपये विस्थापित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में दिये गये थे उसके बदले में दावों की रकम में से उन से १०४० रुपये वसूल किये गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि बाद में वसूली की राशि बढ़ा दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और इस के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :(क) सरकारी जमीन पर छोटे टेनीमेंट बनाने के लिये शरणार्थियों को ५०० रुपये दिये गये थे। गैर-दावेदार शरणार्थियों को दी गयी यह रकम अनुदान समझी गयी थी और उन से केवल जमीन की कीमत वसूल की गयी थी। दावेदार शरणार्थियों के दावों में से इस ५०० रुपये की रकम के अतिरिक्त ज़मीन की कीमत भी वसूल की गयी थी।

(ख) जी हां।

(ग) कालोनी में अधिक सुविधाओं पर खर्च के कारण १३५० रुपये।

वस्त्र के निर्यात में कमी

*१६०३. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन को भारतीय वस्त्र का निर्यात घट रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं या करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) इस के कारण हैं मांगों में कमी होना, प्रतियोगिता बढ़ जाना तथा लंकाशायर में बन सकने वाले स्थानीय माल का संभवतः अधिक उपयोग होना।

(ग) निर्यात बढ़ाने के सामान्य उपाय करने और उत्पादन शुल्कों को युक्तियुक्त आधार पर लाने के अलावा स्थिति पर बराबर नजर रखी जा रही है और उसका अध्ययन किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जंगपुरा का पुल

†*१६०४. **श्री सरजू पांडे:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या जांच पदाधिकारी ने जंगपुरा पुल (दिल्ली) से मिलने वाली सड़क को पहुंची क्षति के कारण बताने के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) जी हां।

(ख) उन की उपपत्तियां यह हैं कि क्षति का कारण निम्न बातों का सम्मिलित प्रभाव है ;

(१) २०-२१ जुलाई, १९५८ की अभूतपूर्व वर्षा,

(२) गलत तरीके से और अपर्याप्त रूप से मिट्टी का डाला जाना विशेषकर उपमार्गों और पुलों की सीमा के पास ;

(३) सड़क के किनारे के पत्थरों के बीच सड़क पर वर्षा के पानी को निकालने की व्यवस्था में कमी, विशेषकर जब कि समीप के पुलों और पुलियों से सड़क की सतह सड़क के पत्थरों से ३ इंच नीचे रखी गई थी जिससे यथासम्भव अतिरिक्त मिट्टी आदि जमा होती रहे।

(ग) खराबियों को दूर करने का काम ठेकेदारों ने अपनी लागत पर शुरू कर दिया है। प्रमुख टेक्निकल निरीक्षक की उपपत्तियों की जांच इस दृष्टि से की जा रही है उपर्युक्त खराबियों के लिये विभिन्न पदाधिकारियों तथा ठेकेदारों को उत्तरदायी ठहराया जा सके।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों का संभरण

†*१६०५. **श्री उ० च० पटनायक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को अमरीका द्वारा पाकिस्तान को अच्छी किस्म के शस्त्रों के संभरण के बारे में विस्तृत जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन):** (क) भारत सरकार को अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दिये गये अच्छी किस्म के शस्त्रों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मध्य प्रदेश में कागज की मिलें

*१६०६. **श्री जांगड़े :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार अथवा गैर-सरकारी लोगों की ओर से मध्य प्रदेश में इटारसी और बिलासपुर में साधारण कागज बनाने के लिये कारखाने स्थापित करने के हेतु प्रार्थनापत्र मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). कलकत्ते के मैसर्स औरिएन्ट पेपर मिल्स लि० ने १९५१ के उद्योग (विकास नियमन) अधिनियम, के अधीन बिलासपुर के पास १८००० टन कागज और गत्ता प्रति वर्ष बनाने का एक नया कारखाना खोलने के उद्देश्य से लाइसेंस प्राप्त करने के लिये १८ दिसम्बर, १९५७ को एक प्रार्थना पत्र दिया था । लाइसेंस देने वाली समिति ने इस पर ३० जुलाई, १९५८ को विचार किया और इसे अस्वीकार कर देने की सिफारिश की क्योंकि यह फर्म बिलासपुर में लुग्दी बनाने की योजना क्रियान्वित करने में संतोषजनक प्रगति नहीं कर सकी थी । लेकिन समिति ने सुझाव दिया है कि यदि यह फर्म चाहे तो ६ महीने बाद फिर नये प्रस्ताव पेश कर सकती है । ११ सितम्बर, १९५८ को इस आशय के निर्णय की सूचना फर्म के पास भेज दी गई है । इटारसी में कागज का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है ।

लौह अयस्क का निर्यात

†*१६०८-क. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की सुकिन्दा खानों से १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८–५९ में अब तक कुल कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया है ;

(ख) भारत के राज्य निगम (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा सुकिन्दा खानों से कुल कितना लौह अयस्क निर्यात करने का करार किया गया है ; और

(ग) सुकिन्दा लौह अयस्क खानों से गैर-सरकारी अभिकरणों के द्वारा कितना लौह अयस्क निर्यात करने का करार किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क)

१९५६–५७	राज्य व्यापार निगम के लेखे में ५३,७१० टन
१९५७–५८	२,७३,७०० टन
१९५८–५९ (अगस्त के अन्त तक)	६३,००० टन (१ जुलाई स ३० जून तक)

(ख) यह जानकारी बताना राज्य व्यापार निगम के व्यापार के हित में नहीं होगा ।

(ग) १ जुलाई, १९५७ से लौह अयस्क का निर्यात केवल राज्य व्यापार निगम के लेखे में किया जाता है ।

राजस्थान में खा ी बुनकर

*१६०७. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में ग्रामोद्योग और खादी उद्योगों में काम करने वाले बुनकरों को अपने उत्पादन केन्द्रों द्वारा तैयार की गई खादी तथा कपड़ा बेचने के लिये अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और चर्खा संघ प्रमाण-पत्र नहीं दे रहेहैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार जानती है कि हजारों की संख्या में कतवारी और बुनकर इस कारण बेकार हो गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). जी हां, काफी अर्से से चली आ रही परम्परा के अनुसार खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन की प्रमाण-पत्र देने वाली समिति अलग-अलग बुनकरों को प्रमाण-पत्र नहीं देती । ये प्रमाण-पत्र उन सोसाइटियों, ट्रस्टों आदि को दिये जाते हैं जो कमीशन द्वारा निर्धारित नियमों तथा शर्तों का पालन करते हैं ।

(ग) यह बात सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई । (लेकिन अगर ये कतवार और बुनकर प्रमाणित संस्थाओं से अपना सम्बन्ध जोड़ लें तो उन्हें काम मिलेगा और आम सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे कि रुई मिलना और उनका काता हुआ सूत निर्धारित मजदूरी देकर लिया जाना ।

कच्ची फिल्मों का आवंटन

†*१६०८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक भाषाओं में उन फिल्मों के निर्माण के लिये, जिनका विकास अभी अधिक नहीं हो सका है जैसे आसामी और उड़िया, कच्ची फिल्मों का आवंटन करने में विशेष ध्यान रखा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ; और

(ग) आसामी और उड़िया भाषाओं में १९५८ में कितने परमिट जारी किये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). ऐसी प्रादेशिक भाषाओं के लिये कच्ची फिल्मों के आवंटन के लिये प्राप्त आवेदनों पर तदर्थ रूप से विचार किया जाता है ।

(ग) १९५८ की संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है । जब से कच्ची फिल्मों के वितरण की नियमित व्यवस्था की गई है तब से आसामी फिल्मों के लिये और उड़िया फिल्मों के लिये चार परमिट जारी किये गये हैं ।

हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता

†*१६०९. **श्री सुविमन घोष** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २९ अप्रैल, १९५८ के अल्पसूचना प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स स्टडबेकर पेकार्ड कारपोरेशन, अमेरिका के सहयोग से मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता ने कितनी ट्रकें और बसें बनाई हैं ;

(ख) स्टडबेकर गाड़ियां बनाने के कार्यक्रम के अधीन मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स ने कितने स्टडबेकर ट्रक्स, न्याधार, तथा अन्य मोटर के पुर्जे आयात किये हैं ; और

(ग) मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा आयात की गई इस प्रकार की स्टडबेकर गाड़ियों में से भारत सरकार के विभिन्न विभागों ने कितनी मोटर गाड़ियां खरीदी हैं और उनके लिये कितना रुपया चुकाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) मोटर गाड़ी उद्योग की प्रशुल्क आयोग द्वारा पहिली जांच किये जाने के बाद, नवम्बर १९५३ में मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड के लिये स्टडबेकर गाड़ियां बनाने का एक प्रावस्था-बद्ध कार्यक्रम मंजूर किया गया था। १९५४ के बाद से स्टडबेकर ट्रकों तथा बसों के उत्पादन आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	एककों की संख्या
१९५४	१११८
१९५५	२३६०
१९५६	२७३६
१९५७	११३७
१९५८ (जनवरी से जुलाई)	१०३९

(ख) और (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

चाय बागान के श्रमिक

†*१६१०. **श्री दशरथ देब** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान मालिकों तथा त्रिपुरा शासन के बीच ऐसा कोई करार है कि चाय बागानों के मालिकों द्वारा श्रमिकों को राशन दिया जाएगा ;

(ख) क्या कुछ चाय बागान मालिकों ने राशन देने से इंकार कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(घ) करार की कार्यान्विति के लिये प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) जी, नहीं। परन्तु अल्पतम मंजूरी अधिनियम, १९४८ के अधीन जारी किये गये आदेश के अनुसार मजदूरों को चावल देने की जिम्मेदारी बागान प्रबंधकों पर है।

(ख) और (ग). ६ बागानों ने।

(घ) त्रिपुरा प्रशासन बागान के मालिकों पर यह दबाव डाल रहा है कि वे अल्पतम मजूरी अधिनियम के अधीन अधिसूचित २० रुपये प्रतिमन की रियायती दर मजदूरों को चावल दें या इसके बदले उन्हें चावल के बाजार भाव की कीमत तथा अधिसूचित कीमत के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये अर्थ सहायता ।

†मूल अंग्रेजी में

लुधियाना (पंजाब) में बाईसिकिल के कारखाने

†*१६११. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री अजित सिंह सरहदी

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुधियाना (पंजाब) में साइकिलों के पुर्ज़े बनाने का काम करने वाले कई एकक बन्द हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके बन्द होने का क्या कारण है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में बड़े बड़े एककों ने अपना उत्पादन किस सीमा तक बढ़ाया है; और

(घ) पुनरीक्षित लक्ष्य कितना है ; तथा

(ङ) इसे किस तरह से अपनाने का प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ग) वर्ष	उत्पादन (साइकिलों की संख्या)
१९५५	४९१,१७१
१९५६	६६३,९६९
१९५७ . .	७९०,५७९
१९५८ (जनवरी से जून १९५८ तक) . .	४८३,५४४

(घ) योजना के अनुसार १९६०-६१ वर्ष के लिये बाइसिकिल का उत्पादन लक्ष्य १२.५ लाख साइकिलें हैं।

(ङ) सरकार ने पूर्ण क्षमता मंजूर कर दी है और साइकिलों के उत्पादन की वर्त्तमान वृद्धि को देखते हुए यह आशा की जाती है कि लक्ष्य पूरा हो जाएगा।

तम्बाकू का आयात

†*१६१२. **श्री नंजप्पा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीलोन से किस प्रयोजन के लिये बिना तैयार की गई तम्बाकू आयात की जाती है और उसकी किस जगह जरूरत है।

(ख) क्या देश में इस प्रकार की तथा इस वर्ग की तम्बाकू पैदा करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कहां की गई है और उसका क्या नतीजा हुआ है ?

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) केरल राज्य में चूसने के लिये ।

(ख) जी, हां ।

(ग) केरल राज्य के शेरतलाई में ।

इन प्रयोगों के परिणामों से पता लगा है कि इस क्षेत्र में स किस्म की तम्बाकू पैदा करना संभव है ।

फिल्म विभाग

†*१६१३. **श्री वोडयार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के लिये दो फिल्म विभाग बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

एक्स-रे फिल्मों की कमी

†*१६१४. { **श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्री तंगामणि :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ६ अगस्त १९५८ से कलकत्ते के मेडिकल कालेज का एक्सरे विभाग एक्सरे फिल्मों की कमी के कारण बन्द कर दिया गया है ;

(ख) अस्पतालों के लिये एक्सरे फिल्मों की व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या एक्सरे फिल्मों के संभरण के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा कोई व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ; और यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) एक्स-रे फिल्मों की कमी के कारण कलकत्ता मेडिकल कालज के एक्सरे विभाग के बन्द होने के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) : पुराने आयातकों को लाइसेन्स देने के अतिरिक्त यह प्रयत्न किये जा रहे हैं कि राज्य व्यापार निगम द्वारा एक्स-रे फिल्में प्राप्त की जायें, जिस से विभिन्न राज्यों की आवश्यकतायें कुछ सीमा तक पूरी हो जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

"भारत—१९५८" प्रदर्शनी

†*१६१५. **श्री वाजपेयी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भारत—१९५८" प्रदर्शनी जो कि प्रथम अक्तूबर को आरम्भ होनी थी, उसका पूर्ण प्रबन्ध हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो पूर्ण हो चुके कार्यों और अधूरे कार्यों का क्या व्यौरा है; और

(ग) इस कार्य को शीघ्र समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) काम समाप्त होने ही वाला है।

(ख) और (ग): स्थान का आवंटन तो पूर्ण हो चुका है और इमारती काम भी ५० प्रतिशत समाप्त हो चुका है। शेष कार्यों की सन्तोषजनक प्रगति हो रही है। आशा है कि प्रदर्शनी का उद्घाटन निश्चित तिथि पर हो जायेगा ।

केरल राज्य का उद्योगीकरण

†*१६१६. { **श्री वारियर :**
श्री वें० प० नायर : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित योजनाओं के अन्तर्गत सरकार ने केरल राज्य में मशीनी औजार, स्टेनलेस स्टील टीन और बिजली की मोटरें इत्यादि के उत्पादन तथा प्रशिक्षण के लिए योजनाओं की अनुमति दे दी है ;

(ख) क्या इन कारखानों को चालू करने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य करने की आवश्यकता होगी ;

(ग) क्या इन कारखानों को चालू करने में शीघ्रता नहीं की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) बिजली की मोटरें बनाने का एक केन्द्र तिरूवला, छोटे मशीनी औजार बनाने का एक केन्द्र इत्तुमनूर में, दाग न पड़ने वाले इस्पात का एक केन्द्र अर्टिंगल और टीन की छपाई तथा टीन के डिब्बे बनाने का एक केन्द्र मूवात्तुपुझा[1] में बनाने की स्वीकृति १९५६-५७ में दी गयी थी ।

(ख) इन चार केन्द्रों में से केवल तिरूवल्ला में इमारत बनाने का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया था। केरल राज्य सरकार ने जिस औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की है इत्तुमनूर का केन्द्र वहीं स्थित है। अर्टिंगल और मूवात्तुपुझा विभागीय तौर पर लघु उद्योग सेवा संस्था मद्रास के क्षेत्रीय निर्देशक महोदय से प्राप्त कर लिया गया है ।

(ग) और (घ). बिजली की मोटरें बनाने का काम लघु उद्योग सेवा संस्था मद्रास के एक अस्थायी अहाते में आरम्भ कर दिया गया है। इमारत के पूरी होने पर एक मास तक इसे तिरूवल्ला ले जाया जायेगा। अर्टिंगल तथा मूवात्तुपुझा की इमारतों को प्राथमिकता दी जा रही है और उनके पूर्ण होते ही केन्द्र में कार्य चालू कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1Moovattupuzha

मूर्तियों की स्थापना

***१६१७. श्री भक्त दर्शन :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ११ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में उपयुक्त स्थानों पर मूर्तियों की स्थापना करने के बारे में सरकार को सलाह देने वाली समिति ने अब तक क्या प्रगति की है;

(ख) उक्त समिति ने अब तक क्या क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) और (ख). इस विषय में प्रगति नहीं की जा सकी क्योंकि आवश्यक वित्तीय साधन युक्त सुझावों का अभाव है, जिसके कारण समिति ने अभी तक स्थायी सिफारिशें नहीं दी हैं ।

(ग) सवाल पैदा ही नहीं होता ।

ग्लाइडरों का निर्माण

†*१६१७-क. { **श्री हाल्दर :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री नारायण कुट्टि मेनन :
श्री दसरथ देव : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत में निर्माण किये हुये ग्लाइडरों का मूल्य आयात किये हुये ग्लाइडरों से कम है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में बड़े स्तर पर इन ग्लाइडरों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं, देसी का दाम कुछ अधिक ही है ।

(ख) हमारे देश के निर्माताओं की जितनी भी ग्लाइडरों और पुर्जों की उत्पादन क्षमता है उससे देश की आवश्यकताओं के पूरे हो जाने की आशा है अतः बड़े स्तर पर उसके निर्माण की अभी कोई बात नहीं ।

आसाम के चाय बागानों का बन्द किया जाना

†*१६१८. श्री हेम बरुआ : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आसाम के चाय बागानों के प्रबन्धकों ने उन्हें बन्द कर देने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) से (ग). गत मार्च में आसाम सरकार ने यह सूचना दी थी कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण ६ बागानों के बन्द हो जाने का खतरा है।

सोंथालिया नाम के बाग के बन्द हो जाने के बारे में हमारे पास जानकारी है। इसका क्षेत्र ४८५ एकड़ है। शेष बागों के बारे में आसाम सरकार से पूछा गया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

१९५७-५८ में जो बाग बन्द हुये हैं उनकी समस्याओं का अनुमान लगाने के लिए सभी बागों की सविस्तार जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हथकरघा उद्योग

†*१६१९. **श्री मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हथकरघा उद्योग की संकटपूर्ण स्थिति का पता है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) सरकार के विचार में हथकरघा उद्योग संकटपूर्ण स्थिति में नहीं है।

(ख) उद्योग को सहायता देने के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश सरकार से गत मई में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था

धूमक[1] पदार्थों का आयात

†*१६२०. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में धूमक तथा कीट कृमि नाशक पदार्थों के आयात के लिए कितनी कीमत के आयात लाइसेंसों की स्वीकृति दी गयी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में लाइसेंस देने के लिए क्या नीति अपनाई जा रही है ताकि खाद्यान्नों तथा अन्य प्रकार के कृषि उत्पादन को कीटाणुओं से बचाया जा सके ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) १९५५ से १९५८ मार्च तक धूमक कृमि नाशक पदार्थों और बेकार घास समाप्त करने वाली वस्तुओं के लिये जितनी कीमत के लाइसेंस दिये गये उसका विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८०]**

(ख) कृमि नाशक पदार्थों, घास विनाशक वस्तुओं और धूमक के सम्बन्ध में चालू नीति का विवरण भी सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८१]** जो कृमि नाशक पदार्थ और धूमक देश में उपलब्ध नहीं हैं उनके लिए आयात आवेदन पत्रों पर तदर्थ आधार पर ही विचार किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Fumigants.

सीताराम माइका माईनिंग कम्पनी के कर्मचारियों की हड़ताल

†*१६२१. **श्री तंगामणि :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीताराम माइका माईनिंग कम्पनी के कर्मचारियों ने ८ सितम्बर, १६५८ से हड़ताल करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार क्या कर रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी हां।

(ख) उनकी मांगें हैं :

(१) कुछ पदच्युत लोगों को पुनः पदासीन किया जाये; और

(२) कर्मचारियों को सेवा पत्रक दिये जायें; और

(३) वार्षिक छुट्टी दी जाये ।

(ग) समझौता अधिकारी (केन्द्रीय) विशाखापत्तनम ने कुछ बीच बचाव किया था परन्तु उन्हें समझौता कराने में सफलता प्राप्त नहीं हुई । उसने असफलता की रिपोर्ट दे दी है और उसका परीक्षण किया जा रहा है ।

जेनेवा अण सम्मेलन

†*१६२२. **श्री त्यागी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेनेवा अणु सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की संख्या क्या है ;

(ख) इस के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है; और

(ग) क्या अणुशक्ति संस्था के प्रशासनिक कर्मचारियों में से भी कुछ लोग इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं ।

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) ४०, जिनमें से ६ तो पहले से ही योरुप में थे और चार विदेशों के प्रशिक्षण केन्द्रों में जा रहे थे ।

(ख) २,०५,५०० रुपये ।

(ग) हां एक, जो कि अणुशक्ति आयोग प्रशासन के वित्त सदस्य हैं ।

शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल लिमिटेड

†*१६२३. **श्री सोनावने :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोमानी समिति, जो कि शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल लिमिटेड के काफी गिरे हुये उत्पादन के सम्बन्ध में जांच करने के लिए ६ सितम्बर, १६५७ को स्थापित की गयी थी, ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है तथा इसमें कितना समय लगेगा।

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ). जांच समिति का प्रतिवेदन गोपनीय दस्तावेज है और उसका सभा पटल पर रखना लोक हित में ठीक नहीं है। उसकी मुख्य सिफारिश एक ऐसी योजना है जिसके अनुसार प्रबन्ध निर्देशक को मिल चलाने के अतिरिक्त ५० लाख की पूंजी विनियोजन करना है। समिति ने इस योजना का प्रयोग करने का सुझाव दिया है। आगे क्या होता है, इस बात की प्रतीक्षा है।

नई दिल्ली का खादी ग्रामोद्योग भवन

†*१६२४. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १० सितम्बर, १९५८ को खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के दो कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की थी;

(ख) क्या यह भूख हड़ताल अभी चालू है।

(ग) यदि हां तो किन मांगों के लिए यह भूख हड़ताल की गयी थी; और

(घ) उन मांगों के बारे में समझौता कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां। गुरुवार ११ सितम्बर, १९५८ शाम से।

(ख) नहीं जी, १८ सितम्बर, १९५८ को हड़ताल समाप्त हो गयी थी।

(ग) उनकी मांगें बहुत थीं जिनका सम्बन्ध मुख्यतः न्यूनतम मजूरी, छुट्टियां, भविष्य निधि योजनाएं तथा वर्दियों के सम्भरण इत्यादि से सम्बन्धित हैं ;

(घ) खादी ग्रामोद्योग आयोग खादी ग्रामोद्योग भवन के प्राधिकारियों के परामर्श से इस मामले पर विचार कर रहा है।

केरल की तिरुवान्नूर काटन मिल

†*१६२५. **श्री नारायण कुट्टि मेनन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से केन्द्रीय सरकार को केरल की तिरुवान्नूर कॉटन मिल को अपने हाथ में लेने तथा उसकी सहायता करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां। परन्तु वह केवल मिल को अपने हाथ में लेने के लिए ही है।

(ख) और (ग). केरल सरकार ने गिरवी रखे हुये दायित्वों के लिए ५ लाख रुपया पेशगी देकर समझौता करने की बात कही है ताकि मिल के प्रबन्धकों से सरकार प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले। केरल सरकार को सूचित कर दिया गया है कि समझौता होते ही मिल का नियन्त्रण राज्य सरकार को हस्तान्तरित हो जायेगा। इस स्वामित्व के परिवर्तन की सूचना सरकार को देनी होगी ताकि पंजीकरन के प्रमाण पत्र में अपेक्षित संशोधन कर लिया जाये।

परिवहन गत्यावरोध

†*१६२६. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्य **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पर इंजीनियरिंग कार्यों की प्रगति के कारण रेलवे परिवहन में गत्यावरोध बहुत अधिक हो गया बताया जाता है; और

(ख) उन छोटे पत्तनों के नाम क्या हैं, जो कि रेलवे की इस कमी को पूरा करने के लिए विकसित किये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) खड़गपुर-वाल्टैयर, टाटा, भिलाई राजवेंस्वर्ण-गुआ भाग जो कि दक्षिण पूर्व रेलवे पर है।

(ख) करवार, बेलीखेरी, होनावर, मंगलौर और कोचीन जो कि पश्चिमी तट पर स्थित हैं, और कुडालौर, जो कि पूर्वी तट पर है। इन पत्तनों से कुल १,१०,६०० टन की मात्रा में लोह अयस्क का निर्यात किया गया है।

कच्ची फिल्मों का कारखाना

†*१६२७. **श्री राम कृष्ण** :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वोडयार :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :
श्री वारियर :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री तंगामणि :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री हाल्दर :
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्ची फिल्मों के निर्माण के लिए स्थापित किये जाने वाले संयंत्र को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय क्या किया गया है; और

(ग) योजना के अन्य मुख्य अंग क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

नागा विद्रोही

†*१६२८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वाजपेयी :

क्या **प्रधान मंत्री** इस प्रकार का विवरण रखेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) मार्च, १९५८ से ३१ अगस्त, १९५८ तक नागा विद्रोहियों ने कुल कितने आक्रमण किये; और

(ख) कितने लोग हताहत हुए, सम्पत्ति को किस सीमा तक हानि हुई और हानिग्रस्त परिवारों को क्या सहायता दी गयी है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हजारिका)**: इस काल में कोई राजनीतिक लक्ष्य से बड़े पैमाने पर हमला नहीं हुआ। फिर भी छोटे छोटे चोरी डाके के ३८ मामले हुये, हो सकता है इनमें से कइयों का लक्ष्य राजनीतिक हो।

(ख) एक व्यक्ति के मृत्यु के अतिरिक्त कोई हानि नहीं हुई। इन चोरी और डाकों में कुल मिला कर ४०,००० की सम्पत्ति की हानि।हुई हानिग्रस्त प्रत्येक परिवार को २०,१७ रुपये नकद की सहायता दी गयी (चावलों के रूप में दी गयी काफी बड़ी सहायता इसके अतिरिक्त है)।

अलौह धातुएं

†*१६२९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में अलौह धातुओं के आयातकर्ताओं ने जो लाभ कमाया है उसका क्या सरकार के पास उसके बारे में कोई प्राक्कलन है;

(ख) क्या यह सत्य है कि अलौह धातुओं के व्यापार से काफी बड़ा मुनाफा कमाया गया है; और

(ग) इस व्यापार में मुनाफा बाजी को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

तांबे की कीमतें बढ़ने की शिकायत थी और कहा जाता है कि इस व्यापार से भारी नफा कमाया गया ।

स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने संविहित नियन्त्रण करने के लिए २ अप्रैल, १९५८ को अलौह धातु नियन्त्रण आदेश, १९५८ को लागू कर दिया । यह अत्यावश्यक पदार्थ अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत था । इस समय यह आदेश केवल तांबे पर ही लागू होता है । इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार एक नियन्त्रण अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो कि सभी आयात किये हुये तांबे को तांबे के छोटे बड़े सभी यथार्थ उपभोक्ताओं में समान रूप से वितरित कर देता है । इसमें आयात मूल्य पर अधिकतम ३$^1/_2$ प्रतिशत मुनाफा आपातकर्ताओं को मिल सकता है। अलौह धातुओं की स्थिति के सम्बन्ध में सरकार अत्यधिक सचेष्ट है ।

नांगल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†*१६३०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय आन्दोलन से नांगल फर्टिलाइजिंग एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के निर्माण कार्य में बाधा पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). जी हां, परन्तु यह निर्माण कार्य बहुत छोटे छोटे हैं ; अर्थात् :—

(१) एक क्षेत्र में पानी की नालियां डालना; और

(२) दूसरे स्थान में रिहायशी मकानों के लिए सर्वेक्षण करना ।

(ग) इस काम को तीव्र करने के लिए अतिरिक्त श्रमिकों को लगाया गया है ।

मद्यसार का निर्यात

†*१६३१. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लाख गैलन मद्यसार के लिए सरकार विदेशी मण्डी निर्माण करने की सम्भावना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस देश को निर्यात की जायेगी; और

(ग) क्या हमारे देश में मद्यसार का उत्पादन हमारी आवश्यकताओं से अधिक है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां ।

(ख) कुछ देशों को इनके निर्यात की अच्छी सम्भावना है और सरकार उसका प्रबन्ध कर रही है ।

(ग) जी हां, वर्तमान अवस्था में ऐसा ही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमेंट

†१६३२. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी लेखे में कितना सीमेंट नारकंडा और हिमाचल प्रदेश के अन्य स्थानों पर धूप और वर्षा के कारण खराब हो गया है ;

(ख) यह कब से वहां पड़ा था;

(ग) क्या इस सीमेंट को फेंक दिया जायेगा अथवा इसका उपयोग किया जायेगा; और

(घ) अपराधी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) १४१ टन २ हंडरवेट।

(ख) २ साल से लेकर ६ साल तक के समय से।

(ग) जो सीमेंट काम आ सकेगा, उसे इस्तैमाल करने की कोशिश की जायेगी। जिन जमी हुई बोरियों को सीमेंट के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें भराव करने तथा भूमि का कटाव रोकने के काम में लाया जाएगा।

(घ) यह सीमेंट रेलवे आउट एजेन्सी से ही जमी हुई हालत में मिला था। हिमाचल प्रदेश प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल कर रहा है।

विदेशों में चाय का प्रचार

*१६३४. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विदेशों में चाय सम्बन्धी प्रचार कार्य करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : भारतीय चाय के सम्बन्ध में विदेशों में प्रचार तो अब भी चालू है। परन्तु प्रचार के प्रयत्नों को शक्तिशाली बनाने के विचार से आस्ट्रेलिया तथा मिस्र में जन सम्पर्क इकाइयां स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इसी प्रकार के संस्थापन ब्रिटेन में भी स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।

चाय सम्बन्धी शिष्टमंडल भी समय समय पर विदेशों में भेजे जाते हैं।

टीन की प्लेटों की आवश्यकता

†*१६३५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टीन की प्लेटों के सम्बन्ध में भारत की आवश्यकताओं का हाल ही में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा की आवश्यकता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) देशी उत्पादन से किस सीमा तक यह आवश्यकता पूरी होती है;

(घ) १९५७ और १९५८ में अब तक कितनी मात्रा में आयात हुआ है; और

(ङ) भारत को इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भर करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). हाल ही में कोई अनुमान नहीं लगाया गया । कुछ समय पूर्व अवश्य यह अनुमान लगाया गया था कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक हमारी आवश्यकता १,५०,००० टन वार्षिक होगी ।

(ग) देश में १९५६ में उत्पादन ७१,७९४ टन था और १९५७ के बीच ६५,०६७ टन हो गया । जुलाई १९५८ तक यह ३२,१९३ टन था ।

(घ) १९५७ में २८,७७७ टन टीन की प्लेट का आयात हुआ और अगस्त १९५८ में यह २०,३८२ टन हो गया ।

(ङ) टीन की प्लेटों के उत्पादन के लिये दो सार्थों को संयंत्र लगाने की अनुमति दी गयी ।

कानपुर की कपड़ा मिलों का वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण

†*१६३६. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एक मिल-मालिकों ने सरकार से उत्तर प्रदेश की कपड़ा मिलों के अभिनवीकरण की अनुज्ञा मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) नहीं, जहां तक भारत सरकार को मालूम है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†*१६३६-क. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने एक फर्म को चार वर्ष तक छः लाख टन लौह अयस्क सप्लाई करने का ठेका दिया है;

(ख) राज्य व्यापार निगम बनने से पूर्व उक्त फर्म के पास कितना अभ्यंश था; और

(ग) एक ही फर्म को इतना अधिक अभ्यंश देने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). दीर्घ काल तक लौह अयस्क का संभरण करने के ठेके राज्य व्यापार निगम खान मालिकों को देता है । इस प्रकार के ठेके जजपुर, बदमपहार और बाराजम्दा क्षेत्रों में खान मालिकों को यह देखते हुए दिये गये हैं कि क्या वे पूरी गाड़ी भर सकते हैं या नहीं । इन समवायों के पास उस समय, जब ये स्वयं लौह अयस्क का निर्यात करते थे, के अभ्यंश का इस सम्भरण से कोई सम्बन्ध नहीं जो इन से अब प्राप्त किया जाता है । प्रत्येक ठेके का ब्योरा बताना निगम के व्यापार के लिये हितकर नहीं होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

श्रमिक समितियां

†*१६३७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १९ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में श्रमिक समितियों के कार्य संचालन को देखने के लिये कोई अध्ययन दल नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन दल ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक किस प्रकार का कार्य किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) प्रस्तावित अध्ययन दल अभी नियुक्त नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†*१६३७-क. {**श्री वि० च० शुक्ल :**
श्री पाणिग्रही :}

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड की लौह अयस्क खरीदने की नीति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास कोई अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख) जी हां।

(ग) बिहार सरकार को सही हालत बताते हुए एक उत्तर भेज दिया गया है।

केन्द्रीय सूचना सेवा

†*१६३८. {**श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वाजपेयी :
श्री जगदीश अवस्थी :}

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ३ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा सम्बन्धी नियमों के बारे में अन्तिम निर्णय हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या नियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) एक अन्तर्विभागीय बैठक में नियमों के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है और संघ लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त हो चुकी है। नियम शीघ्र ही गजट में अधिसूचित हो जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यद्यपि इसकी आवश्यकता नहीं है तथापि इनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जा सकती है ।

सीमेंट उद्योग

†*१६३९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट उत्पादकों को दिये जाने वाले सीमेंट के मूल्य में १९५८ में जिस वृद्धि की घोषणा की गई उसके फलस्वरूप सीमेंट उद्योग को अनुमानतः कितनी अतिरिक्त आय होगी; और

(ख) दर में वृद्धि करने की तिथि को कारखानों में सीमेंट का कितना स्टाक था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) २·८३ करोड़ रुपये ।

(ख) १,१७,४९८ टन ।

मध्य क्षेत्रीय परिषद्

†*१६४०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद् ने यह संकल्प पारित किया कि क्षेत्र (ज़ोन) में कार्यान्वित की जा रही सभी विद्युत विकास योजनाओं को द्वितीय पंच वर्षीय योजना का महत्वपूर्ण अंग बना दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इस प्रार्थना पर विचार किया है; और

(ग) इसके क्या परिणाम रहे ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण सभी विद्युत परियोजनाओं को योजना का महत्वपूर्ण अंग बनाना सम्भव नहीं है ।

दिल्ली में भूमि का अर्जन

†*१६४१. **श्री तंगामणि** :
श्री शि० ला० सक्सेना :
श्रीमती सुचेता कृपलानी :
श्री जाधव :
श्री झूलन सिंह :
श्री हेम राज :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि १९५७ के प्रारम्भ में नई दिल्ली में फैक्टरी रोड पर एक आवास योजना के लिये सर्वोद्या सहकारी गृह निर्माण संस्था, नैशनल इंशोरेंस और सनलाइट इंशोरेंस कम्पनियों की भूमि अर्जित कर ली गई;

(ख) क्या भूमि अर्जन पदाधिकारी ने इन का प्रतिकर निर्धारित कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) प्लाटों के मालिकों को प्रतिकर का भुगतान कब किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास और सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी हां, उनकी कुछ भूमि सरकार ने अर्जित कर ली।

(ख) से (घ). रिंग रोड के दक्षिण की ओर की कुछ भूमि का प्रतिकर निर्धारित हो गया है और घोषित कर दिया गया है। शेष भूमि के प्रतिकर की घोषणा अक्तूबर, १९५८ में हो जायेगी। जहां बहुत से दावेदारों को प्रतिकर देना होता है उसमें काफी समय लगता है। इसमें अधिक विलम्ब का एक कारण यह भी था कि कुछ दावेदार भारत से बाहर थे।

दरभंगा में औद्योगिक बस्ती

†*१६४२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में दरभंगा स्थान पर औद्योगिक बस्ती बसाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) वहां बस्ती बसाने में और कितना समय लगेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) लोहे और इस्पात की कमी के कारण दरभंगा की औद्योगिक बस्ती में शैडों के निर्माण में विलम्ब हो गया।

(ख) आशा है कि औद्योगिक बस्ती में दिसम्बर, १९५८ से कार्य आरम्भ हो जायेगा।

छावनी बोर्डों के कर्मचारी

†*१६४३. **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :
श्री वारियर :
श्री कोडियान :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है कि छावनी बोर्डों के कर्मचारियों की सारी मांगें एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंप दी जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). विषय विचाराधीन है।

लोक नृत्य

†२७४२. **श्री पांगरकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और गुजरात के लोक नृत्यों के बारे में कोई प्रलेख चित्र तैयार किया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). केवल महाराष्ट्र और गुजरात के लोक नृत्यों के बारे में अभी तक कोई प्रलेख चित्र तैयार नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हथकरघा उद्योग

†२७४३. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में भारत के हथकरघा उद्योग में कुल कितने मूल्य के धागे की खपत हुई; और

(ख) उक्त अवधि में हथकरघा उद्योग के उत्पादों का अनुमानतः कितना मूल्य था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) अनुमान लगाया गया है कि १९५७-५८ में हथकरघा उद्योग में धागे के ९,४३,७८० गट्ठों की खपत हुई जिनका मूल्य ८६ करोड़ रुपये है ।

(ख) १५०.८ करोड़ रूपये ।

स्थानीय विकास कार्य

†२७४४. **श्री मं० वे० कृष्ण राव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५७-५८ में आंध्र प्रदेश सरकार को स्थानीय विकास कार्यों के लिये कितनी राशि आवंटित की गई और उसमें से कितनी खर्च की गई ;

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : १९५७-५८ में आवंटित की गई ४९.७२ लाख रुपये की राशि में से वास्तव में ४८.७९ लाख रुपये खर्च किये गये ।

दिल्ली दुकान तथा संस्थापन अधिनियम

†२७४५. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुकान संस्थापन अधिनियम, १९५४ की धारा १५ में संशोधन करने के लिये कार्यवाही की जा रही है जिससे कार्य का समय १० बजे प्रातः से ८ बजे सायंकाल निश्चित हो जाये जिसमें १ से ३ तक दूकानें बन्द रहें ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं;

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां

†२७४६. { **श्री वाजपेयी** :
श्री उ० ल० पाटिल :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में सरकार ने जो दो युनिट के दो मंजिल वाले मकान बना कर अलग-अलग परिवारों को दिये उन में यदि कोई एक मंजिल वाला मकान है तो उसका कुल क्षेत्रफल कितना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : दिल्ली में हजारों मकान बनाये गये। प्रायः ये मकान २०० वर्ग गज़ के प्लाटों पर बनाये गये हैं। "सस्ते मकान योजना" के अन्तर्गत एक प्लाट का क्षेत्रफल १०० वर्ग गज़ है। लगभग ९ वर्ष पूर्व आवंटन आरम्भ हुआ था। यह कई देर तक होता रहा। यदि किसी विशेष क्षेत्र के बारे में, जहां दो अलग-अलग परिवारों को आवंटन किया गया हो, प्रश्न पूछा जाये तो जानकारी एकत्र करने का प्रयत्न किया जायेगा।

आकाश वाणी

†२७४७. **श्री भगावन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नेपाल के लिये आकाशवाणी से एक कार्यक्रम प्रसारित करने का विचार कर रही है; और

(ख) प्रस्तावित कार्यक्रम और अकाशवाणी के फौजी भाइयों के कार्यक्रमों में वर्तमान गोरखाली कार्यक्रम के बीच क्या सम्बन्ध होने की सम्भावना है?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) जी नहीं; परन्तु सरकार नेपाली भाषा में एक कार्यक्रम आरम्भ करने के बारे में विचार कर रही है।

(ख) यह कार्यक्रम, वर्तमान गोरखाली कार्यक्रमों, जो केवल सेना के लिये होते हैं, के अतिरिक्त होगा।

आन्ध्र में लघु उद्योगों के लिये इस्पात

†२७४८. **श्री म० वें० कृष्ण राव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक लघु उद्योगों के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कितने इस्पात की मांग की है; और

(ख) केवल इसी अवधि में कितना इस्पात आवंटित किया गया?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख).

	मांगी गई मात्रा	आवंटित मात्रा
	टन	टन
१९५८-५९ (अप्रैल-सितम्बर) . . .	५,०००	२,३७६

शराब के लाइसेंस

†२७४९. **श्री वि० चं० प्रधान** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में शराब के निर्यात और आयात के कुल कितने लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) भारत सरकार को उस से कुल कितनी आय हुई; और

(ग) उक्त अवधि में कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में कुल कितने रुपये की शराब की मांग थी?

†मूल अंग्रेजी म

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) क्योंकि शराब के निर्यात पर कोई नियंत्रण नहीं है इसलिये निर्यात के लिये लाइसेंस जारी करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। लाइसेंस सम्बन्धी आंकड़े अवधि के अनुसार रखे जाते हैं। लाइसेंस देने की गत तीन अवधियों में शराब के आयात के लिये दिये गये लाइसेंसों की संख्या निम्नलिखित है :

जनवरी-जून, १६५७ . . .	६७
जुलाई-सितम्बर, १६५७ . . .	१
अक्तूबर '५७—मार्च '५८	६५
कुल . .	१६३

(ख) ३,६२,००० रुपये ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

पशु-पालन कार्यक्रम

†२७५०. पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रतिवेदन में पशु उद्योग से १००० करोड़ की वार्षिक आय का हिसाब लगाया गया जबकि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रतिवेदन में ६६४ करोड़ का हिसाब लगाया गया है;

(ख) दोनों प्रतिवेदनों में किन आधारों पर हिसाब लगाया गया है;

(ग) यदि दोनों में आधार एक ही है तो इतनी अधिक कमी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) १६५६ के आंकड़ों से पता चलता है कि दूध का उत्पादन ५ करोड़ मन प्रति वर्ष कम हो गया है तो इसे देखते हुए पशु उद्योग से वार्षिक आय क्या है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) से (घ). केन्द्रीय सांख्यकी संस्था के राष्ट्रीय आय यूनिट से यह जानकारी मांगी गई है ।

. . .

मनीपुर में आरे और होज़री के कारखाने

†२७५२. श्री लें० अचौ सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५८-५६ के लिये बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार मनीपुर में आरा लगाने और होज़री का कारखाना खोलने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) प्रत्येक योजना के लिये कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड

†२७५३. { श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चरखी दादरी सीमेंट कारखाने का विस्तार कार्यक्रम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो विस्तार कार्यक्रम किस प्रकार का था ; और

(ग) इस विस्तार के फलस्वरूप सीमेंट का कुल कितना उत्पादन होगा ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) विस्तार से अधिष्ठापित क्षमता ७०,००० टन से बढ़ कर २,३५,००० टन वार्षिक हो गई ।

(ग) २·३ लाख टन वार्षिक, परन्तु इस शर्त पर कि बिजली की आवश्यकता पूरी हो जाये ।

विदेशी व्यापार मिशन

†२७५४. { श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से व्यापारिक सम्पर्क बढ़ाने के लिये १९५७–५८ और १९५८-५९ में अब तक कितने विदेशी व्यापार मिशन भारत आये ; और

(ख) इन से क्या लाभ हुआ (मिशनवार) ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८२]**

उद्योगों का विकास

†२७५५. श्री राम कृष्ण : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक पंजाब के उद्योगों के विकास के लिये आवंटित की गई राशि में से राज्य के पिछड़े वर्गों के विकास के लिये कोई राशि खर्च की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं है । इसके बारे में राज्य सरकार से पता लगाया जा रहा है ।

पंजाब में समवाय अधिनियम का उल्लंघन करने वाले समवाय

†२७५६. श्री राम कृष्ण : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कितने और किन-किन समवायों के बारे में समवाय अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने की शिकायत मिली ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). एक विवरण, जिसमें जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८३]**

रासायनिक उद्योग

†२७५७. { **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में रासायिनक उद्योगों के विकास तथा उत्पादन की योजनाओं के बारे में अन्तिम निर्णय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). रासायनिक उद्योगों, जिन में औषधियां तैयार करना, प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक औज़ार और सामान भी शामिल है, की योजनायें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं और सरकार उनके उपयोगों को देखते हुए उन्हें स्वीकृत भी कर देती है। रूस की वित्तीय और टैक्नीकल सहायता से संश्लेषित भेषण, विटामिन, सर्जिकल सामान आदि तैयार करने की एक बहुत बड़ी योजना पर विचार किया जा रहा है।

पंजाब में नये उद्योग

†२७५८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य में भाखड़ा से बिजली की सप्लाई आरम्भ होने से पहले उद्योग आरम्भ करने की योजना पर विचार किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). सरकारी सैक्टर में नंगल उर्वरक और भारी पानी का कारखाना भाखड़ा से सप्लाई होने वाली बिजली का प्रयोग करेंगी। भाखड़ा से प्राप्त होने वाली बिजली के आधार पर गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योग चालू करने की कोई योजना नहीं है।

भारत का मजूरी नकशा

†२७५९. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री संगण्णा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ४ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत का "मजूरी नकशा" तैयार करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) "मजूरी नकशा" तैयार करने के लिये पहली कार्यवाही यह की जा रही है कि मजूरी गणना और परिवारों के बजट सम्बन्धी पूछ-ताछ आरम्भ कर दी गई है ।

फ्रेंच टोगोलैंड

†२७६०. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्रेंच टोगोलैंड के बारे में न्यास परिषद् के हाल ही के प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बात क्या हैं ;

(ख) इस मामले में भारत सरकार ने अन्य सरकारों की सहायता से क्या कार्य किया ; और

(ग) इस प्रतिवेदन के बारे में टोगोलैंड के लोगों की क्या राय है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) न्यास परिषद ने अभी फ्रेंच टोगोलैंड के प्रश्न पर विचार नहीं किया है । शायद अक्तूबर में करेगा ।

(ख) भारतीय शिष्टमंडल की सदा यही कोशिश रही है कि टोगोलैंड को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाये जोकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी उपबन्धित है ।

(ग) आशा है कि हाल ही में निर्वाचित विधान सभा अक्तूबर, १६५८ में होने वाले न्यास परिषद् के विशेष सत्र में अपनी राय व्यक्त कर देगी । बाद में, महासभा भी अपने चालू सत्र में इस प्रश्न पर विचार करेगी ।

हस्तिनापुर बस्ती

†२७६१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हस्तिनापुर बस्ती के निवासियों की रिहायश, किराये और रोजगार सम्बन्धी शिकायतें दूर करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : बस्ती में रिहायश के स्थान की कमी नहीं है वहां अब भी कुछ मकान खाली हैं । वहां बसाये गये विस्थापित व्यक्तियों के आर्थिक हालत अच्छी न होने के कारण किराया पहले ही कम निश्चित किया गया है । इसके अतिरिक्त किराया वसूल करते समय काफी ध्यान रखा जाता है ताकि जो लोग वास्तव में किराया नहीं दे सकते उन्हें कठिनाई न हो । बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकार वहां व्यापार और नये उद्योग आरम्भ करने का प्रयत्न करती रही है । १७७ परिवारों को २.८ लाख रुपये के ऋण दिये गये हैं ।

एक चीनी का कारखाना खोलने की योजना हाल ही में स्वीकृत की गई है जिससे ८०० विस्थापित व्यक्तियों को रोज़गार मिल जायेगा ।

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

२७६२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५८ में अब तक पंजाब के विभिन्न स्थानों पर कुल कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन आये ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने "वीसा" की अवधि बढ़ाई गई थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १ जनवरी, १९५८ से ३१ अगस्त, १९५८ के बीच २,९०५ पाकिस्तानी राष्ट्रजन पंजाब में आये।

(ख) ८३

(ग) ५८

आणविक ईंधन तैयार करने वाला संयंत्र

†२७६३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अणु शक्ति आयोग के अधीन आणविक ईंधन संयंत्र के निर्माण के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : ईंधन बनाने वाले संयंत्र के लिये इमारत बनाई जा रही है और आशा है कि इस वर्ष नवम्बर के मध्य में वह तैयार हो जायेगी। संयंत्र के जिस सामान की जरूरत है उसमें से काफी वहां पहुंच गया है और शेष अगले मास पहुंच जायेगा। जून, १९५८ में संयंत्र में उत्पादन शुरू हो जायेगा।

आस्ट्रेलिया में भारतीय राष्ट्रजन

†२७६४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आस्ट्रेलिया में कितने भारतीय राष्ट्रजन रहते हैं ;

(ख) क्या आस्ट्रेलिया में इस समय रहने वाले भारतीयों को रंगभेद संबंधी प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ता है ;

(ग) क्या वहां के भारतीयों का रहन-सहन का स्तर उचित प्रकार का है ; और

(घ) क्या आस्ट्रेलिया में प्रव्रजन करने वालों को नागरिकता प्राप्त करने के संबंधों में आवश्यक सुविधायें प्रदान की जाती हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १९५४ की जनगणना के आंकडों के अनुसार ८८७। इन आंकड़ों में वह व्यक्ति शामिल नहीं हैं जो भारतीय राष्ट्र-जन हों लेकिन जिन्होंने कुछ कारण-वश जनगणना की अनुसूचि में अपने आपको 'ब्रिटिश' लिखा रखा हो।

(ख) ऐसी कोई घटना हमारी निगाह में नहीं आई।

(ग) सामान्यतया, हां।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि आस्ट्रेलिया को भारतीयों का प्रव्रजन नहीं हुआ है।

दर्शन उपकरणों[1] का आयात

†२७६५. { **श्री हीं० ना० मुकर्जी** :
श्री हाल्दर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक शिक्षा न्यास के तत्वावधान में कलकत्ते में एक जाइस कृत्रिम नक्षत्र मंडल[2] स्थापना में आवश्यक दर्शक यंत्रों के आयात में कठिनाई के कारण विलम्ब हो रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।
[1]Optical Instruments.
[2]Zeiss Planetarium.

(ख) यदि हां, तो क्या शिक्षा-सम्बंधी इन वस्तुओं के आयात के लिये लाइसेंस देने में शीघ्रता की जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ईंटों के भाव

†२७६६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि ईंट-निर्माताओं को कोयला नियंत्रित मूल्यों पर दिया जाता है, ईंटों के भावों पर नियंत्रण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अलौह धातुयें

†२७६७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोलिंग मिलों में वर्ष में कुल कितनी अलौह धातुओं की खपत होती है ; और

(ख) इसमें कामानी ग्रुप और बिनानी ग्रुप का अंश कितना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८४]**

चीनी और गुड़ का उत्पादन

†२७६८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताड़ के इस चीनी और गुड़ के मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाने की संभावना पर विचार किया गया है ; और

(ख) इस उद्योग के लिये देश में कितने प्रशिक्षण-केन्द्र कार्य कर रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी नहीं ।

(ख) पश्चिमी बंगाल, बम्बई, केरल और मैसूर को छोड़कर, जहां से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, १९५६-५७ में देश में १,०३३ प्रशिक्षण केन्द्र काम कर रहे थे । १९५७-५८ के पूरे आंकड़ों की भी संगणना अभी नहीं हो पाई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा की औद्योगिक उत्पादन यूनिट

†२७६९. **श्री दसरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा की औद्योगिक उत्पादन यूनिट ने उन पुलिस बूटों का उत्पादन कर देने का प्रस्ताव किया था जिनकी त्रिपुरा प्रशासन को आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये उन्हें कोई आर्डर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) इस यूनिट ने कोई टेंडर तो नहीं भेजा था लेकिन जूतों के संभरण के संबंध में कुछ लिखा-पढ़ी की थी।

(ख) और (ग). आर्डर नहीं दिया जा सका क्योंकि इन जूतों को घटिया समझा गया था और तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये शीघ्र डिलीवरी देने की गारंटी देने में यह यूनिट असमर्थ रही। यूनिट ने जो मूल्य बताये थे वह भी आकर्षक नहीं थे।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम

†२७७०. **श्री जाधव** : क्या **योजना** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम को क्रियान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम २० जुलाई, १९५४ को लागू हुआ। पंजाब उच्च न्यायालय ने उसका क्रियान्वय रोक दिया था। स्थगन आदेश ६ अप्रैल, १९५६ को रद्द किया गया। ३१ जुलाई, १९५८ तक की प्रगति का विवरण इस प्रकार है :—

उन गांवों की संख्या जिनमें भूमिधारी अधिकारों की घोषणा होती है	३०६
उन गांवों की संख्या जिनमें भूमिधारी अधिकारों की घोषणा हो चुकी है	१४४
उन भूतपूर्व भूस्वामियों की संख्या जो भमिधर घोषित किये गये हैं	१३,२५५
उन काश्तकारों की संख्या जो भूमिधर घोषित किये गये हैं	७,९५०
उन काश्तकारों की संख्या जो आसामी घोषित किये गये हैं .	८५
उन हरिजन काश्तकारों की संख्या जो भूमिधर घोषित किये गये हैं .	३००
उस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जिसमें भूमिधर और आसामी के अधिकारों की घोषणा की गयी है	४३८०३२ बीघा

विस्थापित व्यक्तियों के लिये अस्पताल

†२७७१. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य के विभिन्न अस्पतालों में विस्थापित व्यक्तियों के लिये कुछ शैयायें रखने के लिये वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि समूचे पश्चिमी बंगाल राज्य में तपेदिक के मरीजों की ३००० शैयाओं में से ३७ प्रतिशत शैयायें पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों से घिरी हुई हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या का सामना करने और राज्य के विस्थापित व्यक्तियों के लिये पर्याप्त अस्पताल-संबंधी सुविधायें उपलब्ध करने के लिये कुछ कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो वह क्या हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नस्कर) :** (क) जी हाँ ।

(ख) राज्य सरकार ने यह संकेत किया है कि अस्पतालों में रोगियों की गणना से यह पता चला है कि तपेदिक के रोगियों वाली ३५ प्रतिशत (३७ प्रतिशत नहीं) शैयायें विस्थापित व्यक्तियों द्वारा घिरी हुई हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के लिये उपलब्ध मौजूदा अस्पताल-संबंधी सुविधाओं का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८५]**

छोटे पैमाने के उद्योग

†**२७७२. श्री हेमराज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये बिजली की दरें कम करने के प्रश्न का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में शीघ्रता के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८६]**

मोटरों के टायर

†**२७७३. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटरों के निम्नलिखित आकार के टायरों का देश में वार्षिक उत्पादन कितना है :

(१) ८·२५×२०
(२) ९·२५×२०
(३) १०·२५×२०

(ख) ये टायर १४ या अधिक परतों वाले बनते हैं ;

(ग) पिछले दो वर्षों में इन नापों के टायरों की अनुमानित खपत कितनी रही और आगामी पांच वर्षों में इनकी कितनी आवश्यकता पड़ेगी ; और

(घ) यदि इनकी कुछ कमी हो तो उसे पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) से (ग). जिन नापों का उल्लेख किया गया है उनमें से केवल ८·२५×२० नाप के टायर देश में बनते हैं । कई अन्य नापों के टायरों का भी उत्पादन होता है, जिन में (१) ९·२५×२० और (२) १०·२५×२० नाप के टायर भी शामिल हैं । ये १० और १२ परतों वाले बनते हैं, पर अधिक परतों वाले नहीं बनते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटरों के टायरों का उत्पादन लगभग १० लाख है। अलग-अलग नापों के टायरों के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) टायर-निर्माता अपने मौजूदा उपकरणों से १४ या अधिक परतों वाले टायर बना सकते हैं, बशर्ते उनकी पर्याप्त मांग हो।

आसाम में विस्थापित व्यक्ति

२७७४. { **श्री हाल्दर :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के कामरूप जिले में बड़ी संख्या में शरणार्थियों के मकान हाथियों की मदद से गिरवा दिये थे;

(ख) यदि हां, तो क्यों ; और

(ग) उन परिवारों को, विशेष रूप से बरसात के इस मौसम में, बसाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) आसाम सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के दस खाली मकानों को, जिन्होंने कामरूप जिले के सुबनखाता के सुरक्षित चरागाह में अनधिकृत रूप से जमीन हथिया ली थी, हाथियों की मदद से गिरवा दिया था।

(ख) सरकार को यह कार्यवाही इसलिये करनी पड़ी कि काफी नोटिस दिये जाने पर भी ये परिवार हथियाई गयी जमीन पर से हटने को तैयार नहीं थे।

(ग) इन बेदखल परिवारों को बसाने के लिये कामरूप ज़िले के मलायबाड़ी सुरक्षित चरागाह के एक अंश को असुरक्षित घोषित किया जा रहा है। इन परिवारों को १,९७४ रुपये निःशुल्क सहायता और ६००० पये कृषि संबंधी ऋण के रूप यें दिये जा चुके हैं।

लौह अयस्क का निर्यात

†२७७५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक देश को कुल कितने मूल्य के कितने-कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया है; और

(ख) क्या इस संबंध में योजना के लक्ष्यों से अधिक निर्यात किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८७]**

(ख) जी हां।

गोआ

†२७७६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हेग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के खिलाफ पुर्तगाल के मुकदमे की सुनवाई किस दिन होने वाली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पुर्तगाल सरकार ने अपना उत्तर २५ जुलाई, १९५८ का दाखिल किया था और हमें अपना प्रत्युत्तर २५ नवम्बर, १९५८ तक दे देना है। सुनवाई की तारीख न्यायालय हमारा उत्तर दाखिल होने के बाद तय करेगा।

जन सहयोग केन्द्र

†२७७७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **योजना** मंत्री २७ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या इस बीच सामुदायिक विकास क्षेत्रों और बाहर के स्थानों में ५० जन सहयोग केन्द्रों की स्थापना के लिये भारत सेवक समाज की पुनरीक्षित योजना आ गयी है और सरकार ने अन्तिम रूप से उसका अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम रूप से अनुमोदित योजना किस प्रकार की है ; और

(ग) इन केन्द्रों की स्थापना के लिये कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (ग). सरकार द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित योजना की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८८]**

यह निश्चय किया गया है कि जन सहयोग क्षेत्रों की स्थापना के लिये एक प्रावस्था-भाजित कार्यक्रम अपनाया जाय, और पहली बार में कार्य २५ क्षेत्रों में आरम्भ किया जाय और प्रत्येक क्षेत्र पीछे सरकारी सहायता ५००० रुपयों तक सीमित रहे। क्षेत्रों का आरम्भ सहयोगियों के पहले जत्थे के प्रशिक्षित हो लेने के बाद ही किया जायेगा लेकिन जहां अनुभव प्राप्त कर्मचारी मौजूद हों वहां क्षेत्रों में कार्य तत्काल ही आरम्भ किया जा सकता है।

यह भी निश्चय किया गया है कि यदि भारत सेवक समाज इस के लिये तैयार हो तो उन से पहले २५ क्षेत्रों की स्थापना करने को कहा जाय। इस बात का निश्चय भारत सेवक समाज पर ही छोड़ दिया गया है कि अनुभव-प्राप्त कर्मचारियों की उपलब्धता का ध्यान रखते हुए वे क्षेत्रों की स्थापना के स्थान स्वयं चुन लें। फिर भी, जन सहयोग के क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य अखिल भारतीय गैर-सरकार, गैर-राजनीतिक ऐच्छिक संगठनों का ध्यान इस योजना की ओर आकृष्ट किया जा रहा है। यदि उन से कोई आवेदन प्राप्त हुआ तो उस पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

काम दिलाऊ दफ्तर

†२७७९. **श्री रा० च० माझी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५७ से ३० जून, १९५८ तक काम दिलाऊ दफ्तरों में कुल कितने अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों ने अपने नाम लिखवाये ; और

(ख) उन में से कितनों के लिये रोजगार की व्यवस्था हो गयी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ९२,३४८।

(ख) ७,७९४।

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

†२७८०. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से आये कितने विस्थापित परिवारों को (१) गृह-निर्माण ऋण; (२) कृषि ऋण; और (३) छोटे व्यापारिक ऋण दिये गये हैं; और उन की राशि कितनी-कितनी है;

(ख) पूर्वी पाकिस्तान से आये कितने विस्थापित परिवारों को उपर्युक्त ऋण मिले हैं; और

(ग) इस में कितनी राशि लगी ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) से (ग). यह जानकारी इस मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदनों में दी हुई है और इन की प्रतियां सभी संस -सदस्यों को उपलब्ध हैं।

जिरकोन[1]

†२७८१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिरकोन भारत में उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, ो किन स्थानों में ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां।

(ख) पश्चिमी और पूर्वी तट के किनारे की बालुका में और बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के भीतर के निक्षेपों में जिरकोन के विशाल भाण्डार उपलब्ध हैं।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

†२७८२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज अयस्क के लिये सरकार ने एक मुश्त ठेके कर लेने का नया तरीका अपनाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस नयी नीति के क्या कारण हैं; और

(ग) छोटे निर्यात करने वालों पर इस नीति का क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) सरकार ने कोई नया तरीका नहीं निकाला है। राज्य व्यापार निगम अमरीका के वस्तु उधार निगम से अदला-बदली के सौदे के संबंध में बात-चीत कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Zircon.

(ख) अमरीका और योरूप में इस्पात के उत्पादन में कमी होने के कारण मांग में कमी और अन्य कारणों से ।

(ग) सभी निर्यात करने वालों को (जिन में छोटे निर्यात करने वाले भी शामिल हैं) लाभ होना चाहिये ।

पीयान नदी में भारतीय मछुए

†२७८३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी अधिकारियों ने पीयान नदी में एक भारतीय मछुए को गिरफ्तार किया है;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने उस नदी में मछली पकड़ने के पूर्ण अधिकारों की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारत का क्या दृष्टिकोण है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) पाकिस्तान ने पीयान नदी के पूरे पाट पर अपने अधिकार का दावा किया है । यह नदी खासी और जैन्तियां पहाड़ियों (आसाम) और सिलहट (पूर्वी पाकिस्तान) सीमा पर लगभग सात मील की दूरी तक भारत-पाक सीमा का काम करती है । सीमा का यह अंश विवाद-ग्रस्त रहा है और भारत का दावा है कि सीमांकन होने तक खासी जैन्तियां पहाड़ियों और सिलहट के डिप्टी कमिश्नरों के १९५१ और १९५२ के करारों के अनुसार सभी प्रयोजनों के लिये पीयान नदी के बीच की धारा ही वस्तुतः सीमा का काम करेगी ।

भूमि सुधार

२७८४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ के बाद से प्रत्येक राज्य में भूमि सुधार की जो कार्यवाही की गई है उस के फलस्वरूप भारत के प्रत्येक राज्य के मध्यवर्त्तियों को प्रतिकर और पुनर्वास सहायता के रूप में कुल कितनी राशि दी गयी है;

(ख) कुल कितनी राशि **उनको देय है**; और

(ग) संबंधित काश्तकारों और राज्यों का अंशदान कितना है ?

†**योजना उप मंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८९]**

जेटा और सुपर जेटा[1]

†२७८५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "जेटा" और "सुपर जेटा" के सम्बन्ध में भारत में प्रयोग आरम्भ किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Zeta and Super Zeta.

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बेरिलियम आक्साइड[1]

†२७८६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बेरिलियम आक्साइड पैदा करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारत ने अपने प्रयोग और निर्यात के लिये इसकी कितनी मात्रा का उत्पादन किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए बेरिलियम आक्साइड उत्पादित करने के लिये संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव फिलहाल रद्द कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

२७८७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी बंगलौर में १९५८–५९ में अभी तक कुल कितनी मशीनें बनाई गई हैं; और

(ख) कितनी किस्म की मशीनें बनाई गई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) १ अप्रैल, १९५८ से ३१ अगस्त १९५८ तक फैक्टरी में १७६ मशीनें बनाई गई थीं ।

(ख) (१) खराद १००० मिलीमीटर केन्द्र दूरी
(२) खराद १००० मिलीमीटर केन्द्र दूरी
(३) क्षैत्रिज[2] मिलिंग मशीन, साइज २
(४) उदग्र[3] मिलिंग मशीन, साइज २
(५) सार्वत्रिक[4] मिलिंग मशीन, साइज २

भारत गोआ सीमा पर घटनायें

†२७८८. **सरदार इकबाल सिंह**: क्या प्रधान मंत्री १९५८ में अभी तक सीमावर्ती तथा अन्य घटनाओं के सम्बन्ध में गोआ में पुर्तगाली अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विरोध पत्रों का विवरण बताने की कृपा करेंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : ८ अगस्त, १९५८ को पुर्तगाली पुलिस ने सीमा से लगभग २०० गज दूर कुन्टा में सड़क पर स्थित भारतीय चौकी की ओर रायफलों और स्टेनगनों से कई बार गोलियां चलाईं । भारतीय पुलिस ने बदले में कोई गोली नहीं

†मूल अंग्रेजी में

[1]Beryllium Oxide.
[2]Horizontal.
[3]Vertical.
[4]Universal.

चलाई। ब्राजील दूतावास की मार्फत हमने इस घटना के बारे में पुर्तगाली अधिकारियों के समक्ष विरोध प्रदर्शित कर दिया है।

हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात

†२७८९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हस्त शिल्प की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या विवरण है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख) हस्त शिल्प की वस्तुओं के निर्यात का संवर्द्धन करने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(१) अखिल भारत हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा एक वाणिज्यिक जानकारी और सूचना केन्द्र आरम्भ किया गया है।

(२) बोर्ड विदेशों में हस्तशिल्प की वस्तुओं के खपत की संभावना निर्धारित कर रहा है।

(३) विदेशों में प्रदर्शिनियां, प्रज्ञापन कक्षों और व्यापार केन्द्रों में वस्तुओं की सजावट द्वारा प्रचार की व्यवस्था की जा रही है।

(४) भारत से विदेशों को भेजी जाने वाली वस्तुओं की अनुसूची में विदेशों के साथ किये गये समझौतों में हस्तशिल्प की वस्तुयें सम्मिलित की गयी हैं।

(५) उत्पादन का विकास करने और विदेशों में बाजार ढ़ंढ़ने के लिये अप्रैल, १९५८ में भारतीय हस्तशिल्प विकास निगम नामक एक सरकारी कम्पनी स्थापित की गई है।

नारियल जटा जांच समिति

†२७९०. **श्री सरजू पांडे**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नारियल जटा योजनाओं की सफलता का परीक्षण करने के लिये नारियल जटा जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :क) और (ख). केरल में नारियल जटा विकास सम्बन्धी योजनाओं के बारे में एक अन्तकालीन प्रतिवेदन समिति ने प्रस्तुत कर दिया है। यह प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है। जांच समिति का अन्तिम प्रतिवेदन दो महीने में प्राप्त होने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अशोक होटल

२७९१. श्री जगदीश अवस्थी : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक होटल में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) इन कर्मचारियों के वेतन के रूप में कितना मासिक व्यय होता है ;

(ग) १००० रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी हैं ;

(घ) कितने विदेशी किन-किन पदों पर काम कर रहे हैं ; और

(ङ) ३१ जुलाई, १९५८ तक कुल कितने विदेशी इस होटल में ठहरे ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) १ सितम्बर, १९५८ को अशोक होटल में १,०९६ कर्मचारी थे ।

(ख) अगस्त १९५८ के लिये वेतन व मज़दूरी बिल ८७,८८८,४६ रुपये था ।

(ग) चार ।

(घ) होटल में सात विदेशी काम कर रहे हैं । उनमें से एक मुख्य रसोइया दूसरा भोजन और पेय पदार्थों का मैनेजर और बाकी पांच रसोइये हैं ।

(ङ) कुल ९२,२०४ मेहमान रात्रियों में से ७१,६१० या ७७.६६ प्रति शत मेहमान रात्रियां विदेशियों ने बिताईं ।

समाचार पत्रों के 'फ़्री लांस' फोटोग्राफर

†**२७९२. श्री जगदीश अवस्थी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'फ्री लांस' समाचारपत्र फोटोग्राफरों की सुविधाओं के सम्बन्ध में हाल ही में "फ्री लांस न्यूज फोटो ग्राफर्स ऐसोसियेशन", नई दिल्ली की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बंगलौर की आबादी

†**२७९३. श्री केशव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार के सरकारी सांख्यिक ने यह बताया है कि बंगलौर सिटी की १९५७ में अनुमानित जनसंख्या ११,७६,००० थी और १९५८ में १२,५४,००० है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त कथन की जांच पड़ताल की है ;

(ग) क्या उपरोक्त आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार बंगलौर सिटी को बैंक कर्मचारियों के लिये ग्रेड १ का नगर बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो किस तारीख से ऐसा किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) स्टेट बैंक आफ इंडिया कर्मचारी संघ (मद्रास सर्कल) ने इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ।

(ख) और (ग). मैसूर सरकार को पत्र लिखा गया है और उन के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग

†२७९४. श्री संगण्णा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योगों का अध्ययन करने के लिये जुलाई, १९५८ में, एक अधिकारी नियत किया है;

(ख) क्या उक्त अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन का क्या ब्यौरा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) (क) से (ग): इस प्रयोजन के लिये कोई अधिकारी, जुलाई, १९५८ में उड़ीसा नहीं भेजा गया था। प्रादेशिक लघु उद्योग सर्विस इंस्टीट्यूट कलकत्ता से, सम्बद्ध सर्वेक्षण दलों के अधिकारी समय समय पर विभिन्न राज्यों में जाते हैं। इन का उद्देश्य है :

(१) औद्योगिक सर्वेक्षण । और

(२) क्षेत्र सर्वेक्षण ।

क्षेत्र सर्वेक्षण डिवीजन के एक अधिकारी उड़ीसा के आरसुगुडा और बारगढ़ क्षेत्रों के सर्वेक्षण के बारे में राज्य सरकार से प्रारम्भिक चर्चा करने के लिये उड़ीसा गये थे। कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में कर्मचारी

†२७९५. श्री दलजीत सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम और रोजगार मंत्रालयों में असिस्टेंटों और क्लर्कों की कितनी संख्या है;

(ख) इन में से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बद्ध हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). अधीनस्थ कम्पनियों के बारे में पूरी जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है। जानकारी लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

योजना आयोग के कर्मचारी

†२७९६. श्री दलजीत सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग में कितने असिस्टेंट और क्लर्क हैं; और

(ख) इनमें कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बद्ध हैं?

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र) :** (क)

असिस्टेंट	६१	(जिनमें ४ असिस्टेंट इनचार्ज भी शामिल हैं)
अपर डिवीजन क्लर्क	३३	
लोअर डिवीजन क्लर्क	१६७	
स्टेनो-टाइपिस्ट	२४	

(ख) **असिस्टेंट**

अनुसूचित जाति	१
अनुसूचित आदिम जाति	एक भी नहीं
अपर डिवीजन क्लर्क	
अनुसूचित जाति	१
अनुसूचित आदिम जाति	एक भी नहीं
लोअर डिवीजन क्लर्क	
अनुसूचित जाति	१२
अनुसूचित आदिम जाति	एक भी नहीं
स्टेनो-टाइपिस्ट	
अनुसूचित जाति	एक भी नहीं
अनुसूचित आदिम जाति	एक भी नहीं

पुनर्वास मंत्रालय के कर्मचारी

†२७६७. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास मंत्रालय में कितने असिस्टेंट और क्लर्क हैं;

(ख) इन में कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बद्ध हैं; और

(ग) गैर विस्थापित कर्मचारियों की कितनी संख्या है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** जहां तक इस मंत्रालय के मुख्य और शाखा सचिवालयों का सम्बन्ध है उनकी जानकारी नीचे दी जाती है :—

(क)	असिस्टेंट	१२७
	अपर डिवीजन क्लर्क	२६
	लोअर डिवीजन क्लर्क	२२९
(ख)	अनुसूचित जातियां	३३
	अनुसूचित आदिम जातियां	३
(ग)	विस्थापित व्यक्ति	२२३

†मूल अंग्रेजी में

औषधियां तैयार करने के लिये कच्चे पदार्थ

†२७६८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियां निर्माण करने में आयात की जाने वाली कच्ची सामग्री के अभाव के बारे में सरकार को जनता की ओर से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) कुछ कच्चे पदार्थों की कमी के बारे में निर्माताओं से इनी गिनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) जब भी सरकार की दृष्टि में निर्दिष्ट शिकायतें लाई जाती हैं तो समुचित कदम उठाये जाते हैं और अत्यावश्यक औषध निर्माण के लिये आवश्यक कच्चे पदार्थों का आयात करने के लिये, विदेशी मुद्रा की मर्यादा के अन्तर्गत, निर्माताओं की सहायता की जाती है ।

पंजाब में प्रचण्ड विस्फोटक पदार्थ कारखाना[1]

†२७६६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष पंजाब में प्रचंड विस्फोटक पदार्थों के निर्माण की फैक्टरी स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह फैक्टरी कब तक इन पदार्थों का उत्पादन प्रारम्भ करेगी; और

(ग) विस्फोटक पदार्थ तैयार करने की इस फैक्टरी में उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दण्डकारण्य योजना

†२८००. **श्री संगण्णा :** क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना के संचालन के लिये विभिन्न वर्गों में कर्मचारी नियुक्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या इस कार्य के लिये भरती सम्बन्धी बोर्ड स्थापित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस बोर्ड का चैयरमैन कौन है; और

(घ) इस बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) जहां तक इन कर्मचारियों की शीघ्र आवश्यकता का प्रश्न था उन्हें वर्तमान अधिकारियों में से नियुक्त कर दिया गया है ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) और (घ). उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]High Explosives factory in Punjab.

बिना बारी आवंटन[1]

†२८०१. { **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :**
श्री ह० ना० सोनुले :
श्री दिगे :
श्री बाला साहेब सालुके : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री राजधानी में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विगत दो वर्ष में बिना बारी आवंटित आवास स्थानों की कुल संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :

१९५६-५७	७९९
१९५७-५८ . . .	८१४

मदिरा निर्माण

†२८०२. **श्री संगण्णा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा बचाने की दृष्टि से भारत में मदिरा निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है । फिर भी मालूम हुआ है कि एक गैर-सरकारी सार्थ मैसूर सरकार से पत्र-व्यवहार कर रही है ।

नेपाल में पुस्तकालय

२८०३. **श्री श्रीनारायण दास:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल राज्य में तराई के प्रमुख शहरों में भारत सरकार की ओर से पुस्तकालय खोलने के बारे में कोई प्रस्थापना है; और

(ख) नेपाल के किन-किन स्थानों पर अभी भारत सरकार की ओर से पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र चलाये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी नहीं

(ख) काठमांडू ।

खाद्यान्न का निर्यात

२८०४. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५७ से ३१ जुलाई, १९५८ तक भारत से कितना गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ, जवार और चावल विदेशों को निर्यात किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Out of turn allotments.

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): इस विषय में जानकारी जून १९५८ के अन्त तक की ही उपलब्ध है। १ जनवरी १९५७ से ३० जून १९५८ तक निम्न परिमाण में निर्यात हुआ :—

गेहूं (आटा, मैदा आदि)	२५ टन
बाजरा	शून्य
मक्का	शून्य
जौ	शून्य
ज्वार	शून्य
चावल . .	४१५ टन

विस्थापित व्यक्तियों की जमीनें

२८०५. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के अलवर और श्रीगंगानगर जिले में कुछ विस्थापित व्यक्तियों को जमीन स्वयं काश्त के लिये दी गयी थी और वे अन्य लोगों को हिस्से बटाई पर देकर चले गये हैं और उनका ५, ६ वर्षों से कोई पता नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान काश्तकारों को इन जमीनों से हटा दिया जायेगा ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसे मामलों में प्रत्येक काश्तकार के खिलाफ कार्यवाही उस की पात्रता पर निर्भर करती है । इस प्रकार के सामान्य प्रश्न का विशेष उत्तर देना सम्भव नहीं ।

अमान्य घोषित किये गये व्यक्ति

†**२८०६. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राजनयिक निकाय के ऐसे कितने और किस किस पद के व्यक्ति हैं जिन्हें वैदेशिक-कार्य और राष्ट्रमण्डल सम्बन्ध मंत्रालय द्वारा १९५७ और १९५८ में १५ अगस्त तक अमान्य घोषित किया गया है;

(ख) विदेशों में, प्रत्येक देश में, भारतीय राजनयिक मिशनों के कितने और किस-किस पद के व्यक्तियों को उनके नियुक्ति स्थान की सरकारों द्वारा उपरोक्त अवधि में अवांछनीय घोषित किया गया था; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) वैदेशिक मंत्रालय द्वारा भारत में राजनयिक निकाय के किसी सदस्य को अमान्य घोषित नहीं किया गया । किन्तु भारत सरकार ने राजनयिक निकाय के निम्न सदस्यों को वापस बुलाने के लिये मांग की थी :—

(१) श्री ए० ए० अकमत, नई दिल्ली स्थित भारत में पाकिस्तान के उच्च आयोग में तृतीय सचिव, १९५७ में ।

(२) श्री अताउल्ला, शिलांग स्थित पाकिस्तान के असिस्टेंट हाई कमिश्नर, १९५८ में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नियुक्ति स्थान की सरकार द्वारा भारतीय राजनयिक मिशन के किसी सदस्य को अमान्य घोषित नहीं किया गया। किन्तु पाकिस्तान सरकार ने ढाका स्थित पाकिस्तान में भारतीय उप उच्चायुक्त के कार्यालय के लिये प्रथम सचिव श्री ए० के० सेन को वापस बुला लेने की मांग १९५८ में की थी।

(ग) श्री ए० ए० अकमत पाकिस्तान के जालंधर स्थित उप उन्च आयुक्त के कार्यालय में तृतीय सचिव थे और १९५४ में किन्हीं अवांछनीय कार्यों में अन्तर्ग्रस्त थे। हम ने नई दिल्ली स्थित भारत में पाकिस्तान के उच्च आयुक्त से उन्हें वापस लेने के लिये कहा। तत्पश्चात् पाकिस्तान सरकार ने उन्हें वापस बुला लिया। किन्तु १९५६ में श्री ए० ए० अकमत पुनः भारत में पाकिस्तान के नई दिल्ली स्थित उच्च आयोग में नियुक्त कर दिये गये। भारत सरकार ने पुरानी घटना की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकर्षित किया और श्री ए० ए० अकमत वापस बुला लिये गये।

(२) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना की कि वह कुछ अवांछनीय कार्यों के फलस्वरूप श्री अताउल्ला को वापस बुला लें। पाकिस्तान सरकार ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। किन्तु उसका बदला लेने की दृष्टि से पाकिस्तान सरकार ने वैसे ही आरोप श्री ए० के० सेन के विरुद्ध लगाये। यद्यपि हमारी जानकारी के अनुसार उक्त आरोप निराधार थे हम ने इस तरह के मामलों में प्रचलित सामान्य राजनीतिक प्रथा के अनुसार पाकिस्तान सरकार की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

समाचार-पत्र

†२८०७. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में १९५७ और १९५८ में १५ अगस्त तक अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और अन्य भाषाओं में प्रकाशित करने के लिये घोषणापत्र स्वीकृत करने के लिये प्राप्त आवेदनपत्रों की कितनी संख्या है;

(ख) इन घोषणापत्रों को स्वीकार करने में सामान्यतया कितना समय लगता है;

(ग) कितने आवेदन पत्र दो महीने से अधिक समय से (प्रत्येक राज्य में) विचाराधीन हैं; और

(घ) क्या घोषणापत्र स्वीकार करने में विलम्ब न होने देने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) समाचार पत्र प्रारम्भ करने के लिये घोषणापत्र स्वीकार करना प्रेस रजिस्ट्रार का उत्तरदायित्व नहीं है। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा ६ के अधीन घोषणाओं को प्रमाणित करने के अधिकारी मजिस्ट्रेट के द्वारा ही यह किया जाता है। प्रेस रजिस्ट्रार से इसके नाम के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व को प्रमाणित करने के लिये ही, जो उसी भाषा अथवा उसी राज्य में प्रकाशित किसी अन्य नाम अथवा उसके सदृश हो, निर्दिष्ट किया जाता है।

मजिस्ट्रेटों से १९५७ और १९५८ (१५ अगस्त, १९५८ तक) प्रेस रजिस्ट्रार को मिलने वाले निर्देशों का, राज्यवार और भाषावार, एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८९]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसका अनुमान बताना सम्भव नहीं है क्योंकि आवेदन भारत के सब जिलों में आते हैं और प्रत्येक मामले की परिस्थिति पर निर्भर हैं।

(ग) मजिस्ट्रेटों से प्रेस रजिस्ट्रार को प्राप्त होने वाले निर्देशों के बारे में जानकारी लोक सभा के पटल पर रखे गये विवरण में दी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६०**] मजिस्ट्रेटों के कार्यालयों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि घोषणा पत्र की स्वीकृति के लिये आवेदन पत्र देते समय प्रकाशक एक नाम के स्थान पर नामों की एक तालिका दें ताकि प्रकाशकों की इच्छानुसार कम से कम एक नाम का स्पष्ट निर्णय बिना विलम्ब किया जा सके। सरकार राज्य सरकारों को यह भी लिखेगी कि वे सम्बन्धित मजिस्ट्रेटों से आवेदन पत्रों पर निर्णय करने में शीघ्रता करें।

माधेपुर (बिहार) में खाद्य उत्पाद फैक्टरी

†२८०८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार राज्य में माधेपुर (दरभंगा) में खाद्य उत्पाद फैक्टरी की स्थापना में कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता का क्या स्वरूप है;

(ग) क्या उक्त फैक्टरी में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है; और

(घ) अभी तक कितने परिमाण में इसका उत्पादन किया गया है; और

(ङ) क्या इस फैक्टरी में उत्पादित पदार्थों का परीक्षण किया गया है और वे संतोषजनक सिद्ध हुए हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) से (ङ). वाणिज्यिक रूप में उत्पादन के लिये फैक्टरी प्रायः तैयार है। परीक्षण अवधि में ३०० पौंड घी और कुछ बेसीन बनाया गया है। प्रयोगशाला में किये गये परीक्षण के अनुसार घी संतोषजनक सिद्ध हुआ है।

लखीमपुर की सीमावर्ती घटनायें

†२८०९. **श्री दशरथ देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य क्षेत्रीय परिषद् के चैयरमेन ने त्रिपुरा के लखीमपुर के सीमावर्ती दुर्घटनाओं के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) भारत सरकार को अभी तक ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में प्रशिक्षण केन्द्र

†२८१०. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में त्रिपुरा के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में कितने विद्यार्थियों ने औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है;

(ख) कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को रोजगार मिल गया है; और

(ग) अधिक से अधिक प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) १९५७ में त्रिपुरा में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोलने की मंजूरी दे दी गई थी परन्तु त्रिपुरा प्रशासन ने इसे अभी तक स्थापित नहीं किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अगरतला (त्रिपुरा) में औद्योगिक बस्ती

†२८११. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के अगरतला की औद्योगिक बस्ती में कौन से उद्योग चालू करने का प्रस्ताव है;

(ख) गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा कौन से उद्योग चालू किये जायेंगे;

(ग) इन उद्योगों से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है; और

(घ) क्या इस औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग प्रारम्भ करने के लिये सरकार गैर सरकारी उद्योग-पतियों को पेशगी रकम देने का विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) अगरतला की औद्योगिक बस्ती में निम्नलिखित उद्योग चालू करने का प्रस्ताव है ।

बढ़ईगिरी, लुहारी, कागज़ बनाना, चमड़ा कमाना, जूते तथा चमड़े का अन्य सामान बनाना, फलों को डिब्बों में बंद करना, साबुन बनाना, कंटीला तार तथा कृषि और चाय बागान के औजार, हथकरघा बुनाई, आरा मिल, मशीनों के कारखाने और होजरी ।

(ख) गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा निम्नलिखित उद्योग खोले जाने का प्रस्ताव है :

हथकरघा बुनाई, बढ़ईगीरी, आरा मिल, चमड़ा कमाना और चमड़ा कारखाना, मशीनों के कारखाने, होजरी ।

(ग) इन एककों में लगभग ४०० व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा की जाती है ।

(घ) इस औद्योगिक बस्ती में गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा जो एकक शुरू किये जायेंगे उनके लिये वित्त देने का कोई विशेष उपबंध नहीं है। परन्तु उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अधीन इन एककों को सहायता देने की उपयुक्तता पर विचार किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका का विभाजन

†२८१२. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र सद्भावना समिति ने यह सुझाव दिया है कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का विभाजन कर दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का संक्षिप्त रूप क्या है ;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू सत्र में इस प्रश्न पर विचार होने की संभावना है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में भारत का क्या रुख होगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). समिति ने यह राय ज़ाहिर की है कि दक्षिण -पश्चिम अफ्रीका के इस विभाजन के अनुसार जिसके अंतर्गत उसका एक भाग न्यास-करार के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन रहेगा और शेष भाग को दक्षिण अफ्रीका संघ में मिला दिया जाएगा जो एक ऐसा आधार बन सकता है जिस पर दक्षिण-अफ्रीका संघ से समझौता किया जा सकता है । महासभा इन प्रस्तावों पर चर्चा करेगी और उसकी सिफारिशों पर आगे की कार्यवाही निर्भर करेगी ।

(घ) महासभा में हम अपने विचारों को विस्तृत रूप से रखेंगे ; हमारा आधार भूत दृष्टि-कोण यह है कि समस्त दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्रीय न्यासधारी पद्धति के अंतर्गत काम दिया जाए ।

तिलहन का सट्टा

२८१३. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नियन्त्रित किन-किन स्थानों पर तिलहन के सट्टे का कार्य होता है ;

(ख) क्या तिलहन के सट्टे के व्यापार की देख रेख करने के लिये सरकार द्वारा डायरेक्टर्स नियुक्त किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ;

(घ) जब से तिलहन के सट्टे पर सरकार का नियंत्रण हुआ है तब से कुल कितनी राशि का सौदा किया गया; और

(ङ) इन सौदों के बदले वस्तुतः कितना माल दिया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) बम्बई, अहमदाबाद, उज्जैन, जामनगर, बेरावल, धौराजी रिंग्स, हैदराबाद, आगरा दिल्ली और भटिन्डा में ।

(ख) जी, हां ।

(ग) से (ङ). यह जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्राम पुनर्निर्माण पर चलचित्र

†२८१४. **श्री वोडयार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ग्रामों के वास्तविक पुनर्निर्माण पर एक चलचित्र बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कौन से ग्राम चुने गये हैं; और

(ग) क्या इस चलचित्र में राष्ट्रीय विस्तार सेवा परियोजनाओं तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का विकास चित्रित किया जाएगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** :(क)से (ग). किसी भी एक गांव में ग्रामीण क्षेत्रों के पुनर्निर्माण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर एक ही चित्र बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली में भूमिदारी अधिकार

†२८१५. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्यक्षेत्र में १५अगस्त १९४७ या उससे पहले जिन काश्तकारों के पास ऐसी जमीनें थीं जो प्रति एकड़ ५० रूपया प्रतिकर देने के बाद निष्क्रान्त सम्पत्ति हो गई थीं, उनको भूमिदारी अधिकार दे दिया गया है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान जाने के पहले जो जमीनें मालिकों की खुदकाश्त थीं उनकी कीमत नीलाम में १०,००० रूपयों के लगभग आ रही थी ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) ऐसा पता चला है कि दिल्ली प्रशासन ग्रामीण निष्क्रान्त भूमियों के संबंध में भूमिदारी अधिकार देने के बारे में कुछ कार्यवाही कर रहा है । इस कार्यवाही में अंतर्ग्रस्त बातों पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) दिल्ली की शहरी सीमा तथा उसके बाहर मुसलमान खेती की भूमि का बड़ा क्षेत्र छोड़ गये थे । शहरी कृषि भूमि पर शहर में मकान बनाने के काम में लाये जाने के कारण उसकी कीमत बढ़ गई और नीलाम में विशुद्ध कृषि भूमि की अपेक्षा उसकी अधिक कीमत मिली है । इस प्रकार की भूमि की प्रति एकड़ कीमत का हिसाब नहीं लगाया गया । यदि माननीय सदस्या किसी विशेष मामले में जानकारी चाहती हैं, तो उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा ।

गीता कालोनी

†२८१६. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गांधी नगर के पास "गीता कालोनी" नामक शरणार्थी बस्ती में उचित नाली व्यवस्था, सड़कें अथवा बिजली का प्रबंध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बस्ती के लोगों को आधारभूत नागरिक सुविधायें देने के लिये सरकार किन योजनाओं पर विचार कर रही है और इन योजनाओं पर कितना रूपया खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० श० नास्कर)** : (क) और (ख). इस बस्ती में नालियां तथा सड़कें बना दी गई हैं परन्तु बरसात में पड़ोस के क्षेत्रों से जमा होने वाले बाढ़ के पानी से ये खराब हो जाती हैं। इस क्षेत्र से बाढ़ का पानी निकालने के लिये पम्पों की स्थायी व्यवस्था की जा रही है और ६.१८ लाख रूपयों की अनुमानित लागत से इस काम के मार्च १९५९ तक समाप्त होने की आशा है लगभग २ लाख रुपयों की अनुमानित लागत से इस बस्ती में सड़कों पर बिजली लगाने का इंतजाम भी किया जा रहा है।

समुद्री पानी से यूरेनियम निकालना

†२८१७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को यह मालूम है कि रूस ने समुद्री पानी से युरेनियम नामक ईंधन जिससे नाभिकीय शक्ति वाले संयंत्र चलते हैं, निकालने का तरीका खोज लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे यह भी मालूम है कि यद्यपि समुद्री पानी में निम्न वर्ग के अयस्कों से मिलने वाले यूरेनियम की अपेक्षा कम यूरेनियम रहता है फिर भी उसे कम खर्च पर निकाला जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत में अब तक इस प्रणाली का विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) से (ग). सरकार ने तीन रूसी वैज्ञानिकों का "प्राकृतिक जल से यूरेनियम निकालना" नामक लेख देखा है जिसे उन्होंने १ सितम्बर से १३ सितम्बर १९५८ तक जेनेवा में हुये अणुशक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोगों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। जिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था वे निस्संदेह इस विषय के संबंध में सोवियत रूस में किए गये काम का ध्यान रखेंगे और समुचित कार्यवाही का सुझाव रखेंगे।

मिन्टो रोड पर रहने के क्वार्टर

२८१८. **श्री मोहन स्वरूप**: क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मिन्टो रोड पर सरकारी कर्मचारियों के रहने के लिये कितने क्वार्टर, बनाये गये हैं और उन से किराये के रूप में सरकार को कितनी आमदनी होती है

(ख) कितने क्वार्टर खाली पड़े हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन क्वार्टरों में मरम्मत नहीं कराई जाती और यदि कोई क्वार्टर बहुत ही गिरी हालत में होता है तो उसकी मरम्मत कराने के बजाय उसे खाली छोड़ दिया जाता है और वह किसी को नहीं दिया जाता ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) मिन्टो रोड के इलाके में सरकारी कर्मचारियों के रहने के लिये निर्माण किये हुए क्वार्टरों की संख्या १५६० है और उनसे किराये के रूप में औसत सालाना आमदनी लग भग ४, ६२,००० रूपये है।

(ख) १०३

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) केवल वही क्वार्टर जिनकी छतों को आपत्तिजनक घोषित किया जा चुका है खाली कराये गये हैं, या जो यथाक्रम रूप में खाली हो गये हैं और दोबारा अलाट नहीं हुए हैं । छतों की मरम्मत नहीं की जा सकती है परन्तु उनको उपयुक्त अवस्था में बदलना है । बदलने का काम बिखरी हुई जगहों में एक और दो क्वार्टरों में आरम्भ नहीं किया जा सकता है ।

कृषि भवन के समीप भवन का गिराया जाना

२८१९. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि भवन के पास एक भवन गिरा दिया गया है और उस के स्थान पर एक नई इमारत बनाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस भवन को गिराने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसे गिराने पर कितना व्यय हुआ और नये भवन के निर्माण पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

निर्माण आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) (क) और (ख). कृषि भवन के सामने एन० ब्लाक की अल्पकालिक इमारतों की अवधि पूरी हो चुकी थी और उन की मरम्मत पर बहुत अधिक खर्च आ रहा था । इसलिये उन को गिरा दिया गया जिस से कार्यालय स्थान की बड़ी कमी को कुछ सीमा तक पूरा करने के वास्ते कार्यालय भवन बनाने के लिये भूमि मिल सके । अब उस स्थान पर एक कई मंजिलों वाला कार्यालय भवन बनाया जा रहा है ।

(ग) इन को गिराने में सरकार ने कुछ खर्च नहीं किया बल्कि जिन ठेकेदारों ने इन इमारतों को गिराने का काम किया उन से सरकार को १,६६,७०१ रुपये उस सामग्री के मूल्य के रूप में वसूल हुए जो नष्ट होने से बचाई जा सकी । अनुमान है कि नये भवन पर ७१,२३,०९६ रुपये खर्च होंगे जिस में ८¹/₂ प्रतिशत विभागीय शुल्क और भी जोड़ना होगा ।

कृषि-भवन के समीप भवन का गिराया जाना

२८२०. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि भवन के पास एक बंगला, जिस में भूतपूर्व खाद्य मंत्री रहते थे, गिराया जा रहा है और उस स्थान पर एक कई मंजिला भवन बनाने की योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास, और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी): (क) और (ख). नम्बर १ क्वीन विक्टोरिया रोड, नई दिल्ली के बंगले को गिरा कर उस स्थान पर एक कई मंज़िला कार्यालय-भवन बनाने के सुझाव पर विचार किया जा रहा है । ब्यौरा अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†२८२१. **श्री वारियर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (प्राइवेट) लिमिटेड" के कार्य संचालन में जो घाटा होता है उसे रोकने के लिये मंत्रालय क्या उपाय अपना रहा है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को जो कार्य सौंपे गये हैं वे वाणिज्यिक न हो कर बढ़ावा देने वाले अधिक हैं। उस की सीमित वाणिज्यिक गतिविधियों से कुछ लाभ की गुंजाइश है परन्तु वह उस की बढ़ावा देने वाली गतिविधियों से घाटे में बदल जाता है। निगम को कुल जितना घाटा होता है वह सरकार से मिलने वाले अनुदान से पूरा हो जाता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केरल में औद्योगिक विस्तार केन्द्र

†२८२२. **श्री वारियर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के किन औद्योगिक विस्तार केन्द्रों में उत्पादन होने लगा है ;

(ख) आज कल इन केन्द्रों में प्रति मास कितना उत्पादन होता है ;

(ग) इस राज्य में अभी तक कितने औद्योगिक विस्तार केन्द्र पूरे नहीं हुए ; और

(घ) इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). केरल के लिये मंजूर किये गये ९ केन्द्रों में से चार काम करने लगे हैं। वे क्रमशः (१) त्रिचुर में जूतों का औद्योगिक विस्तार केन्द्र, (२) शोरानूर में सामान्य इंजीनियरिंग तथा कटलरी का औद्योगिक विस्तार केन्द्र, (३) इत्तूमानूर में सादी मशीनों के औज़ार तथा हाथ के औजार बनाने का उत्पादन केन्द्र और (४) थिरुवाला में बिजली की मोटरों का उत्पदन केन्द्र है। इन विस्तार केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य सेवाओं तथा प्रशिक्षण की सुविधा देना है अतएव इन केन्द्रों में उत्पादन केवल आनुषंगिक ही है। इत्तूमानूर केन्द्र में उत्पादन का मासिक मूल्य लगभग १२०० रुपये है। बिजली की मोटरों का केन्द्र अभी मद्रास में अस्थायी रूप से काम कर रहा है और एक माह के भीतर उसे हटा कर थिरुवाला में स्थापित किया जायेगा। इस समय के भीतर थिरुवाला में इमारतों का काम भी पूरा हो जायेगा। इस केन्द्र में अगस्त १९५८ में उत्पादन का मूल्य लगभग २२,५०० रुपये था।

(ग) जिन केन्द्रों में काम शुरू नहीं हुआ, वे इस प्रकार हैं : —

(१) अत्तिगंल में स्टेनलैस स्टील के बर्त्तनों का केन्द्र ;

(२) मुवत्तुपुझा में टीन के डिब्बे बनाने तथा टीन पर छपाई का केन्द्र ।

(३) अलेप्पी में सामान्य इंजीनियरिंग केन्द्र ।

(४) वानीअमकुलम में चमड़े के सामान का केन्द्र और

(५) कल्लाई में लकड़ी सिझाने तथा फर्नीचर डिजाइन केन्द्र ।

(घ) इन केन्द्रों को शुरू करने में विलम्ब होने के कारण मुख्यतः निम्नलिखित हैं :—

(१) बड़ी बड़ी मशीनों को लगाने तथा उन्हें चलाने के लिये किराये पर उपयुक्त जगह का न मिलना ।

(२) इन केन्द्रों के लिये आवश्यक मशीनों तथा सामान के आयात में विलम्ब ।

(३) भूमि अर्जन तथा इमारतों के निर्माण में समय खर्च होना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय सिलाई मशीनों का निर्यात

†२८२३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बनी सिलाई की मशीनों के विदेशी बाजार में गिरावट आ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी, नहीं। नीचे लिखे आंकड़ों से जाहिर है कि निर्यात बढ़ गया है :—

वर्ष	संख्या में मात्रा	हज़ार रुपयों में कीमत
१९५६	३४१५	४६६
१९५७	४४६५	५५१
१९५८ (जनवरी से जून तक)	३४५६	३७८

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा में गृह-निर्माण

†२८२४. **श्री बै० च० मलिक:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गृह-निर्माण के लिये उड़ीसा राज्य को कितनी रकम बांट में दी गई है; और

(ख) विभिन्न योजनाओं के लिये योजना वार कितनी रकम मंजूर की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री अनिल कु० चंदा):** (क) और (ख). आवश्यक जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९१**]

दिल्ली की बस्तियों का नाम बदलना

†२८२५. **श्री राम कृष्ण :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी की कुछ नई विकसित बस्तियों के नाम जनता की राष्ट्रीय भावनाओं के अनुकूल बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बयस्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक बस्ती का नया नाम क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) से (ग). कुछ नयी सरकारी बस्तियों के नाम बदलने के प्रस्ताव पर विचार हो चुका है और बहुत ही शीघ्र अन्तिम निर्णय किये जाने तथा उन के नाम घोषित किये जाने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

निष्क्राम्य घरों में रहने वाले हरिजन

†२८२६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निष्क्राम्य बस्तियों में बसने वाले हरिजनों से एक ऐसा अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ सुविधायें दिये जाने के लिये कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो आसान किस्तों के चुकाने के संबंध में दी गई सुविधाओं का क्या ब्यौरा है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) समस्या की विशालता आदि के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। जानकारी मिल जाने के पश्चात् उस की परीक्षा करके निर्णय किया जायेगा।

आकाशवाणी के कर्मचारी

†२८२७. **श्री तंगामणि :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन लोगों को १० वर्ष से अधिक नौकरी करते हो गये हैं उन्हें अभी तक आकाशवाणी में अर्द्ध-स्थायी या स्थायी नहीं बनाया गया;

(ख) विभिन्न वर्गों में कितने अर्द्ध-स्थायी तथा स्थायी कर्मचारी हैं और कितने कर्मचारी अभी भी अर्द्धस्थायी और स्थायी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ग) इन्हें अर्द्ध-स्थायी या स्थायी बनाने का क्या आधार है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** (क) और (ख). आकाशवाणी के श्रेणी १ और २ के लगभग २.४ प्रतिशत ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें १० वर्ष से अधिक नौकरी करते हो गये हैं और जो अभी भी स्थायी या अर्द्ध-स्थायी नहीं बनाये गये हैं। १० साल से अधिक सेवा करने वाले श्रेणी १ तथा २ के ६३८ कर्मचारियों में से ४७४ को स्थायी तथा १३९ को अर्द्ध-स्थायी घोषित कर दिया गया है। १० लोग संविदा वाले पदों पर हैं अतएव वे स्थायी बनाये जाने या पुष्टिकरण किये जाने के योग्य नहीं हैं। शेष १५ अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं।

(ग) किसी पद पर अधिकारियों को किसी स्थायी पद के रिक्त होने पर वरिष्ठता अथवा पद के लिये उपयुक्तता के आधार पर पुष्टिकरण किया जाता है। अर्द्ध-स्थायी बनाये जाने के लिये शर्तें इस प्रकार हैं :—(१) तीन वर्ष से अधिक समय तक की लगातार सेवा, (२) उम्र, योग्यता, काम तथा चरित्र आदि के संबंध में उपयुक्तता। श्रेणी १ और २ के अधिकारी गृह-कार्य मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अर्द्ध-स्थायी घोषित किये जाते हैं।

भरतनगर में शरणार्थी बस्ती

†२८२८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उस समय की दिल्ली नगर समिति को दिल्ली प्रशासन के जरिये दिल्ली की पुनर्वास बस्ती भरत नगर में सड़कों पर बिजली लगाने, नल लगाने, सड़कें तथा नाली आदि बनाने के लिये पुनर्वास मंत्रालय ने वर्ष के प्रारम्भ में १,०९,१४० रुपये दिये थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस बस्ती की निवासी कल्याण सन्था ने सरकार के पास इस आशय का अभ्यावेदन किया है कि अभी तक इस संबंध में कोई कार्य नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने दिल्ली प्रशासन / दिल्ली नगर निगम से यह पूछा है कि इन परियोजनाओं की कार्यान्विति में देर होने का क्या कारण है;

(घ) यदि हां, तो उस का क्या नतीजा है; और

(ङ) किस तारीख को ये परियोजनायें शुरू की जायेंगी, तथा उनके कब तक पूरा होने की आशा है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते

(ङ) दिल्ली नगर पालिका निगम इस वर्ष के अन्त तक उन सारी सुविधाओं की व्यवस्था करने की आशा रखती है जिन के लिये निधियां मंजूर हो गई हैं ।

संभरण और निपटान, महानिदेशालय

†२८२९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि संभरण और निपटान महानिदेशालय द्वारा निर्णय होने में देर होने के कारण टेंडर लेने वाली फर्मों को बड़ी असुविधा होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ठेकेदारों को दी जाने वाली रकमें बकाया हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) वर्त्तमान हिदायतों के अनुसार संभरण और निपटान महानिदेशालय द्वारा टेंडर मंजूर किये जाने की तारीख के पहले ही निर्णय कर लिये जाते हैं । परन्तु कुछ ऐसे मामलों में जिनमें अपरिहार्य कारणों से संभरण और निपटान महानिदेशालय तथा व्यादेशक के बीच परामर्श करना आवश्यक रहता है, टेंडर लेने वाली फर्मों से यह प्रार्थना की जाती है कि वे अपने टेंडर की अन्तिम तारीख बढ़ा दें । ऐसे मामलों में टेंडर लेने वाली फर्मों को इस बात की स्वतन्त्रता रहती है कि वे चाहें तो इस प्रार्थना को मान लें अथवा अपना टेंडर वापस कर दें ।

(ख) ठेकेदारों से की गई,उन संभरणों के ऐसे भुगतान शीघ्र ही कर दिये जाते हैं जिनके बिल नियमानुसार रहते हैं, ठेके की शर्तों के अनुसार होते हैं, और संबंधित दस्तावेजों से प्रमाणित होते हैं । परन्तु बकाया रकमों के मामले ऐसी स्थिति में जरूर उत्पन्न हो जाते हैं जबकि ठेकेदार ठेके की शर्तों का पालन नहीं करता, विशेषकर जब वह ठेके में बताई गई तारीख के बाद भी माल देने में देर करता है । ऐसे मामलों में माल देने में देर होने के कारणों को जुर्माने सहित या उस के बिना नियमित किये जाने पर ही उसे भुगतान मिल सकता है ।

(ग) टेंडरों का निर्णय करने के संबंध में इस प्रकार की उपयुक्त हिदायतें हैं कि जहां तक संभव हों टेंडर मंगाने की तारीख तथा टेंडर खुलने की तारीख में इतना अन्तर होना चाहिये

†मूल अंग्रेजी में

जिससे इस अवधि के भीतर सामान्यतः इस प्रकार के टेंडरों का निर्णय किया जा सके। उसके बाद उसी अवधि में सामान्यतः निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

बकाया भुगतान के लिये वर्तमान प्रक्रियाओं को भंडार खरीद समिति के सुझावों के आधार पर उपयुक्त रूप से इस प्रकार बदल दिया गया है कि जहां संभरण करने वाले को भुगतान करने के पूर्व सामान्यतः संशोधन आवश्यक हों, वहां ऐसे संशोधन अविलम्ब कर दिये जायें। इसके अतिरिक्त संभरण और निपटान महानिदेशालय के अन्तर्गत 'फाइनलाइज़ेशन विंग' नामक एक अलग शाखा खोल दी गई है जोकि इस प्रकार के मामलों को निपटाती है जिससे कि ठेकेदारों को भुगतान करने में शीघ्रता हो सके।

टिटेनियम डाइआक्साइड

†२८३०. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिटेनियम डाइआक्साइड का वार्षिक उत्पादन, खपत तथा आयात कितना है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि वास्तविक उपभोक्ताओं को टिटेनियम डाइआक्साइड नहीं मिल रहा है और वह देश में सामान्य कीमतों की अपेक्षा अत्यधिक ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) **उत्पादन**: 'अनातासे'[1] किस्म (जो देश में बनने वाली एकमात्र किस्म है) के टिटेनियम डाइआक्साइड का १९५७ और १९५८ (जनवरी से जुलाई) तक का उत्पादन क्रमशः १६७१ तथा ६७४ टन था।

खपत : १९५७ और १९५८ में टिटेनियम डाइआक्साइड की खपत निम्नलिखित है :

१९५७	१९३३ टन (अनातासे किस्म)
	२८० टन (रुटाइल[2] किस्म)
१९५८ (जनवरी से जुलाई)	१२०९ टन (अनातासे किस्म)
	२०६ टन (रुटाइल किस्म)

निर्यात: आजकल टिटेनियम डाइआकसाइड का निर्यात नहीं होता।

(ख) सरकार के पास कुछ शिकायतें आई हैं कि बाजार में टिटेनियम डाइआकसाइड ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा है और उपभोक्ताओं को पर्याप्त टिटेनियम डाइआकसाइड मिलने में कठिनाई हो रही है।

(ग) इस वस्तु को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करने के लिये तथा इसकी कीमतें कम करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है:

(१) व्यापारियों की बिक्री कम कर दी गई है।

(२) १९५७ में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई मात्रा के आधार पर टिटेनियम डाइआकसाइड दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Anatase

[2] Rutile

(३) वास्तविक उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत तथा देशी संभरण के बीच होने वाले अन्तर को पूरा करने के लिये आयात लाइसेंस दिये जाते हैं और जहां देशी संसाधनों से कोई संभरण नहीं होता उन मामलों में आवश्यकता पड़ने पर पूरी मात्रा आयात करने के लाइसेंस दिये जाते हैं।

(४) उपयोग करने वाले उद्योगों का संभरण १९५७ के स्तर पर बनाये रखना।

पोलैण्ड के साथ श्रम सुविधाओं सम्बन्धी करार

†२८३१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पोलैण्ड व्यापार के विस्तार के लिये 'स्विंग' ऋण [1] सम्बन्धी एक करार पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). इस बात के प्रारम्भ में जब पोलैण्ड के विदेशी व्यापार मन्त्री दिल्ली पधारे थे, उस समय भारत पोलैण्ड व्यापार पर सामान्य रूप से कुछ बातचीत हुई थी। इस बातचीत के दौरान 'स्विंग' ऋण के बारे में भी चर्चा की गयी थी, परन्तु उस बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

चाय

†२८३२. { **श्री उस्मान अली खां** :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ और १९५८ में जुलाई के अन्त तक हुए चाय के उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) इस वर्ष पिछले वर्ष के उत्पादन से अनुमानतः कितना अधिक उत्पादन होगा;

(ग) क्या सामान्य चाय से जो कीमत प्राप्त हो रही है, वह लाभकारी नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). जुलाई के अन्त तक का उत्पादन :—

१९५७	. २७४,३३२,००० पौंड
१९५८	. २९३,६०५,००० पौंड

१९५८ के सारे साल के उत्पादन के सम्बन्ध में इसी समय पूर्वानुमान लगाना कठिन है।

(ग) और (घ). विभिन्न प्रदेशों में उत्पादन की कीमत के सम्बन्ध में इस समय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इसलिये यह कहना सम्भव नहीं है कि साधारण चाय से कुछ लाभ हो रहा है या नहीं। चाय उद्योग का यह कहना है कि इस चाय की कीमत इतनी अधिक नहीं है कि उससे कुछ बचत हो सके और इसलिये उनकी यह मांग है कि उन्हें निर्यात शुल्क में कुछ रियायत दी जाये ताकि संसार के अन्य देशों के मुकाबले का सामना कर सकें। पर हां, चाय निर्यात का वर्तमान रुख सन्तोषजनक है।

†मूल अंग्रेजी में
[1] "Swing Credits"

राज्य योजना

†२८३३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने योजना के पिछले दो वर्षों के कार्यक्रम के पुनर्मूल्यांकन तथा अपेक्षित अतिरिक्त संसाधनों को बढ़ाने के उपायों के बारे में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से बातचीत प्रारम्भ कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) योजना आयोग इस समय योजना के अन्तिम दो वर्षों के लिये वित्तीय संसाधनों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में राज्यों से बातचीत कर रहा है। स दौरान में उनके कार्यक्रम के पुनर्मूल्यांकन के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) अभी तक छः राज्यों अर्थात् मैसूर, पश्चिमी बंगाल, मद्रास, बम्बई, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य से बातचीत हुई है। इनका परिणाम तो सभी राज्यों से बातचीत हो चुकने के बाद ही ज्ञात होगा।

चाय बागान के लिये वित्त

†२८३४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में आसाम की राज्य सरकार से यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि चाय बागान के लिये वित्त देने की प्रक्रिया का निश्चय करने के लिये वहां के चाय उत्पादकों, वित्त पोषकों और सरकारी प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया जाये;

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या प्रस्तावित सम्मेलन में बन्द हुए चाय बागान के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) आसाम सरकार का इस प्रकार का सम्मेलन बुलाने का विचार था।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से बातचीत हो रही है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अशोक होटल के निकट झोंपड़ियों का गिराया जाना

†२८३५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि अशोक होटल के निकट मजदूरों की झोंपड़ियों को स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा गिराया जा रहा है जिससे मजदूरों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या जब तक उनके लिये किसी और स्थान का प्रबन्ध नहीं हो जाता, तब तक के लिये उन्हें उसी स्थान पर रहने दिये जाने के सम्बन्ध में कोई विचार है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) अभी तक की गयी जांच से यह ज्ञात होता है कि स्थानीय प्राधिकारी इस क्षेत्र की सरकारी भूमि से मजदूरों को अब नहीं हटा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली में इस प्रकार के व्यक्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के पूर्ण प्रश्न पर गृह-कार्य मन्त्रालय द्वारा नियुक्त एक समिति विचार कर रही है ।

भारतीय फिल्मों का निर्यात

†२८३६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अभी तक प्रत्येक देश को कितनी-कितनी भारतीय फिल्में भेजी गयी हैं ;

(ख) उनसे कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है; और

(ग) भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) से (ग). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९२]**

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†२८३७. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में अभी तक पंजाब में लघु उद्योगों के विकास के लिये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा कितने प्रकार की मशीनें संभरित की गयी हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** १९५८ में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा पंजाब को निम्नलिखित प्रकार की मशीनें दी गयी हैं:—

एस० एल० एण्ड एस० सी० लेथ (खराद), आँटोमोबाइल, लेथ (मोटर की खराद), टरेट लेथ, ड्रिलिंग मशीनें, भू-छेद करने वाला यंत्र, रेडियल ड्रिलिंग मशीनें;

शेपिंग मशीनें;
यूनिवर्सल मिलिंग मशीनें;
मोज़े बुनने की मशीनें और सर्कुलर जाकर्ड मशीन;
ढालने की मशीनें;
गियर हॉबिंग मशीनें;
पालिश करने की मशीनें; और
बिजली की मोटरें ।

ईरान को चाय का निर्यात

†२८३८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ईरान को निर्यात की जाने वाली भारतीय चाय की क्या स्थिति है ; और

(ख) वहां पर भारतीय चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपाय किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). पिछले वर्षों में भारतीय चाय का निम्नलिखित मात्रा में निर्यात किया गया था :—

१९५६ . . .	८३ लाख पौंड
१९५७ .	१०० लाख पौंड
जनवरी-जून १९५८ .	४२ लाख पौंड
जनवरी-जून १९५७ . .	३५ लाख पौंड

†मूल अंग्रेजी में

आयात सम्बन्धी नीति में परिवर्तन होने के कारण ईरान को किये जाने वाले निर्यात में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होता रहता है ।

नवम्बर, १९५७ में चाय बोर्ड के प्रधान को ईरान के आयात कर्त्ताओं से सम्पर्क स्थापित करने के लिये और यहां से निर्यात को बढ़ाने की सम्भावनाओं की जांच करने के लिये ईरान भेजा गया था । उनके सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

निष्क्राम्य इमारतों का नीलाम

†२८३९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ अगस्त, १९५८ तक की अवधि में पंजाब में कितनी निष्क्राम्य इमारतों का नीलाम हुआ था; और

(ख) ऐसी कितनी निष्क्राम्य इमारतें हैं जिनका कब्जा खरीदारों को दिला दिया जाता है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी इमारतें

†२८४०. **श्री जाधव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों में से प्रत्येक में केन्द्रीय सरकार की कितनी और किस-किस प्रकार की इमारतें हैं; और

(ख) वे किस किस प्रयोजन के लिये इस्तेमाल की जा रही हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) अधिनियम, १९५१

†२८४१. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में ऐसे कितने पदाधिकारी हैं जोकि अभी तक निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) अधिनियम, १९५१ के अधीन काम कर रहे हैं;

(ख) उनके पास अभी कितने दावे बाकी रहते हैं; और

(ग) इन दावों को निपटाने में अभी कितना और समय लगेगा ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) १० पदाधिकारी, जिनमें अतिरिक्त अभिरक्षक शामिल हैं और जो स्टेट कम्पीटेंट आफिसर के रूप में भी काम करता है (ये पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश में भी काम करते हैं) ।

(ख) (१) ३१—७—५८ को ऐसे बकाया दावे जिनका निर्णय करना शेष रह गया था	३,०७७
(२) ऐसे दावे जिनका अन्तिम पृथक्करण पर प्रभाव पड़ेगा .	१०,४५७

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) आशा है कि यह सारा बकाया कार्य अगले वर्ष के मध्य तक समाप्त हो जायेगा।

सस्ते मकानों के निर्माण सम्बन्धी योजना

†२८४२. **श्री जाधव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सस्ते मकान बनाने के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने पूर्व निर्मित मकानों की योजना को बिल्कुल छोड़ दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) और (ख). इस समय चलायी जा रही सभी आवास निर्माण योजनायें, जैसेकि राजसहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना, अल्प आयवर्ग कर्मचारी गृह निर्माण योजना, बागान श्रमिक गृह-निर्माण योजना, गन्दी बस्तियों को साफ करने और ग्राम्य गृह निर्माण सम्बन्धी योजनायें—सस्ते गृह-निर्माण योजनायें हैं। इन योजनाओं की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ). सम्भवतः माननीय सदस्य पहले भारत सरकार द्वारा स्थापित सरकारी गृह-निर्माण फैक्टरी में पूर्व निर्मित मकानों के उत्पादन की योजना की ओर संकेत कर रहे हैं। वह योजना तो जैसाकि २० सितम्बर, १९५५ के अल्पसूचना प्रश्न संख्या १० के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के पैरा १ में बताया गया था, १९५१ में ही समाप्त कर दी गयी थी।

आकाशवाणी

२८४३. **श्रीमती मिनिमाता** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विभिन्न रेडियो स्टेशनों पर वर्ष १९५८ में कितने प्रोड्यूसर नियुक्त किये गये ;

(ख) उनमें से कितने आकाशवाणी के साहित्यिक विभाग से सम्बद्ध हैं; और

(ग) क्या साहित्यिक कार्यक्रमों के प्रोड्यूसरों को आकाशवाणी द्वारा अपने विषय का कोई प्रशिक्षण दिया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) ६ प्रोड्यूसर तथा १२ सहायक प्रोड्यूसर।

(ख) ३ प्रोड्यूसर तथा ९ सहायक प्रोड्यूसर।

(ग) जी, हां। आकाशवाणी का स्टाफ ट्रेनिंग स्कूल उनके लिये नियमित रूप से गोष्ठियों का प्रबन्ध करता है।

पीतल का सामान बनाने का उद्योग

†२८४४. **श्री मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पीतल का सामान बनाने के उद्योग तथा इनके व्यापार को बढ़ाने के लिये एक स्वैच्छिक संगठनों की स्थापना करने के लिये आदर्श नियम बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ताम्बे तथा पीतल के निर्यात से १९५७–५८ में अलग अलग कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी; और

(ग) सरकार उचित दामों पर कच्चा सामान प्राप्त करने में उद्योग की सहायता करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, नहीं।

(ख) पीतल और ताम्बे के बर्तनों के निर्यात पर प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा का विवरण इस प्रकार से है :—

१९५७–५८ में ताम्बे और पीतल की कलापूर्ण वस्तुओं के निर्यात पर कुल ९६ लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी।

ताम्बे के बर्तनों के निर्यात के अलग अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, अतः उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) कच्चा सामान प्राप्त करने में उद्योगों की सहायता करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाहियां की गयी हैं :—

ताम्बे तथा पीतल के बर्तनों के उद्योग के लिये कुल कच्चा सामान है ताम्बा और जस्ता। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण १–७–१९५७ से इन धातुओं को खुले सामान्य लाइसेन्स से लेना प्रारम्भ किया गया था। इसके बाद उपभोक्ता उद्योगों से ये शिकायतें आने लग पड़ीं कि आयातकर्ता ताम्बे की बहुत अधिक कीमत मांग रहे हैं।

स्थिति का सामना करने के लिये भारत सरकार ने अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ के अधीन संविहित नियन्त्रण लगा दिया है और २–४–१९५८ को अलौह धातु नियन्त्रण आदेश, १९५८ जारी किया गया था। इस आदेश के अधीन, ताम्बे का वास्तविक प्रयोग करने वालों में बराबर वितरण करने के लिये सम्पूर्ण आयात किये गये ताम्बे को कन्ट्रोलर अपने अधिकार में ले लेता है। और छोटे उद्योगों के लिये वितरण उनकी १९५७ की खपत के अनुसार किया जाता है। अनुसूचित उद्योगों के लिये वितरण १९५६ के उत्पादन के आधार पर किया जाता है।

खान मुख्य निरीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट

†**२८४५. श्री स० चं० सामन्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान मुख्य निरीक्षक की १९५६ की वार्षिक रिपोर्ट कब प्रकाशित की जा रही है ;

(ख) वार्षिक रिपोर्टों को शीघ्रता के प्रकाशित करने की ृष्टि से क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) १९४० के बाद प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट की कितनी कितनी प्रतियां प्रकाशित की गयी थीं ; और

(घ) उन अवधि के प्रत्येक वर्ष में कितनी कितनी कीमत निर्धारित की गयी थी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) खान मुख्य निरीक्षण की १९५६ की वार्षिक रिपोर्ट इस समय छप रही है और आशा है कि वह शीघ्र ही प्रकाशित हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रकाशन के विलम्ब होने का कारण यह है कि खान प्रबन्धकों से विवरण बहुत देर से प्राप्त हुये थे, और रिपोर्ट के छपने में देर लग गयी है। इन मामलों में विलम्ब से बच के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ). १९४० के बाद छ ी हुई रिपोर्टों की प्रतियों की संख्यायें तथा प्रत्येक प्रति की कीमत नीचे दी गयी हैं :—

वर्ष	प्रतियों की संख्या	प्रति कापी की कीमत		
		पये	आ०	पा०
१९४०	१०९०	१	१२	०
१९४१	९८२	२	४	०
१९४२	१०५०	३	१४	०
१९४३	११००	२	०	०
१९४४	१२०५	३	८	०
१९४५	११५०	३	४	०
१९४६	११००	५	६	०
१९४७	१२५०	६	४	०
१९४८	१०००	६	१०	०
१९४९	७००	१२	१२	०
१९५०	७००	१५	१४	०
१९५१	३७०	१७	१४	०
१९५२	३५५	१७	१०	०
१९५३	३८५	२३	८	०
१९५४	३९०	२०	८	०
१९५५	३२०	५४	०	०

इंगलैंड स्थित भारतीय उच्चायोग में कर्मचारी

†२८४६. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंगलैण्ड स्थित भारतीय उच्चायोग में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) वहां पर अगस्त, १९५७ में कितने कर्मचारी थे और अप्रैल, १९५४ में कितने थे ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ३१–३–१९५८ को १२९८ कर्मचारी।

(ख) ३१-३-१९५७ को १२४३ और

३१-३-१९५४ को १२४७

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों में भारतीय मिशनों के मुखियाओं द्वारा भारत को भेजी गयी राशियां

†२८४७. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मिशनों के मुखियाओं तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा भारत को भेजी जाने वाली राशियों पर कोई टैक्स नहीं लगता ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: इन राशियों पर वर्तमान भारतीय आय-कर विधियां लागू होती हैं ।

यदि कोई पदाधिकारी कर्मचारी वित्तीय वर्ष के मध्य में किसी विदेश में नियुक्त हो तो जब वह शेष वित्तीय वर्ष में भारत में अपनी राशि भेजेगा तो उस पर भारतीय आय-कर विधियां लागू होंगी । उसके बाद अगले सारे वित्तीय वर्ष में भेजी जाने वाली राशियों पर भारतीय आय-कर विधि लागू नहीं होगी ।

विदेशी सेवा निरीक्षक

†२८४८. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेश सेवा निरीक्षक अपने पिछले दौरे में किस किस देश में गये थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : विदेश सेवा निरीक्षक अपने पिछले दौरे में निम्नलिखित देशों में गये थे :—

आस्ट्रेलिया, बर्मा, चेकोस्लोवाकिया, मिस्र, फ्रांस, हंगरी, आयरलैण्ड, इटली, मुराक्को, नार्वे, पौलेण्ड, स्पेन, स्वीडन और इंगलैण्ड ।

विदेश सेवा भत्ता

†२८४९. **श्री सै० अ० मेहदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वैदेशिक कार्य मंत्रालय विदेश स्थिति मिशनों से विदेश सेवा भत्ते से सम्बन्ध रखने वाले 'सभी' विवरण मंगवाने बन्द कर दिये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी, हां । यदि 'सभी' से तात्पर्य मिशनों के मुखियाओं द्वारा भेजे जाने वाले आतिथ्य सत्कार विवरणों और सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के धन भेजने के विवरणों से तो उत्तर 'हां' में है ।

खानों में काम करने वाले सरदार आदि

†२८५०. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों में काम करने वाले सरदारों और क्वेरमैनों[1] ने कोई मांगें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या क्या मांगें हैं ; और

(ग) उनके बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** :(क) इण्डियन नेशनल माइन्ज़ ओवरमैन, सरदार एण्ड शाटफायटर्ज एसोसिएशन ने एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Sirdar and Quermen.

(ख) उस पत्र में का घण्टों को घटाने, डाक्टरी सम्बन्धी सुविधा, गृह निर्माण तथा पेय जल संभरण सम्बन्धी सुविधायें, उपदान तथा निवृत्ति वेतन, और उनके विरुद्ध की जाने वाली जांच के दौरान उनकी पूरी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था आदि की मांगें निहित हैं। उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९३]**

(ग) मांगें इस समय विचाराधीन हैं।

खानों का बन्द हो जाना

†२८५१. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में खान अधिनियम की धारा २२ के अधीन खान विभाग ने कितनी कोयला खानों को बन्द कर दिया था ;

(ख) वे कितने कितने समय के लिये बन्द हुई थीं ; और

(ग) उससे उत्पादन में कितनी कमी हुई थी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) १९५७-५८ में खान अधिनियम, १९५२ की धारा २२(३) के अधीन ५९ कोयला खानों को पूर्ण रुपेण अथवा कुछ भाग को बन्द करने का आदेश दिया गया था।

(ख) खान अधिनियम की धारा २२(३) के अधीन दिये गये आर्डर से :—

२९ खानें एक मास से कम समय तक

१३ खानें १ से २ मास तक

९ खानें २ से ३ मास तक

३ खानें ३ से ४ मास तक

१ खान ७ से ८ मास तक

१ खान ८ से ९ मास तक

२ खानें ९ से १० मास तक

२ खानें १० से ११ मास तक

२ खानें ११ से १२ मास तक

बन्द रहीं।

(ग) हानि के सम्बन्ध में ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है। हमारा मोट तौर पर अनुमान यह है कि ५०,००० टन की अधिक के उत्पादन की हानि हुई है।

मद्रास में साइकल के कारखाने

†२८५२. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में साईकल जोड़ने के कितने कारखाने स्थापित करने का विचार है ;

(ख) उन पर कुल कितना खर्च आयगा और वे कहां कहां पर स्थापित किये जायेंगे ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या मद्रास सरकार ने केन्द्र से कोई वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गयी है और प्रत्येक कारखाने को कितनी कितनी सहायता दी गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा प्रस्तावित दो कारखानों के लिये पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। शेष चार कारखानों के लिये (३ राज्य सरकार द्वारा और एक गैर-सरकारी पार्टी द्वारा प्रस्थापित कारखानों के लिये) अन्तिम रूप से मंजूरी नहीं दी गयी है।

(ख) (१) गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा गिण्डी, रापित नगर (मद्रास के निकट) और शिवकाशी में ।

राज्य सरकार द्वारा गिण्डी, बेल्लोर और तंजोर में ।

(२) पांच कारखानों पर कुल १६,२१,०३२ रुपयों की लागत आयेगी और शिवकाशी में स्थापित किये जाने वाले छटे कारखाने के सम्बन्ध में अभी ज्ञात नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ)

राज्य द्वारा प्रस्तावित कारखाने	राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी राशि	केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी राशि
	रुपये	
गिण्डी का कारखाना . . .	१,६५,३५७	मामला अभी विचाराधीन है।
वेल्लोर ,, ,, . . .	२,०९,८३१	
तंजौर ,, ,, . . .	५,६३,०८५	

एक्स रे की फिल्में

†२८५३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक्सरे की फिल्मों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय चल-चित्रों के गाने

२८५४. **सेठ गोविन्द दास** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चल-चित्रों में गीतों को किसी नीति या नियमों के अनुसार सम्मिलित करने की अनुमति दी जाती है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उक्त नीति और निम्न बनाने के लिये कोई सरकारी समिति है : और

(ग) यदि हां, तो उस समिति के गठन करने के सिद्धान्त व उसके कर्यक्षेत्र का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर) : (क) सेन्ट्रल बोर्ड आफ फिल्म सैन्सरज् द्वारा जारी किये गये निर्देशों के आधार पर फिल्मी गानों को, "एक्ज़ामिनिंग कमेटियों" द्वारा जांचा जाता है। ऐसे गाने फिल्म का हिस्सा ही माने जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जालन्धर के प्रादेशिक निपटारा आयुक्त के कार्यालय में मूल्य निर्धारक तथा चपरासी

†२८५६. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालन्धर के प्रादेशिक निपटारा आयुक्त के कार्यालय के ५० मूल्य निर्धारकों और चपरासियों को इस सप्ताह में ही सेवा से अलग कर देने के नोटिस कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें कोई वैकल्पिक नौकरियां दी गयी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हे अन्य मंत्रालयों में काम में लगाने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) १ सितम्बर, १९५८ को ४० मूल्य निर्धारकों और ३ चपरासियों को नोटिस दिये गये थे।

(ख) जी, नहीं, अभी तक नहीं।

(ग) छंटनी में आये हुए कर्मचारियों को दुबारा नौकरी के लिये स्थानीय काम दिलाऊ दफ्तर में नाम दर्ज कराना पड़ता है। काम दिलाऊ दफ्तरों को यह हिदायत दी गयी है कि ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाये, और वास्तव में उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है।

उपभोक्ता वस्तुओं के लिये आयात लाइसेंस

†२८५७. **श्री जेना :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये आने वालों को उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिये लाइसेंस नहीं दिये जाते ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिये किस आधार पर लाइसेंस दिये जाते हैं ;

(घ) जुलाई, १९५८ के बाद से विभिन्न राज्यों के नये व्यापारेच्छुकों से उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) अब तक कितने मामलों में लाइसेंस मंजूर किये और दिये जा चुके हैं ; और

(च) क्या लाइसेंस मंजूर करने के कुछ मामले अब भी विचाराधीन हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) सामान्यतया नये व्यापारियों को उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लाइसेंस नहीं दिये जाते ।

(ख) मुख्यत: विदेशी मुद्राओं की कमी ।

(ग) चालू अवधि के लिये उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लाइसेंस मुख्यत: लाल पुस्तक में निर्धारित कोटे के अनुसार पुराने आयात करने वालों को ही दिये गये हैं ।

(घ) प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में राज्यवार आकड़े नहीं रखे जाते ।

(ङ) लाइसेंस देने की चालू अवधि (अप्रैल-सितम्बर १९५८) में १६.८.१९५८ तक ४५,००० रुपये की कीमत के २० लाइसेंस दिये जा चुके हैं । इस संख्या में आयात व्यापार नियंत्रण के एस० संख्या १६९–१७०/४ के अधीन आने वाले पुस्तकों और पत्रिकाओं के ४१,००० रुपये के १७ लाइसेंस भी शामिल हैं ।

(च) यह जानकारी एकत्र की जा रही है ।

दवाओं के निर्माण के लिये लाइसेंस

†२८५८. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ गैर-सरकारी फर्मों को स्ट्रेप्टोमाइसिन और टैरामाइसिन के निर्माण के लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ग) क्या उन्होंने इन दवाओं का निर्माण करना आरम्भ कर दिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). किसी गैर-सरकारी पक्ष को टैरामाइसिन के निर्माण का लाइसेंस नहीं दिया गया है । स्ट्रैप्टोमाइसिन के संबंध में पिम्परी के मेसर्स हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के अलावा कलकत्ते के मेसर्स स्टैण्डर्ड फार्मास्युटिकल एण्ड केमिकल वर्क्स को लाइसेंस दिया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†२८५९. **श्री बोस** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उद्योगपति, विशेषरूप से लोहे और मैंगनीज की खानों के मालिक भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के खिलाफ़ पक्षपात की शिकायत कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) कुछ खान मालिकों ने यह शिकायत की है कि राज्य व्यापार निगम ने निर्यात के लिये लौह-अयस्क बेचने का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है ?

(ख) इन शिकायतों के संबंध में जांच की गयी है और जहां कहीं भी खान मालिक स्वीकार्य किस्मों की अयस्क स्वीकार्य भावों पर देने को राजी थे वहीं खरीद के ठेके कर लिये गये हैं। कई प्रस्तावों को पर्याप्त परिवहन क्षमता की कमी के कारण नामंजूर कर देना पड़ा है।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†२८६०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने आविर्भाव के बाद से भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने बाड़ा जमदा क्षेत्र से कुल कितनी लौह अयस्क खरीदी है ;

(ख) इसका संभरण करने वालों के नाम क्या हैं ; और

(ग) डिलीवरी के लिये कितनी अवधि तय की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). विभिन्न क्षेत्रों अथवा संभरण कर्त्ताओं आदि से की गयी खरीद या डिलीवरी की अवधि से संबंधित विवरण बताना राज्य व्यापार निगम जैसे समवायों के व्यापारिक हित में नहीं है।

निर्यात के कोटे

†२८६१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के बनने के ठीक पूर्व की तिमाही में निर्यात करने वालों को लौह-अयस्क के निर्यात के कुल कितने कोटे दिये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : **मद्रास** : १,२३,१०६ टन।

कलकत्ता : ३,५७,१४० टन (जन-जून १९५६ तक जिस में तदर्थ आवंटन भी शामिल है।)

अन्य पत्तन : कोई कोटा प्रणाली नहीं थी।

कास्टिक सोडा का संभरण

†२८६२ **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में रायपुर के कुछ छोटे पैमाने पर साबुन बनाने वाले कारखानों को आयात के मुख्य नियंत्रक ने यह सूचित किया है कि "वास्तविक प्रयोक्ता" की उन की कास्टिक सोडा की आवश्यकतायें सरकार द्वारा नियुक्त "आयात करने वाले वितरकों" द्वारा किये गये स्टाक में से पूरी की जायेंगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट हुआ है कि मेसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड ने, जो सरकार द्वारा नियुक्त "आयात करने वाले--वितरकों" में से एक हैं, सीमित आयात और अन्य कारणों से इस के संभरण की व्यवस्था करने में असमर्थता प्रगट की है ;

(ग) क्या रायपुर के मध्य प्रदेश लघुरूप साबुन निर्माण कर्ता संघ ने अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के रक्षित स्टाक में से एक वैगन ठोस कास्टिक सोडा के संभरण की व्यवस्था करने का अभ्यावेदन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां

(ख) जी हां । टाटा मांग को पूर्णतः पूरा नहीं कर पाये हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) यह मामला विचाराधीन है ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

†२८६३. { **श्री वि० च० शुक्ल** :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात के लिये भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने कुछ नये बाजार विकसित किये हों, तो उन के नाम क्या हैं ; और

(ख) इस अयस्क का निर्यात कायम रखने के लिये राज्य व्यापार निगम क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार कर रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) एक भी नहीं ।

(ख) राज्य व्यापार निगम निम्नलिखित कार्यवाही कर रहा है :--

(१) राज्य व्यापार निगम अमरीका के वस्तु उधार निगम से काफी बड़े परिमाण में मैंगनीज़ अयस्क और फैरो मैंगनीज़ के बदले में गेहूं के आयात के लिये विनिमय व्यवस्था के बारे में बातचीत चला रहा है ।

(२) कुछ देशों के साथ विशेष भुगतान की व्यवस्था की जा रही है जिस से अन्य वस्तुओं के अलावा मैंगनीज़ के निर्यात में भी सुविधा होगी ।

(३) प्रमुख निर्यातकों खान मालिकों से संयुक्त बिक्री कार्यक्रमों की व्यवस्था की जा रही है ताकि भारतीय अयस्क के पुराने खरीदारों को संभरण जारी रखा जा सके और जहां संभव हो उसे बढ़ाया जा सके ।

(४) निगम के व्यापारिक सहयोगियों की मदद से प्रमुख उपभोक्ताओं से दीर्घकालिक ठेके करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†२८६४. **श्री वि० च० शुक्ल :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २१ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या **१५५०** के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा किये गये व्यवसाय आदि के संदर्भ में प्रयुक्त होने पर "विभागीय" शब्द का निश्चित अर्थ क्या होता है ; और

(ख) यदि ३१ जनवरी, १९५८ को समाप्त होने वाली अवधि में अयस्कों और अयस्कों के अलावा अन्य वस्तुओं के व्यवसाय पर, जिस के सम्बन्ध में यह दिखाया गया है कि वह व्यवसाय राज्य व्यापार निगम ने विभागीय तौर पर किया, हुए कुल व्यय को हिसाब में शामिल कर लिया जाय तो लाभ या हानि के सम्बन्ध में क्या स्थिति होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) इस शब्द के अन्तर्गत वे सभी ठेके आ जाते हैं, जिन के सम्बन्ध में निगम ने बातचीत चलाई, ठेके लिये और जिन ठेकों को उस ने क्रियान्वित किया ।

(ख) निगम के व्यवसाय पर लाभ या हानि ३० जून, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन में दिखाई जायगी, और उस की एक प्रति तैयार होते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†२८६५ **श्री शिवनजंप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने भारत में किये जाने वाले आयात के माल भाड़े को कम करने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं ; और

(ख) माल को कम दर पर ले जाने के लिये पूरे जहाज़ों को किराये पर लेने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) राज्य व्यापार निगम ने जहाज़ों को चार्टर करने और ठेका करके कम भाड़े पर माल भिजवाने की व्यवस्था करने के के लिये एक अलग डिवीज़न खोल दिया है जिस का नाम 'नौवहन विकास और विपणन विकास डिवीज़न' है ।

(ख) निगम यह प्रयत्न कर रहा है कि जहां तक सम्भव हो निर्यात लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य और नौतल पर्यन्त निःशुल्क हो । इस से भारतीय जहाज़ों की आय बढ़ेगी और जहाज़ों को मितव्ययता पूर्ण शर्तों पर 'चार्टर' दिया जा सके ।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†२८६६. श्री **पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई १९५७ से जून १९५८ के दौरान में भारत के राज्य व्यापार निगम ने कुछ मैंगनीज़ खान मालिकों से रेल पर्यन्त निःशुल्क के आधार पर कच्चा मैंगनीज़ खरीदा और नौतल पर्यन्त निःशुल्क के आधार पर उन्हीं के हाथों बेच दिया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम को इन सौदों में कोई हानि हुई ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग)। प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†२८६७. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९५७ से जून, १९५८ तक भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने कलकत्ता पत्तन से कुल कितने कच्चे मैंगनीज़ का निर्यात किया ;

(ख) क्या उक्त अवधि में राज्य व्यापार निगम ने कलकत्ता पतन पर किसी गैर-सरकारी समवाय के पास कच्चा मैंगनीज़ बेचा था ; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

†**वणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) ४२,३७६ टन।

(ख) जी हां ।

(ग) ५०० टन। वह भी इसलिये कि एक गैर-सरकारी निर्यातकर्ता को संविदानुसार एक विदेशी खरीदार को यह मात्रा भेजनी थी ।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†२८६८. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ कोई क्रय मंत्रणा बोर्ड भी है जिस में विभिन्न मंत्रालयों और विक्रेता के प्रतिनिधि हों ; और

(ख) राज्य व्यापार निगम विदेशो में विक्रय कैसे करता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) एक समिति स्थापित की गई है जिस में राज्य व्यापार निगम और इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे और जो निगम की कच्ची धातुओं की खरीद के बारे में व्यवस्था करने के लिये है। समिति की बैठक शीघ्र ही होगी ।

(ख) (१) विदेशी खरीदारों जोकि प्राय: अपने देशों में केन्द्रीय अभिकरण होते हैं अथवा सम्बन्धित खरीदारों से बातचीत रखे ;

(२) निगम के व्यापारी सहायकों तथा अन्य व्यापारियों से की गई पूछताछ के फलस्वरूप ;

(३) विदेशी विक्रेताओं द्वारा दिये गये टेंडरों के उत्तर में दरें भेज कर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लौह-अयस्क का निर्यात

†२८६९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ और १९५७ में कलकत्ता बन्दरगाह संविदा के अन्तर्गत और प्रत्यक्ष रूप से भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने कितने लौह-अयस्क का निर्यात किया ;

(ख) क्या एक गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकित संविदा के अन्तर्गत भी कुछ लौह-अयस्क का निर्यात किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो यह सौदा कितने रुपये का था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क)

	१९५६ (टन)	१९५७ (टन)
राज्य व्यापार निगम के प्रत्यक्ष संविदा . .	२१,२५८	२,९४,६४४
किसी के द्वारा प्राप्त हुए संविदा .	—	१,००,०५५
कुल .	२१,२५८	३,९४,६९९

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

शस्त्रास्त्र और गोला बारूद का आयात

२८६९-क. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में गत पांच वर्षों में असैनिकों के प्रयोग के लिये कितने शस्त्रास्त्र और गोला बारूद आयात किये गये और वे किन किन देशों से आयात किये गये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है जिस में १९५३-५४ से १९५६-५७ (अप्रैल-दिसम्बर ५६) तक और १९५७ और १९५८ (जनवरी-जून ५८) में हुए शस्त्रास्त्रों और गोला बारूद के देशानुसार आयात के आकड़े दिये गये हैं । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९४**].

सभा पटल पर रखे गये पत्र

प्रशासकीय सजगता विभाग का प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** मैं १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक की अवधि के लिये प्रशासकीय सजगता विभाग के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ९९३/५८**]

†मूल अंग्रेजी में

रबड़ नियमों में संशोधन

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उपधारा (३) के अधीन रबड़ नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७९७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्कालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ९५६/५८]

नारियल-जटा बोर्ड

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं नारियल-जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) वर्ष १९५७-५८ के लिये नारियल-जटा बोर्ड के कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० ९५४/५८]

(२) ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाली छमाही में नारियल-जटा बोर्ड के कार्य का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ९५५/५८]

सदस्य की गिरफ्तारी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट से दिनांक २४ सितम्बर, १९५८ का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :

"श्री मोहन स्वरूप, सदस्य, लोक-सभा, को, आज प्रजा समाजवादी दल के एक जत्थे का नेतृत्व करते हुए सरकारी अनाज के गोदाम की ओर जाते हुए, सिटी मजिस्ट्रेट से यह कहने पर कि यदि उन्हें चाबियां न दी गयीं तो वे ताले तोड़ देंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा १४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया ।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अठाइसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिण्डा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अठाइसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़): मैं "प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा सैनिक सेवा मुख्यालय का संगठन" विषय पर प्रतिरक्षा मंत्रालय के बारे में प्राक्कलन समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

नवां प्रतिवेदन

†**श्री मूलचन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का नवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड के बन्द हो जाने से देश में वस्त्र उत्पादन में कमी

†**श्री सोनावने** (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : नियम १६७ के अधीन मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड के बन्द हो जाने से देश में वस्त्र उत्पादन में कमी ।"

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, शोलापुर एक मिली-जुली मिल है जिस में ८६,०४८ तकुए तथा २,२३४ चालित करघे हैं ।

यह मिल अक्टूबर, १६५६ से बहुत घाटे में चल रही थी । इस मिल के सामने सब से बड़ी कठिनाई यह थी कि उस की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उसके पास कपास तथा कोयला जैसे मुख्य कच्चे माल की कीमत चुकाने के लिये भी धन नहीं था । यहां मशीन भी बहुत पुरानी है और कुव्यवस्था के कारण न तो नयी मशीन लगाई गई है और न पुरानी मशीन का नवीकरण किया गया है ।

वित्तीय कठिनाइयों के कारण तथा मशीनें पुरानी होने के कारण उत्पादन लगातार कम हो रहा था और १०-३-१६५८ को मिल को बन्द कर देना पड़ा । मिल का उत्पादन इतना अधिक कम हो गया था कि फरवरी, १६५८ में उत्पादन केवल ४८२३ पौंड सूत तथा २८,६०० पौंड कपड़ा रह गया था जबकि जुलाई, १६५७ में उसका उत्पादन २,८८,००० पौंड सूत और ३,४१,००० पौंड कपड़ा था । अतः इस मिल के बन्द हो जाने से मिलों में बनने वाले कपड़े की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि अगस्त, १६५८ में मिल क्षेत्र का कुल उत्पादन १३,६२,१८,००० पौंड सूत तथा ६,५७,६७,००० पौंड कपड़ा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत इलेक्ट्रोनिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के वर्षिक प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : श्रीमान्, यह वक्तव्य लगभग डेढ़ पृष्ठ का है । मैं इसे पढ़ कर सुनाऊं या सभा पटल पर रख दूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा पटल पर रख दें ।

†**श्री रघुरामैय्या** : मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा-पटल पर रखा गया वक्तव्य

कल जब भारत इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष १९५६-५७ का वार्षिक वेदन सभा पटल पर रखा गया था, तो श्री मुरारका ने दो बातें कही थीं, अर्थात् :

१. भारत इलैक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड का वर्ष १९५५-५६ का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं का लेखा-परीक्षित विवरण सभा पटल पर नहीं रखा गया था, इसे केवल वर्ष १९५५-५६ के लिये प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं के वाणिज्यिक परिशिष्ट के अनुबन्ध के रूप में ४ सितम्बर, १९५८ को सभा पटल पर रखा गया था ; और

२. वर्ष १९५६-५७ का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष समाप्त होने के १८ महीने बाद सभा पटल पर रखा गया है ।

पहली बात के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि सरकारी समवायों के वार्षिक प्रतिवेदन अब संसद् की दोनों सभाओं के सामने समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९(१) के अधीन रखे जाते हैं । यह अधिनियम १ अप्रैल, १९५६ से लागू हुआ है । समवाय अधिनियम, १९५६ के लागू होगे के बाद भारत इलैक्ट्रोनिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड का पहला वित्तीय वर्ष १९५६-५७ था । अतः इस अधिनियम की धारा ६३९ (१) के अधीन इस संस्था का पहला प्रतिवेदन १९५६-५७ का है जो सभा पटल पर रखा गया । वर्ष १९५५-५६ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा तत्संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन आदि सभा के सामने समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९(१) के अधीन नहीं रखे गये थे । वे वर्ष १९५५-५६ के लिये प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे के एक भाग के रूपमें सभा के सामने रखे गये थे ।

जहां तक १९५६-५७ के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने का प्रश्न है, मैं बताना चाहता हूं कि समवाय अधिनियम की धारा ६१९ के अधीन लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक को सौंपा जाना होता है जिसे प्रतिवेदन पर टिप्पण देने या उस में कुछ और जोड़ने का अधिकार है । ऐसे टिप्पण अथवा अतिरिक्त भाग समवाय की वार्षिक बैठक के सामने रखे जाते हैं । नियंत्रक महानिदेशक का टिप्पण मिलने के बाद समवाय की वार्षिक बैठक २४ अप्रैल, १९५८ को हुई । ऐसी स्थिति में वर्ष ५६-५७ का वार्षिक प्रतिवेदन पिछले रूपमें, जो ९ मई, १९५७ को समाप्त हुआ था, सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता था । अतः उसे चालू सत्र में सभा पटल पर रखा गया है ।

---

†मूल अन्ग्रेजी में

तारांकित प्रश्न संख्या ७६४ के उत्तर की शुद्धी

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : १ सितम्बर, १९५८ को श्री राधा रमण तथा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के तारांकित प्रश्न संख्या ७६४ के उत्तर में पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री, श्री मेहर चन्द खन्ना द्वारा, जो विवरण सभा पटल पर रखा गया था उस के पहले पैरे की पहली पंक्ति में जो संख्या ६४,००० दी गई है, वह ग़लत है, और उसे १४,००० कर लिया जाये ।

विनियोग* (संख्या ४) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वर्ष १९५८-५९ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियो का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**डा० गोपाल रेड्डी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं ।

---

†**डा० गोपाल रेड्डी** : मैं प्रस्ताव करता** हूं :

"कि वर्ष १९५८-५९ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वर्ष १९५८-५९ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, २ और ३ तथा अनुसूची व अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेज़ी में

*भारत के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २ दिनांक २५-९-५८ में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित व प्रस्तुत किया गया ।

खण्ड १, २ और ३ तथा अनुसूची १ अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

†**डा० गोपाल रेड्डी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा का कार्य

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितल द्रुग) : अपने विशेष प्रस्तावों के संबंध में मैं आप से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । कार्य सूची में था कि श्री फिरोज़ गांधी के प्रस्ताव पर चर्चा होगी । पर दुर्भाग्यवश श्री फिरोज़ गांधी बीमार हैं अतः उन का प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता । अतः हम लोगों ने निवेदन किया था कि उस के स्थान पर कोई अन्य प्रस्ताव रख लिया जाये । पर अन्य कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि इन प्रस्तावों को कार्य सूची में रखने के लिये किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है । हमारा अनुभव है कि इस प्रकार के बहुत से प्रस्तावों पर विचार ही नहीं हो पाता क्योंकि सरकार इन के लिये तैयार नहीं होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक अनियत दिन वाले प्रस्तावों का प्रश्न है हम कार्य मंत्रणा समिति में तय कर चुके हैं कि प्रति सप्ताह ऐसे एक प्रस्ताव को लिया जायेगा । श्री फिरोज़ गांधी के गाड़ियों के देर से आने-जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को प्राथमिकता दी गई थी । इधर अकस्मात ही श्री फिरोज़ गांधी बीमार हो गये । उनकी इच्छानुसार उनका प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया । हर गुरुवार को एक प्रस्ताव रखने का प्रबन्ध कर दिया गया है ।

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा २५ सितम्बर, १६५८ को श्री दातार द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

"कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की कुछ शर्तों का विनियमन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

साथ ही विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने संबंधी श्री फ्रैंक एन्थनी के प्रस्ताव पर भी विचार होगा । विधेयक के लिये आवंटित २।। घंटे के समय में से अब केवल १ घंटा ४२ मिनट शेष हैं । श्री एन्थनी अपना भाषण जारी करें ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम-निर्देशित—आंग्ल भारतीय) : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

मैं कल कह रहा था कि फैडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति को ७ हज़ार रुपये वेतन मिलता था, जब कि हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति को केवल ५ हज़ार रुपये वेतन मिलता है और न्यायाधीशों को केवल ४ हज़ार रुपये वेतन मिलता है। मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि यह वेतन संविधान के अनुसार निर्धारित है पर ध्यान रहे कि उच्चतम न्यायालय के पदाधिकारियों के वेतन में कमी एक झूठी बचत है और यह बात खतरनाक भी साबित हो सकती है।

जहां तक निवृत्ति वेतन का सम्बन्ध है, वह भी बहुत कम है मुख्य न्यायाधिपति के लिये २६,००० रुपये वार्षिक है और न्यायाधीशों के लिये २०,००० वार्षिक है। आय कर तथा अन्य करों को काटने के बाद यह वेतन लगभग १ हज़ार रुपया मासिक बैठेगा क्या आप समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का गुजारा इतनी छोटी राशि से हो सकेगा। उसे एक निश्चित रहन-सहन का स्तर बनाये रखना पड़ता है। ब्रिटेन में तो यह परम्परा है कि वहां कोई न्यायाधीश सेवा से निवृत्त नहीं होता। एक बार न्यायाधीश बनने पर वह ९० या १०० वर्ष जब तक जीवित रहे अपने पद पर रहता है। पर भारत में आपने आयु सीमा ६० या ६५ वर्ष निश्चित कर दी है और इस के बाद उसे वेतन का लगभग एक-तिहाई या एक चौथाई निवृत्ति वेतन मिलता है जो कि उपयुक्त नहीं है। अतः न्याया-धीशों के सेवा निवृत्त होने की परिपाटी कोई अच्छी परिपाटी नहीं है। राज्य पुनर्गठन के समय पर भी मैं ने इस बात का विरोध किया था कि न्यायाधीशों को सेवा निवृत्त होने के बाद किसी सरकारी पद पर या वकील के रूप में काम करने की छूट न दी जाये। चूंकि हम न्यायाधीशों को सेवा निवृत्ति के बाद वकालत करने की छट देते हैं इसलिये आप देखेंगे कि चारों तरफ उच्च न्यायालयों में भ्रष्टा-चार भरा हुआ है न्याय व्यवस्था में राजनैतिक प्रभाव का बोलबाला है और इसी कारण आज राज-नैतिक प्रभावों के कारण न्यायालयों की प्रतिष्ठा घट गई है। न्यायाधीश सरकारी पदों के लालच में आ कर सरकार का पक्षपात करते हैं। चारों ओर वकीलों तथा सामान्य जनता में इस की आलोचना हो रही है और न्याय-व्यवस्था के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे सरकारी पदों के लोभी हैं। हमें कम-से-कम इस प्रकार की आलोचना को रोकना चाहिये।

निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में मुझे बहुत खेद है कि उनके लिए इतना कम रखा गया है। छुट्टियों के सम्बन्ध में मैं इस से सहमत नहीं हूं कि उन की छुट्टी कम की जाये, क्योंकि उन्हें एक विशेष प्रकार का काम करना पड़ता है। दिन भर उन्हें न्यायालय में बैठ कर कठिन बौद्धिक काम करना पड़ता है और शनिवार व रविवार को उन्हें निर्णय लिखने पड़ते हैं तथा कानून सम्बन्धी अध्ययन करना आवश्यक होता है इस के बिना उन की गाड़ी नहीं चल सकती। यह कहना गलत है कि उन की छुट्टियां कम कर के आप पुराने ऐसे मामलों को जल्दी निबटा लेंगे, जो लंबित हैं। सच पूछा जाये तो न्यायाधीशों के पास इतना काम रहता है कि वह आराम जानते ही नहीं। यह कहना भी अधिक संगत न होगा कि हम न्याय सम्बन्धी मामलों में बहुत जल्द-बाजी करें, क्योंकि इस से समुचित न्याय न हो पायेगा।

हमारे उच्चतम न्यायालय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और उस की रक्षा करने के लिये आवश्यक है कि हम इन बातों की ओर समुचित ध्यान दें अन्यथा ध्यान रहे कि धीरे-धीरे जनता का विश्वास देश के उच्चतम न्यायालय पर से उठ जायेगा। इन्हीं कारणों से मैं निवेदन करता हूं कि स बात पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री से निवेदन है कि वे मेरा अनुरोध स्वीकार करें और इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये।

†डा० सुब्बरामन (तिरुचेंगोड) : श्री फ्रेंक एन्थनी चाहते हैं कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को अन्य स्थानों में, जहां न्याय सम्बन्धी कार्य न हों वहां नियुक्त न किया जाय। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा यह मत है कि न्यायाधीशों के सम्बन्ध में इस प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये अपितु यदि वे किसी ऐसी सेवा के लायक हों जिससे देश को श्रेय प्राप्त हो सके तो उन्हें यह अवसर अवश्य प्रदान किया जाना चाहिये।

जहां तक वेतनों का सम्बन्ध है न्यायाधीशों का वेतन इतना अवश्य होना चाहिये कि बहुत अच्छी आय वाले वकील इस पद की ओर आकर्षित हो सकें, तथापि हमारे देश के जीवन स्तर को देखते हुए संविधान में जो वेतन विहित किया गया है वह उपयुक्त है।

मैं श्री एन्थनी की इस बात का समर्थन करता हूं कि हमें न्यायालय की छुट्टियां नहीं घटानी चाहिये। अधिकांश न्यायाधीश अपनी छुट्टियों का अधिक समय निर्णय लिखने में बिताते हैं। इतना होने पर भी हमारे न्यायाधीशों ने बहुत उच्च कोटि का कार्य किया है। निस्संदेह न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के कारण हमें सदैव प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हो सकते हैं तथापि संख्या बढ़ने पर ऐसा होना अनिवार्य है। मैं श्री एन्थनी से इस बात में सहमत हूं कि न्यायाधीशों को १० से ४ तक न्यायालय में रहना होता है जिसमें उन्हें पर्याप्त मानसिक शक्ति व्यय करनी होती है क्योंकि उन्हें बहुत ध्यान पूर्वक सभी तर्कों को सुनना होता है। निस्संदेह कुछ न्यायाधीश अपने आसन पर सो जाते हैं तथापि अधिकांश न्यायाधीश ऐसे होते हैं जो आंखें मूंदे हुए भी प्रत्येक बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते रहते हैं और उस स्थान पर तत्काल संकेत करते हैं जो विशेष महत्व की बात होती है।

पेंशनों के सम्बन्ध में मैं श्री एन्थनी का समर्थन करता हूं। जिस न्यायाधीश ने पूरी अवधि तक कार्य नहीं किया है उसके लिये ७५०० रु० की पेंशन पर्याप्त है तथापि वह अपना जीवन स्तर इतना ऊंचा नहीं रख पायेगा जिसका वह आदी है। इसलिये हमें न्यायाधीशों को इस प्रकार नियुक्त करना चाहिये कि वे अपनी पूरी पेंशनें प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।

मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि न्यायपालिका को दलबंदियों से पृथक् रखना चाहिये। तथापि इसका यह तात्पर्य नहीं है कि किसी विशेष दल का व्यक्ति होने के कारण किसी योग्य व्यक्ति को यह आदर देने से वंचित किया जाय। निस्संदेह किसी विशेष दल के लोगों की नियुक्ति हो सकती है तथापि ऐसा उसके दल विशेष के कारण नहीं अपितु उसकी योग्यता के कारण होगा। मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि हमारी न्यायपालिका ऐसी होनी चाहिये कि उसे जनता का विश्वास प्राप्त हो सके।

†पंडित कृ० चं० शर्मा (हापुड़) : श्री एन्थनी ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सुख सुविधाओं के सम्बन्ध में पुरजोर सिफारिश की है। उनका कहना है कि न्यायाधीश की आय एक प्रथम श्रेणी के वकील की आय के बराबर होनी चाहिये, जिससे कि सर्वोच्च श्रेणी के वकील न्यायाधीशों के रूप में उपलब्ध हो सकें। मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि एक प्रथम श्रेणी के वकील की आय के बराबर रुपये कोई राज्य अपने न्यायाधीशों को नहीं दे सकता है। इसके अलावा न्यायाधीश बनने के पहिले वे पर्याप्त रुपया कमा चुके होते हैं। तीसरे यह आवश्यक नहीं है कि न्यायाधीश में वे ही गुण होने चाहियें जो एक उच्चकोटि के वकील में होते है इसके विपरीत न्यायाधीश के लिये ऊंचे चरित्र और तीक्ष्ण बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित कृ० चं० शर्मा]

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

इस बात का एक मनोवैज्ञानिक पहलू यह भी है कि जो व्यक्ति केवल धन के लिये इस पद को प्राप्त करना चाहता है वह वस्तुतः इस महान पद के अयोग्य है ।

मैं श्री एन्थनी का यह प्रस्ताव समर्थन करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये । यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है अतः विधि बनने के पूर्व इस पर भली भांति विचार करना आवश्यक है ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : श्री एन्थनी ने जो कुछ भी कहा है, वह वास्तविक स्थिति के ऊपर आधारित नहीं है, अपितु उनकी भावी आशंका को प्रगट करता है । निस्संदेह हमारे उच्च-न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय ही कार्यपालिका के हस्तक्षेप तथा अन्याय को रोकने में समर्थ हैं और इनसे ही देश में शांति तथा सुव्यवस्था कायम रहने में सहायता मिलती है । यह सरकार का एक ऐसा अंग है जिसके सम्बन्ध में हमें मितव्ययिता पर विचार नहीं करना चाहिये । जब हम अपने अतिरिक्त करों द्वारा होने वाली आय का ५० प्रतिशत प्रतिरक्षा में व्यय करते हैं तो समान उपयोगी न्यायपालिका की व्यवस्था के लिये भी उपयुक्त राशि व्यय होनी चाहिये ।

संवाद पत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि हमारे देश के एक सुयोग्य न्यायाधीश को अमेरिका में राजदूत नियुक्त किया गया है । मेरे विचार से यह आपत्तिजनक बात है न्यायाधीशों को इन पदों पर नियुक्त करने से उनकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता इत्यादि पर कुप्रभाव पड़ेगा । अतः उन्हें ऐसे पदों पर नियुक्त नहीं करना चाहिये जिनसे उन पर सरकार की कृपा प्रगट होती हो । यह पृथा बढ़ती जा रही है कि जब कोई राज्यपाल का स्थान रिक्त होता है तो हम न्यायाधीश को वहां नियुक्त कर देते हैं । यह एक प्रकार का प्रलोभन है जिससे उसकी न्यायप्रियता, निष्पक्षता पर आघात होगा अतः इस प्रथा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये । किसी भी न्यायाधीश की न्यायप्रियता तभी तक अविच्छिन्न रूप से कायम रह सकती है जब कि उसे यह आश्वासन दिया जाय कि वह जीवन भर न्यायाधीश ही बना रहेगा । हमें यदि किसी न्यायाधीश की पदोन्नति करनी हो तो हमें न्यायपालिका के अन्तर्गत ही उसकी पदोन्नति करनी चाहिये ।

हमें न्यायाधीशों के वेतनों और पेंशनों के सम्बन्ध में अधिक उदार होना चाहिये । यदि हमें मितव्ययिता करनी है तो अन्य विभागों में करनी चाहिये । यह हमारे लोकतंत्र का शिशुकाल है अतः हमें केवल ऐसे कार्य करने चाहिये जिन से हमारे देश में लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत हो । मैं इसे प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि न्यायपालिका में किसी प्रकार हस्तक्षेप करना लोकतंत्र के विकास के लिये घातक होगा ।

†**श्री भंजदेव** (क्योंझर) : मैं श्री एन्थनी के संशोधन का समर्थन करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाना चाहिये । यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन सम्बन्धी शर्तों व पेंशन नियमों इत्यादि से सम्बन्ध रखता है । उच्चतम न्यायालय हमारे संविधान का प्रहरी है । संविधान सम्बन्धी सभी मामलों का निपटारा वही करता है । अतः वहां के न्यायाधीशों को सभी उपयुक्त सुविधायें प्रदान की जायें । उनकी न्यूनतम पेंशन, विधेयक में विहित पेंशन से अधिक होनी चाहिये तथा उन्हें, उनके घरों में बिजली,

†मूल अंग्रेजी में

पानी इत्यादि मुफ्त मिलना चाहिये। न्यायाधीशों को पदभार संभालते समय यात्रा भत्ता मिलता है लेकिन उन्हें पद छोड़ते समय भी अपने घर तक जाने का यात्रा भत्ता मिलना चाहिये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक आज संविधान पारित होने के ८½ वर्ष बाद रखा गया है तब इसे प्रवर समिति में भेजने में क्या हानि है। वहां दो तीन महीनों के अन्दर विधेयक पर समुचित चर्चा हो सकती है और इस में वांछनीय सुधार हो सकता है।

†**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** (औरंगाबाद-बिहार): श्री एन्थनी और श्री नाथ पाई ने जो तर्क रखे हैं उनका सारांश यह है कि जब तक हम न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि नहीं करेंगे और उनकी पेंशनों में वृद्धि नहीं करेंगे हमें प्रथम श्रेणी के व्यक्ति नहीं मिल सकते हैं।

यह कहा गया है कि एक उच्चन्यायालय के नौ वकीलों ने न्यायाधीश का पद इस आधार पर ठुकरा दिया कि उन्हें आर्थिक हानि होती है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। वकालत एक महान् पेशा है। स्वतंत्रता संघर्ष में भी इसी व्यवसाय के सब से अधिक लोग शामिल थे। उन्होंने देश हित के लिये बहुत कुछ बलिदान किया। मैं नहीं समझता कि इस वर्ग के लोग केवल आर्थिक लाभ की दृष्टि से एक पद ठुकरा सकते हैं जो उन्हें अधिक लोक सेवा का अवसर प्रदान करता है और साथ ही अधिक प्रतिष्ठा, सम्मान, पद और सुरक्षा प्रदान करता है।

साथ ही जब हम देश में समाजवादी ढांचे का समाज लाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि न्यायाधीश भी इसी परिधि के अन्तर्गत आयें। इसलिये उनके वेतनों में अधिक वृद्धि करना अनुचित है।

जहां तक पेंशन का प्रश्न है निवृत्ति प्राप्त न्यायाधीश को ३००० रु० मासिक वेतन देना अत्याधिक है। आप राष्ट्रपति को १५००० रुपया वार्षिक पेंशन देते हैं। भारत के किसी भी कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन की यह अधिकतम सीमा होनी चाहिये। इसलिये न्यायाधीशों को भी इससे अधिक पेंशन नहीं मिलनी चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि नये नियुक्त होने वाले न्यायाधीशों की पेंशन शर्तों में तदनुसार परिवर्तन किया जाय।

मैं श्री एन्थनी के इस संशोधन का समर्थन करता हूं विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय जिससे इस विधेयक पर सभी दृष्टिकोणों से विचार हो सके।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, श्री फ्रेंक एन्थनी का भाषण सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने देश में ईमानदारी को रुपये पर तौला है। ईमानदारी और रुपया दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। ईमानदारी कम रुपये में भी रह सकती है और अधिक रुपये में भी रह सकती है..........

श्री नाथ पाई: ईमानदारी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

श्री सिंहासन सिंह: आप रुपये में उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि रुपया आ क दो तभी उनकी इंटैगिरैंटी और औनेस्टी ईमानदारी कायम रहेगी अन्यथा नहीं रह सकती। लेकिन दोनों अपने अपने स्थान पर भिन्न भिन्न हैं। एक आदमी को समाज में अधिक से अधिक इज्जत मिल जाये। हमारे देश में प्राचीन काल में यह संस्कृति थी कि उस व्यक्ति को समाज में अधिक से अधिक आदर दिया जाता था जो कि संसार की माया को छोड़ कर अपने ख्यालात जाहिर करता था।

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री सिंहासन सिंह]

उस व्यक्ति को राजा अपना आधा सिंहासन दिया करता था। अब हम अर्थवाद की नीति में आ कर हर एक चीज को अर्थ पर ही तोल रहे हैं। किसी व्यक्ति के लि े इस देश में सुप्रीम कोर्ट का जज होना महान् गौरव की बात होनी चाहिये लेकिन उसकी न्याय करने की क्षमता को इससे तोलना कि उसको कितना दिया जा रहा है मैं नहीं समझता कि कहां तक ठीक होगा। अगर वह न्यायाधीश भी अपनी न्यायप्रियता को, अपने न्याय के स्थान को रुपये के आंकड़ों से तोले तो मैं समझूंगा कि वह भी अपने कर्तव्य को जिस तरह से पालन करना चाहिये नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ के बारे में यहां बहस हो यह हमारे लिये शोभा की बात नहीं है। उनको तो हम जितना गौरव प्रदान कर सकें उनको तो हम जितना ऊंचे से ऊंचा स्थान दे सकें यह देश के लिये शान और गौरव की बात होगी। तो मैं इस स्थान का समन्वय रुपये से करना उचित नहीं समझता।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि टर्म्स आव सरविस में हम उनको जितनी सुविधा देना चाहते हैं दें, चाहे तो रिटायरमेंट की एज को भी ६५ साल से आगे बढ़ा दें। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनको कोई ऐसा प्रलोभन नहीं होना चाहिये कि उनको गवर्नमेंट में किसी अन्य स्थान पर नियुक्त कर दिया जायेगा। इस विधेयक को देखने से मालूम होता है कि इस प्रकार की सम्भावना है। मैं श्री नाथ पाई की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को कहीं बाहर राजदूत बना कर भेजा जाये उसके बनिस्बत अगर उसको कहीं सुप्रीम कोर्ट का जज बनाकर भेजा जाये तो उसकी न्यायप्रियता के कारण उसका ज्यादा महत्व होगा। राजदूत बनाने में हो सकता है कि रुपये पैसे के लिहाज से और सम्मान के लिहाज से कुछ ज्यादा फायदा मालूम होता हो। लेकिन इस प्रकार की सुविधा देने में खटका है। हमारे संविधान की धारा १२८ में यह साफ दिया हुआ है कि अगर चीफ जस्टिस योग्य समझे तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को रिटायरमेंट के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है। यह बात तो सम्मान की है और वह रहनी चाहिये लेकिन अगर उस रिटायर्ड न्यायाधीश को कहीं दूसरी जगह नियुक्त किया जाये तो इसमें खतरा हो सकता है क्योंकि इन्सान में कमजोरी होती है और वह कमजोरी बहुत दूर तक जाती है, जिसके कारण वह आदमी झुक सकता है। ऐसी कोई आशंका न रहे इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में कोई ऐसी धारा जरूर होनी चाहिये कि अवकाश ग्रहण करने के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट का जज सिवा उस स्थान के जिसका जिक्र संविधान की धारा १२८ में किया गया है और किसी स्थान पर नियुक्त न किया जाये।

दूसरी बात यह कही गयी कि इनको अधिक पेंशन मिलनी चाहिये। अभी मेरे भाई सिन्हा ने कहा कि इस में एक बड़ी आपत्ति है। भारत में राष्ट्रपति का सब से ऊंचा स्थान है और वही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करते हैं। अब आप देखें कि रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति को तो १५००० सालाना पेंशन मिलेगी और जिनको वह नियुक्त करते हैं उनको २६००० पेंशन मिलेगी। तो अगर रुपये के हिसाब से नापा जाये तो राष्ट्रपति की इज्जत सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से बहुत कम हो जायेगी। राष्ट्रपति का स्थान छोटा हो जायेगा। न्याय की दृष्टि से देखा जाये तो देश में राष्ट्रपति से न किसी को अधिक इज्जत मिलनी चाहिये और न अधिक रुपया मिलना चाहिये। इसलिये अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजों की पेंशन २६००० रखते हैं तो आपको राष्ट्रपति की पेंशन मजबूरन बढ़ानी होगी। लेकिन जब हम इस प्रकार रुपया बढ़ाने की बात करते हैं तो हम को देश की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिये। आज हालत यह है कि हम दुनिया में रुपये के लिये हाथ पसारते

फिर रहे हैं लेकिन जहां खर्च करने का सवाल आता है तो हम बड़ी उदारता के साथ सब की पेंशनें और वेतन बढ़ाने को तैयार हो जाते हैं। जब रुपये का सवाल आता है तो हम अमरीका, जर्मनी, जापान और सब जगह दौड़ते हैं और जब खर्च का सवाल आता है तो उदार हो जाते हैं। इन दोनों बातों में बड़ा असंतुलन है। एक तरफ तो हम मांगते हैं और दूसरी तरफ बड़ी उदारता के साथ दे देते हैं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी प्रार्थना करूंगा कि देश की आर्थिक अवस्था को देखते हुए उनको चाहिये कि वे गवर्नमेंट को लिख दें कि हमा ी पेंशन कम करो, इसमें कोई ज्यादा गौरव नहीं है। आज हम इस वातानुकूलित भवन में बैठे हैं पर हम अपने देश के गरीबों की हालत को नहीं देखते। आज देश में हर रोज खुराक का मसला सामने आता है, कपड़े का मसला सामने आता है, मकान का मसला सामने आता है। जो हमें यहां भेजने वाला वोटर है आज उसके बदन पर कपड़ा नहीं है, उसके पेट में अन्न नहीं है, उसके सामने भूखों मरने का सवाल है, और यहां यह प्रश्न सामने आते हैं कि इनकी तनख्वाह बढ़ा दो और उनकी पेंशन बढ़ा दो। तो हम को देश की आर्थिक हालत को देखते-हुए संतुलन से काम लेना चाहिये।

हम ने सन् १९३२ में कराची में रिजोल्यूशन पास किया था और उस वक्त की हालत को देखते हुए यह निर्णय किया था कि किसी को ५०० रुपये से अधिक ेतन नहीं दिया जाना चाहिये। लेकिन वह तो अब इतिहास की बात हो गयी है।

श्री नाथ पाई (राजपुर) : क्या वह सुप्रीम कोर्ट के और हाईकोर्ट के जजों के लिये था।

श्री सिंहासन सिंह : वह तो जनरल था। मैं तो सब के लिए कह रहा हूं। तो मैं यह कहता हूं कि हमने देश की गरीबी का ध्यान नहीं रखा। मेरा तो इस बात से बड़ा विरोध है कि सिवा राष्ट्रपति के किसी दूसरे व्यक्ति को राज्य की तरफ़ से फ्री फरनिश्ड हाउस दिया जाये। आपने इस विधेयक में भी प्रोवाइड किया है। पहले जो फेडेरल कोर्ट के जज थे उनको इस प्रकार की मकान की सुविधा नहीं दी गयी थी। ब्रिटिश शासन काल में गवर्नर जनरल और गवर्नर के अलावा किसी को इस प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती थी। आज तो हम यह सुविधा मंत्रियों और बहुत से दूसरे लोगों को दे रहे हैं। लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि इस सब को जोड़जाड़ कर हम उनको तनख्वाह दें तो ज्यादा अच्छा होगा। हमें यह कहने को तो होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को इतनी तनख्वाह मिलती है। कहा जाता है कि फेडेरल कोर्ट के जज को ७५०० रुपया वेतन मिलता था। लेकिन मैं कहता हूं कि आज जो सुविधायें हम सुप्रीम कोर्ट के जजों को दे रहे हैं, जैसे फ्री फरनिश्ड मकान है, शायद लाइट भी फ्री हो, अगर इन सारी सुविधाओं को जोड़ा जाये तो आप को मालूम होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी कम नहीं दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप इनको ७५०० वेतन ही क्यों न दें। इस प्रकार घुमा फिरा कर क्यों देना चाहते हैं। तो मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस मसले पर विचार किया जाये। क्या इस देश के अन्दर यह ठीक है कि हम इस प्रकार से किसी सुविधायें बढ़ायें जब कि एक तरफ हमारे देश में लोग शीत और ताप में नंगे बदन, बिना मकानों के रह रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस हालत में इस प्रकार की सुविधायें देना ठीक नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रावीडेंट फंड (भविष्य निधि) की सुविधा भी देने को कहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रावीडेंट फंड कांट्रीब्यूटरी (अंशदायी) होगा या नान कांट्रीब्यूटरी। यह बात इसमें साफ नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इनको दोनों तरह का बैनीफिट यानी पेंशन का और प्रावीडेंट फंड का बैनीफिट भी देना चाहते हैं।

यह आपको साफ करना होगा। अगर यह नानकांट्रीब्यूटरी प्रावीडेंट फंड हो तब तो कोई बात नहीं क्योंकि कोई भी अपनी तनख्वाह में से कुछ रुपया कटवा सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इनको पेंशन भी दे और कांट्रीब्यूटरी प्रोवीडेंट फंड का बैनीफिट भी दे तो फिर अन्यत्र से भी इस प्रकार की दोनों सुविधाओं की मांग होगी। उस अवस्था में अगर हमको फिर रुपये के लिए दूसरों के आगे हाथ पसारना पड़ा तो बहुत दुःख की बात होगी। इस लिए सरकार इस प्रश्न पर विचार करे और इन जजों को दोनों प्रकार की सुविधा न दे। एक चीज उनको देनी चाहिए।

मैं इस बिल को सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) में भेजने के लिए तो नहीं कहता पर मैं चाहता हूं कि इस मामले पर अधिक ग़ौर किया जाये। यह ऐसा सवाल नहीं है कि जिस पर एक दो घंटे में सोच विचार किया जा सके। और अभी इसको पास करने की कोई खास जल्दी भी नहीं है। अगर अभी इस सत्र में यह विधेयक पारित न भी होगा तो जजों को कोई असुविधा नहीं होगी क्योंकि नियम ो पहले से मौजूद हैं ही। मैं चाहता हूं कि इसको अगले सत्र में विचार के लिए रखा जाये। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय मेरें इस सुझाव को मान लें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंग्थ ११ आदमियों की है।

इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ़ जस्टिस है और दस जज हैं। अपने संविधान में हम ने आठ जजिज़ का प्राविज़न किया था—एक चीफ़ जस्टिस और सात जज। उस के कुछ समय बाद संविधान में संशोधन कर के जजों की संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन हम देखते हैं कि जजों की संख्या ग्यारह होने के बाद मुकदमों की संख्या भी बढ़ी है। हमें देखना है कि किस तरीके से जल्दी जल्दी फ़ैसले कर के इन मुकदमों की संख्या को कम किया जा सकता है।

जजों को छुट्टियां भी बहुत दी जाती हैं। एन्थोनी साहब को मेरी इस बात पर हैरानी होती है। वह वकालत करते हैं और काफ़ी रुपया कमाते हैं। उनको ग़रीबों से मतलब नहीं है। मकदमे में जितनी देर होगी, उनको उतना ज्यादा रुपया मिलेगा। तीन महीने तक सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी रहती है। उसके अलावा जजों को भी बहुत छुट्टियां मिलती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीन महीने तक देश के न्याय का काम रुका रहे, यह ठीक नहीं मालूम होता है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : उस वक्त वैकेशन जज होता है।

श्री सिंहासन सिंह : वह फ़ौजदा ी के केसिज़ देखता है और सिविल काम नहीं देखता है। उस वक्त सिर्फ़ एक एप्लीकेशन बैंच होता है—वह सिर्फ़ एप्लीकेशन लेता है और वह कोई डिसिज़न वगैरह नहीं ले सकता है।

इस लिए इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि हम अवकाश कम करें, ताकि आगे चल कर हम को फिर जजों की संख्या न बढ़ानी पड़े। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस है और आठ जज हैं। अमरीका की आबादी कम है, लेकिन उसका क्षेत्रफल दुगना बड़ा है। उसके पास धन भी बहुत ज्यादा है। अगर हो सके, तो छुट्टियों की संख्या कम की जाय, ताकि जजों की संख्या बढ़ाने की नौबत न आए। यहां हफ्ते में पांच दिन काम होता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को विशिष्ट कमेटी में भेजे जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करता

श्री तंगामणि (मदुरै) : श्रीमान् यह विधेयक संविधान की धारा १२५(२) के अधीन आ रहा हूं ।

इस विधेयक पर बड़े ठंडे दिल से विचार करने की आवश्यकता है । अत : प्रवर समिति को सौंपना ही अत्यन्त उचित रहेगा ।

कुछ सदस्यों ने संशोधन रखे हैं कि न्यायाधीशों के सेवा निवृत्ति के पश्चात राजदूत—राज्य-पाल आदि न बनाया जाये । इससे वह सरकार को प्रसन्न करने की कार्यवाही भी करने लगते हैं । इस के साथ मैं यह कहूंगा कि उन्हें विश्वविद्यालयों के उपकुलपति भी न बनाया जाये । उन्हें केवल न्याय करने देना चाहिये । यही अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

न्यायाधीशों के वेतन के बारे में संविधान में ही उपयुक्त उपबन्ध किये गये हैं । किन्तु हम देखते हैं कि आई० सी० एस० न्यायाधीशों के लिये अलग सुविधायें हैं । इस प्रकार का मतभेद न्यायाधीशों के बीच में नहीं होना चाहिये । अब तो हमें यह भेद समाप्त कर देना चाहिये ।

आज प्रत्येक शाखा में विशेषज्ञता प्राप्त करने का युग चल रहा है अतः हमें भी न्यायपालिका में विभिन्न बैंचों की स्थापना कर देनी चाहिये । जिस प्रकार से हमारे पास संविधान निर्वाचिन बैंच है उसी प्रकार से औद्योगिक चुनाव तथा अन्य विषयों सम्बन्धी न्यायाधीश तालिकाएं स्थापित करनी चाहिये । इस से ही मामलों का निबटारा शीघ्र हो सकता है । आज हम देख रहे हैं कि न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है । इस समस्या का हल तभी हो सकता है जब कि हम न्यायपालिका का ठीक विभागीकारण करें ।

दूसरे आजकल उच्चतम न्यायालय में जाने के लिये लोगों को बहुत सा धन व्यय करना होता है । साधारण लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सकते । कई अपीलों के लिये रुपया जमा कराना पड़ता है उसकी राशि कम की जानी चाहिये ।

आजकल यद्यपि ऐसी विधियां हैं जिनके अनुसार मामलों का निबटारा निश्चित अवधि में हो जाना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं होता । चुनाव के मामले ही उच्च न्यायालयों में वर्ष से भी अधिक देर तक पड़े रहते हैं ।

विधि आयोग को भी इन सब बातों पर विचार करना चाहिये ।

जहां तक निवृत्ति आय का सम्बन्ध है वह समान होनी चाहिये । अब जिला न्यायाधीश तो ५५ वर्ष के पश्चात् सेवा निवृत्त किये जाते हैं और उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश ६० वर्ष की आयु पर और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु में । तीनों को एक ही आयु में सेवा निवृत्त किया जाये ।

विधि का प्रत्येक न्यायाधीश ओलीवर वेंडल हाम्स के नाम से परिचित है । उसी ने कहा था कि पूंजीवाद के अन्तर्गत विधि का आशय समाज के ढांचे को बनाये रखना होता है । इस बात पर हमें पूर्ण विचार करना चाहिये क्योंकि अब हम स्वतंत्र हो गये हैं । हमें ब्रिटिश न्याय सिद्धान्तों की अच्छी बातें ले लेनी चाहियें किन्तु उनका दास नहीं बनना चाहिये ।

अतः हमें भी स्वतंत्रता के पश्चात विधि का आधार बदलना होगा । हमें भारतीय परम्पराओं को भी ऊंचा रखना है ।

---

†मूल अन्ग्रेजी में

मैं तो यह समझता हूं कि न्यायाधीश रुपये पैसे के मामले की इतनी चिन्ता नहीं करते। हमें इस मामले पर बड़े ध्यान से विचार करना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बात में कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जजिज़ की सर्विस कन्डीशन्ज़ के बारे में यह बिल ग़ैर-मामूली अहमियत रखता है और इस के मुख्तलिफ एस्पैक्ट्स पर ग़ौर करने के लिए यह ज़रूरी है कि इस मामले पर जितना मुमकिन हो, उतना ग़ौर किया जाय। बिज़िनेस एडवाइज़री कमेटी (कार्य मंत्रणा समिति) ने इस बिल के लिए जो दो ढाई घंटे का वक्त दिया है, मेरी राय में वह बिल्कुल नाकाफ़ी है। न ही इस सदन में इस बिल से मुताल्लिका सारी ज़रूरी बातों पर अच्छी तरह से ग़ौर किया जा सकता है। इस लिए मेरी नाकिस राय में इस बिल को ज़रूर सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए। इस में चन्द एक बातें इतनी अहम हैं कि उन की बाबत सिर्फ़ आज ही नहीं कहा गया है, बल्कि कांस्टीच्युएन्ट असेम्बली में भी उन का तज़किरा हुआ था। आज भी वे बातें उतनी ही ज़रूरी हैं, जितनी कि वे उस वक्त थीं, जब कि हम ने अपना कांस्टीच्यूशन बनाया था। वे बातें ऐसी हैं, जिन के बारे में राय में फ़र्क हो सकता है। इस सिलसिले में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो शख्स एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट का जज हो जाय, उस के दिल में यह ख्याल आना कि किसी पोलीटिकल जगह पर या किसी ऐसी जगह पर, जो कि सिर्फ़ जुडिश्यल न हो, जो कि उसी तरह की न हो, जैसी कि सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, उस की एपायंटमेंट हो सकती हैं, हमारे लिए एक निहायत खराब चीज़ है। सारे सिविलाइज्ड मुल्कों में इस तरह के कनवेन्शन्ज़ बने हुए हैं। इस में कोई शक नहीं कि हमारे सामने लार्ड रीडिंग की मिसाल दी गई। मैं तो उस मिसाल से वाक़िफ़ नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद वह इस तरह की अकेली मिसाल होगी।

श्री वें० प० नायर (क्विलोन): हमारे देश में कभी कभी ऐसा होता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: आप का देश कोई और होगा।

श्री वें प० नायर: नहीं, भारत में।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैं समझता हूं कि यह बात हमारी जुडिश्यरी की इंडिपेंडेंस को कायम रखने के वास्ते बिल्कुल फ़ंडामेंटल है कि न तो गवर्नमेंट यह ख्याल करे कि वह सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को गवर्नर बना सकती है, या कहीं एम्बैसेडर बना कर भेज सकती है, या और किसी पोस्ट पर मुकर्रर कर सकती है और न ही सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के दिल में यह ख्याल रहना चाहिए कि मैं ऐसी किसी जगह एपायंट हो सकता हूं। ह्युमैन नेचर जैसी है, उस से सभी लोग वाकिफ़ हैं। मैं कितने ऐसे जजों को जानता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट जज रहे। जब तक वे काम करते रहे, वे बड़ी ईमानदारी से काम करते रहे, लेकिन जब वे रिटायर होने लगते हैं, तो सब को ख्याल आता है कि अब मेरा क्या होगा। उस वक्त वे ज़रूर देखते हैं कि किसी न किसी गवर्नमेंट जाब पर लग जायें। यहां तक कि मैंने कितने ही रिटायर्ड जजिज़ को डिटेन्शन लाज़ की छोटी छोटी कमेटियों के लिए कोशिश करते देखा है, सिफ़ारिशें कराते देखा है कि किसी तरह से हम उन में आ जायें। उन की बात समझ में आ सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज़िज की बात दूसरी है। जब यह मामला कांस्टीच्युएन्ट असेम्बली में था, तो मैं ने अर्ज किया था कि वे सप्तर्षियों की तरह हैं। इस देश की आज़ादी के दो बुलवर्क हैं—एक तो यह पार्लियामेंट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट में भी हम मेम्बरों की डिस्क्वालीफ़िकेशन्ज अनर्हताओं के बारे

में एक बिल ला रहे हैं, जिस में हमने यह उसूल रखा है कि वे एग्ज़ेक्टिव से किसी किस्म की एपायंटमेंट एक्सेप्ट न करें। क्यों ? इसलिए कि पार्लियामेंट के मेम्बरों की इन्टेगरिटी, प्योरिटी और इन्डिपैंडेंस पहली चीज़ है, जो कि देश की सिक्योरिटी की ज़ामिन है। लेकिन इस से भी बढ़ कर हम ने फंडामेंटल राइट्स बनाए और एक तरह से हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उन को गारण्टी करते हैं। मेरी निगाह में तो हमारी कुल आज़ादी के मालिक वे हैं। कभी चर्चिल के बारे में हम ने सुना था कि लड़ाई के दिनों में उसकी स्पीचिज़ ऐसा असर रखती थीं, जैसा कि किसी बैंटेलियन का किसी मुल्क में चले जाने से होता है। मैं समझता हूं कि आप इस देश में हज़ारों पुलिसमैन एपायंट कर दीजिये, लेकिन वे पीस, सिक्योरिटी और लिबर्टी के वैसे मुहाफ़िज नहीं हो सकते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी जगहों पर बैठे हुए हमारे हकूक के मुहाफ़िज़ होते हैं। जब हम ने सुप्रीम कोर्ट के जज़िज़ को वह जगह दे दी, जो कि सप्तर्षियों के बराबर है, और हम ने उन को अपनी लिबर्टी का बुलवर्क बना लिया, तो ऐसी सूरत में उन के दिमाग़ में एक दफ़ा भी यह ख्याल आना कि हम को कोई और जगह मिल सकती है, हमारी इंडिपेंडेंस के लिए---उन की लिबर्टी के लिए नहीं, बल्कि इस देश की लिबर्टी के लिए---किसी ज़हर से कम नहीं है। मेरी नाकिस राय में अकेला यह प्वाइंट कि वे आईन्दा कहीं एपाइंट हो सकें या नहीं, इतनी इम्पार्टेन्स का है कि महज़ उस के लिए इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए, जो कि इस सिलसिले में सारी दुनिया की हिस्ट्री देखे और अपनी तसल्ली करे।

मेरी राय इस बारे में बिल्कुल साफ़ है। जब इस हाउस में इस बात पर चर्चा हुई थी कि कोई गवर्नर साहब रिटायर हो कर काम करें या नहीं, तब मैं ने अर्ज़ किया था कि हमारी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को किसी दूसरी जगह---गवर्नर के तौर पर---मुकर्रर कर दे, इस को मैं निहायत ही बुरी निगाह से देखता हूं। हम तो अंग्रेज़ों की कांस्टीच्युशनल हिस्ट्री में और दूसरी जगह यही देखते आए हैं कि वन्स ए जज, आलवेज़ ए जज (जो एक बार न्यायाधीश बना वह सदैव रहा)। उस को कभी किसी दूसरी जगह एपायंट नहीं किया जाना चाहिए और न ही उस को ऐसी इज़ाजत होनी चाहिए। उस के दिल में कभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि रिटायर होते हुए मैं कोई फ़ैसला कर दूं, तो मुझ को फ़ायदा हो सकता है।

जनाव के रू-बरू ज़िक्र आया है कि उन की तन्ख्वाह बढ़ा दी जाय। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं। सैकंड शिड्यूल में लिखा हुआ है कि उन की कितनी तन्ख्वाह होगी। वह तन्ख्वाह जस्टिफ़ाइड हो या न हो, उस से ज्यादा हम तन्ख्वाह नहीं दे सकते हैं। अगर किसी जज के लिए ज्यादा तन्ख्वाह का सवाल हो तो मैं उस को ग्रज नहीं करता हूं, क्योंकि हम ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को न सिर्फ़ टेम्पटेशन्स से एबाव (ऊपर) रखना है, बल्कि उन को आराम से रखना है। जब तक वे पूरे आराम में नहीं रहेंगे और उनको कोई फिक्र नहीं रहेगा वे अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे और इसका नतीजा यह होगा कि सही फैसले नहीं होंगे। आप सब जानते हैं और मैं भी जानता हूं और यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। कई हाई कोर्ट के जजिज ऐसे हैं जिन की प्रेक्टिसबहुत अच्छी हुआ करती थी और इतनी अच्छी हुआ करती थी कि कोई ठिकाना ही नहीं। उनको जो तनख्वाह मिलती है उससे ज्यादा एक मामूली वकील भी पैदा कर लेता है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रेक्टिस की परवाह न करके हाई कोर्ट की जजशिप ली। आम तौर पर यह कनवैन-शन सी बनी हुई है कि एक अच्छे से अच्छा वकील भी जो सिर्फ रुपये की तरफ ही नहीं देखता है, अपनी प्रेक्टिस को लात मार कर जब उसको जजशिप आफर होती है तो उसको एक्सैप्ट कर लेता है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

इसका कारण यह है कि ऐसा समझा जाता है कि इसके अन्दर मौका है देश की सेवा करने का, इन्साफ करने का वगैरह । मैं नहीं मानता कि कोई भी अच्छा वकील इस आफर से इन्कार करेगा । फ्रैंक एन्थनी साहब जैसे हो सकता है न आयें क्योंकि उनके लिए आप कितनी तनख्वाह बढ़ायेंगे ? आप तीस चालीस हज़ार भी कर दें तो भी शायद वे न आयें । लेकिन जो अच्छा वकील है और जो अपने फ़र्ज़ को समझता है वह कभी भी इस आफर को ठुकरायेगा नहीं और जो कनवैनशन बनी हुई है उसको तोड़ेगा नहीं ? बहुत थोड़े लोग हैं जो रिफ्यूज़ करते हैं ।

यहां पर कहा गया है कि नौ आदमियों ने इस आफर को लेने से इन्कार कर दिया है । मुझे ताज्जुब है कि कैसे उन्होंने इन्कार कर दिया और इस कनवेन्शन को ठुकरा दिया । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन लोगों से हम कहें कि वे बतौर साधू के काम करें । इसके लिए कोई भी तैयार नहीं होगा । उनकी भी बहुत सी जरूरियात होती हैं जिन को उन्हें पूरा करना होता है । जहां तक तन्ख्वाह का सवाल है जब हमने कान्सटीट्यूशन बनाया तो इसमें जो तनख्वाह और पैंनशन का प्राविजन रखा तो वह बहुत सोच विचार करके रखा और बड़ा बैलैंस करके उसको हमने बनाया। यहां पर राष्ट्रपति जी का भी ज़िक्र किया गया है । लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज़िज़ के लिए कोई तबदीली करते हैं तो हो सकता है कि बैलेंस न रहे। इस चार हज़ार को अगर आप कम करते हैं या ज्यादा करते हैं तो आर्मी में, नेवी में तथा दूसरी कम्पेयरेबल पोस्ट्स में भी इसके साथ ही साथ आपको तबदीलियां करनी पड़ेंगी और उनकी तनख्वाहों को तथा पेंशन्स को भी आपको कम या ज्यादा करना पड़ेगा । इसका नतीजा यह होगा कि सारे का सारा जो बैलेंस है वह बिगड़ जाएगा । आपको ना-मालूम कितने लाख रुपये और खर्च करने पड़ जायें तथा दूसरी तबदीलियां करनी पड़ जायें । मेरा ख्याल है कि इस मामले को जिसको कि कांस्टीच्यूएन्ट असैम्बली ने बड़े गौर के बाद तय किया था रियोपन नहीं करना चाहिए और यह ठीक नहीं है । आप देश का ख्याल करें, उन लोगों की बुज़ुर्गी का ख्याल करें। मेरा ख्याल है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपने दिल में यह सोचता नहीं होगा कि इस वक्त देश की जो हालत है उसको देखते हुए उसके लिए चार या पांच हज़ार रुपया बतौर तनख्वाह पाना कुछ कम है । कुल हालात को देखते हुए मैं समझता हूं कि इस तनख्वाह के सवाल को न तो हम लीगली ओपन कर सकते हैं और न ही हमको ओपन करना चाहिए ।

श्री फ्रैंक एन्थनी साहब ने दो बातें कहीं हैं और उनमें मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं और यह मैं अपना फर्ज़ समझता हूं कि उनका ज़िक्र मैं इस हाउस में करूं पहली बात तो यह है कि हम उस तरीके से संतुष्ट नहीं हैं जिस तरीके से कि हाई कोर्ट के जजिज़ की ऐप्वाइंटमेंट्स (नियुक्तियां) होती हैं । मुझे सुप्रीम कोर्ट का तजुर्बा नहीं है, गो मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज़िज के बारे में भी कई बार यह सुनने में आता है कि वहां जो सब से बड़ा जज है उसको भी एप्रोच किया जाता है और कहा जाता है कि तुम इस तरह से कर दो । हाई कोर्ट के जज़िज के बारे में तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि किस तरह से उनकी एप्वाइंटमेंट्स होती हैं और कई कंसिड्रेशंस कई बार ऐसी गवर्नमेंट के सामने होती हैं जो कि नहीं होनी चाहियें । ये एप्वाइंटमेंट सिर्फ इंसाफ की बिना पर और मेरिट पर नहीं होती है । मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कितनी ही सूरतों में ऐसे जज एप्वाइंट होते हैं जिन के ऊपर वे कंसिड्रेशंस नहीं होती हैं जो होनी चाहियें । दूसरे अफसर जो कि रखे जाते हैं और जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनकी बात को मैं छोड़ता हूं । लेकिन मैं बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि दूसरी जगहों पर आप कुछ भी करें, किसी को भी एप्वाइंट करें तथा कोई भी

कंसिड्रेशंस अपने सामने रखें लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजिज के एप्वाइंटमेंट्स के बारे में सिर्फ मेरिट को ही कंसिडर करें। जो लोग रखे जायें वे ऐसे होने चाहियें जो कि उन क्वालिफिकेशंस को आंसर करें जो इन पोस्ट्स के लिए रखी जाती हैं। इसके अलावा और कोई भी कंसिड्रेशंस गवर्नमेंट के सामने नहीं होनी चाहियें। हम इसी दुनिया में रहते हैं और हमें मालूम है कि किस तरह से लोग एप्वाइंट होते हैं। यह मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ा रहा है। मैं अर्ज़ करता हूं कि जहां तक एप्वाइंट्मेंट्स का सवाल है वे बिल्कुल सही तौर पर होनी चाहियें।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि आज के दिन हमारी हाई कोर्ट्स में जो इंडिपेंडेंस है, वह ज्योपार्डी में है और तरह तरह की बातें हम हाई कोर्ट्स के जज़िस के बारे में सुनते हैं और ये ऐसी बातें होती है जिनको सुन कर सिर शर्म से झुक जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं वे बिल्कुल अबव-ससपिशन हों, उनकी तरफ कोई अंगुली उठा कर न देख सके। यह बेसिस जस्टिस का है, यह बेसिस सो-साइटी के प्रिज़रवेशन का है। अगर इसके अन्दर गड़बड़ी होती है तो हम कहां जायेंगे यह नहीं कहा जा सकता है। हम बहुत भ्रष्टाचार सुनते हैं देश के अन्दर। लेकिन हाई कोर्ट्स के अन्दर अगर भ्रष्टाचार की कहानियां जो रायज हैं, वे अगर और ज्यादा हो गईं तो पता नहीं हम कहां जायेंगे। किसी खास जज के बारे में मैं यह नहीं कहता हूं। आम तौर पर हाई को्ंस के जज़िस की इंडिपेंडेंस हमारे वास्ते एसेट आफ दी फर्स्ट प्रायोरिटी है। यह सब से इम्पार्टेंट चीज़ है। इसको कम होने देना बहुत भारी गलती होगी। अगर आपको इसके बारे में कोई शक हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजिज से इसके बारे में पूछ सकते हैं, हाई कोर्ट्स के जजिज़ से पूछ सकते हैं और वे आपको बतलायेंगे कि यह दुरुस्त है या नहीं। जो स्टेंडर्ड और रेपुटेशन पहले थी वह आज किसी कद्र कम होती जा रही है। अगर वह और कम हुई या वह इंडिपेंडेंस कायम न रही जो पहले थी, तो यह हमारे देश की स्टेबिलिटी (स्थायित्व) के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी।

श्री सिंहासन सिंह : जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हर चीज़ की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अगर आबादी बढ़ती है तो वह भी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। गवर्नमेंट ही माई-बाप है।

तीसरी बात मैं पैंशन के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे दोस्त ने यहां पर राष्ट्रपति जी की पैंशन का भी ज़िक्र किया है। इसके बारे में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक साढ़े सात हज़ार रुपये साल पैंशन का सवाल है, यह एक अलग चीज़ है। इसको आप २६,००० और २०,००० से कम्पेयर न करें। किसी चीफ ज़स्टिस के लिए २६,००० रुपया काफी हो या नाकाफी हो, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। डिगनिटी के साथ वे रह सकते हैं या नहीं यह भी मुझे नहीं कहना है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे मिनिस्टर्स को क्या मिलता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को क्या मिलता है? क्या ये किसी तरह से कोई कम इम्पार्टेंट काम करते हैं? कितना भी इम्पार्टेंट काम हो वह तनख्वाह से जज नहीं होता है। हमारे सैक्रेट्रीस हमारे मिनिस्टर्स से ज्यादा तनख्वाह पाते हैं लेकिन इसके यह माने नहीं है कि हमारे मिनिस्टर्स उनसे कम इम्पोर्टेंट काम करते हैं या उनसे किसी कद्र कम काम करते हैं या कम रिस्पांसिबिलिटी का काम करते हैं। यह तनख्वाह का कोई क्राइटीरियन नहीं है।

लेकिन ताहम एक बात मैं कहना चाहता हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हम ६०० रुपया दें और उससे कहें कि तुम इसमें गुजारा करो, तो यह जायज़ नहीं होगा। हम अपनी सोसाइटी को जानते हैं। अगर उनको ६०० रुपया महीना दिया जाता है तो किस तरह से वे अपना गुज़र बसर कर सकते हैं, किस तरह से अपने बालबच्चों को पाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सारे जज़िस ऐसे नहीं हैं जिन के बीवी बच्चे न हों। उनका कुनबा भी है, खर्च भी उनके हैं, लायबिलिटीज भी उन पर हैं। आप कम से कम उनको इस तरह से तो रखें कि वे अच्छी तरह से रह सकें। मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के कितने ही जज़िज बहुत ही सिम्पल हैं, बहुत ही काबिले इज्ज़त हैं और हमारे आइडियल्स के मुताबिक हैं। लेकिन ताहम वे कुनबेदार आदमी हैं, उनकी भी रिसपांसिबिलिटीज़ (उत्तरदायित्व) हैं, उनके भी खर्चे हैं। इस वास्ते हमारा यह फर्ज़ है कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो तो कम से कम उसको हम इस तरह से तो रहने का मौका दें जिस तरह से कि एक अच्छी मिडिल क्लास का आदमी रहता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज ६०० रुपया माहवार के अन्दर वह किस तरह से रह सकता है। एक शख्स को जिसको कि आप एक बार इतना बड़ा रुतबा देते हैं, इतनी बड़ी जगह पर लगाते हैं, जब वह रिटायर हो जाता है उसको इतनी पैंशन तो दें कि वह एक अच्छे मिडिल क्लास मैन की तरह से रह सके।

इसमें २६,००० और २०,००० रुपये सलाना पैंशन की जो बात कही गई है उसके बरखिलाफ मुझे कुछ अर्ज नहीं करना है। लेकिन आपको उसके स्टैंडर्ड और रेपुटेशन का भी ख्याल करना होगा। आपको उसको इतनी कम पैंशन नहीं देनी चाहिये कि वह यह महसूस करे कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है और वह अपना गुज़र नहीं कर सकता है। अगर आप इस पैंशन को एक दफा टिटबिट कर देंगे तो मुझे नहीं मालूम कि हम कहां जायेंगे। इस वास्ते यह जो ७,५०० की रकम रखी गई है, यह मुझे बहुत ही कम मालूम पड़ती है और मैं महसूस करता हूं कि एक अच्छी मिडिल क्लास का आदमी ६०० रुपये माहवार में गुजारा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में अगर आप इसको रखेंगे तो मैं समझता हूं यह मुनासिब नहीं होगा। इस वास्ते मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब मैंने सेकेन्ड शेड्यूल को पढ़ा तो देखा कि हम खास तौर से सेकेन्ड शेड्यूल से किसी हद तक बंधे हुए हैं। कांस्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इतनी ही चीज़ हो सकती है। न हम उस से आगे जा सकते हैं और न पीछे जा सकते हैं, जब तक कि हम कांस्टीट्यूशन को ही तबदील न करें। इस लाइट में हमें देखना है। इस के मुताबिक हमें देखना है कि यह चीज़ दुरुस्त है या नहीं। इसलिये मेरी अदब से गुजारिश है कि जहां तक इस बिल का सवाल है, वह ऐसा है कि अगर आप इसे सेलेक्ट कमेटी में ले जायेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप मुझे माफ करेंगे अगर मैं यह अर्ज़ करूं कि जो नाम श्री ऐन्थानी ने रक्खे हैं उनमें से मैं किसी हद्द तक मुत्तफिक नहीं हूं क्योंकि उस में प्रिपांडपेंस (आधिक्य) है एक तरफ के लोगों की। अगर आप चाहते हैं तो और नाम जोड़ लें, लेकिन इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में जरूर ले जायें और वह जो इस के मुख्तलिफ पहलू हैं, उन पर काफी गौर करें। कुछ हर्ज नहीं होगा अगर यह बिल आज पास नहीं होता, अगले सेशन में हो सकता है। हमारा यह प्रिंसिपल है कि अगर कोई कंट्रोवर्शल बिल आता है तो हम उसे सिलेक्ट कमेटी में ले जाते हैं और उस की छान बीन करते हैं। इस से हमारा किसी तरह का नुक्सान

नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज, सारे मुल्क के महसूस करेंगे कि यहां पर जो काम किया जाता है, वह सोच विचार कर के किया जाता है। जब इस में कंट्रोवर्सल इश्यूज हैं, तो हमें गुरेज नहीं करना चाहिये इस को सिलेक्ट कमेटी में ले जाने से। और सिलेक्ट कमेटी में ले जा कर इस के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर के तब इस बिल को आइन्दा यहां ले आना चाहिये।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : उपाध्यक्ष महोदय इस विधेयक के बारे में कई बातें कही गई हैं। सब से पहले मैं इस बात को लेता हूं कि क्या इस विधेयक को प्रवर समिति या संयुक्त समिति को सौंपा जाना चाहिये अथवा नहीं। जहां तक प्रवर समिति को सौंपने का प्रश्न है उस की तभी आवश्यकता पड़ती है जब कोई विवादास्पद विषय उठ खड़ा हो। यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की छुट्टियों इत्यादि ऐसे विषयों के बारे में है जिन का कि हमारे संविधान में पहले से ही निश्चय किया जा चुका है। हम ने केवल उन उपबन्धों को और उदार बनाने का प्रस्ताव रखा है। जहां तक उन को मिलने वाले निवृत्ति-वेतन का सम्बन्ध है हम ने उस में कोई परिवर्तन नहीं किये हैं।

श्री एन्थनी ने एक विषय और उठाया है। उन का कहना है कि न्यायाधीशों को मिलने वाले वर्तमान वेतन पर्याप्त तथा उचित नहीं हैं। उन को और बढ़ाया जाना चाहिये। उन्हों ने यह राय भी प्रकट की है कि यह विषय वर्तमान चर्चा के बाहर है क्योंकि ये वेतन क्रम संविधान सभा द्वारा भली भांति विचार करने के बाद निश्चित किये गये थे और उस के बाद ये संविधान में शामिल किये गये हैं। पंडित ठाकुर दास भार्गव जी का भी यही कहना है कि इस समय हमारे समक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का प्रश्न नहीं है। उस की चर्चा तो प्रसंगवश आ गई है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बात का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इस का इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार मेरी समझ में नहीं आता कि इस विधेयक में कौन सी विवादास्पद बात शेष रह जाती है।

एक यह सुझाव रखा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अपनी सेवावधि तथा सेवा-निवृत्ति के बाद भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक पदों को छोड़ कर किसी अन्य पदों पर न नियुक्त किया जाये। अनेक सदस्यों ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि सेवा-निवृत्ति के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यपालिका पदों या राजनीतिक पदों पर न नियुक्त किया जाये। इस प्रश्न पर संविधान सभा में भी काफी विचार किया गया था। संविधान सभा में उस समय एक यह बात भी उठाई गई थी कि इन न्यायाधीशों को बाद में अपनी प्रेक्टिस करने की अनुमति दी जाये। किन्तु सभा ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया था। इस के बाद यह प्रश्न उठा था कि क्या लोक-सेवा आयोग के सदस्यों की भांति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी सेवा-निवृत्ति के पश्चात् कोई सरकारी नौकरी न करने दी जाये। इस प्रश्न पर काफी वाद विवाद चला था। जो तर्क आज प्रस्तुत किये गये हैं ये सब बातें उस समय भी कही गई थीं। किन्तु उस समय संविधान सभा ने इन सब बातों पर भली भांति विचार करने के बाद यह निर्णय किया था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये। उस वाद विवाद का उत्तर देते हुए डा० अम्बेदकर ने अनेक तर्क दे कर सिद्ध किया था कि कैसे कई बार इन योग्य तथा अनुभवी न्यायाधीशों की सेवाओं को राष्ट्रीय कार्यों के लिये प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है।

मुझे यह सुन कर बड़ी खुशी हुई है कि अधिकांश सदस्यों एकमत से यह स्वीकार किया है कि हमारे न्यायाधीश बड़े स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा निष्कलंक चरित्र वाले व्यक्ति हैं। मैं इस प्रशंसा के लिये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को बधाई का पात्र समझता हूं। मैं समझता हूं संविधान के प्रवर्त्तन के पश्चात् हमारे उच्चतम न्यायालय ने अपने कार्य को इतनी कुशलता से निभाया है कि उस के लिये विश्व भर में उस का सिर गौरव से ऊंचा रहेगा। तो जब हम यह मानते हैं कि वे पूर्णतया स्वतंत्र हैं, पूर्णतया निष्पक्ष हैं और पूर्णतया निष्कलंक हैं फिर हमें उन के वेतन या निवृत्ति वेतन के प्रश्न को ले कर उन पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं प्रकट करना चाहिये। मैं समझता हूं ये वेतन तथा निवत्ति-वेतन सर्वथा उचित एवं पर्याप्ति हैं। आप प्रथम वेतन आयोग द्वारा निश्चित किये गये वेतन क्रमों को देखिये। उस समय उच्च श्रेणियों के अनेक कर्मचारियों के वेतन कम कर दिये गये थे। भारतीय प्रशासकीय सेवा के उच्चाधिकारियों के वेतन एकदम २५ प्रतिशत घटा दिये गये थे। किन्तु हम ने उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें जान बूझ कर बहुत उदार रखी हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होते हैं और उच्च न्यायालय के ६० वर्ष की आयु में जबकि सरकार का अन्य राजपत्रित अधिकारी ५५ वर्ष की आयु में ही सेवा निवृत हो जाते हैं। हम न्यायाधीशों को और भी अच्छे वेतन देना चाहते है। किन्तु मेरी समझ में नहीं आया कि इतने उच्च चरित्र वाले व्यक्ति कैसे पदों व वेतन के लोभ में पड़ कर अपने विख्यात गुणों को छोड़ सकते हैं? उन के लिये केवल वेतन का ही प्रश्न नहीं है। हम उन की अन्य शर्तों को भी अच्छा बनाना चाहते हैं। ७,५०० रुपये निवृत्ति-वेतन की न्यूनतम सीमा है अधिकतम नहीं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सेवा निवत्ति पर अधिकतम २६,००० रुपये वार्षिक निवृत्ति वेतन मिलता है और अन्य न्यायाधीशों को २०,००० रुपये वार्षिक।

इस सम्बन्ध में हमें अपने देश की आर्थिक स्थिति भी देखनी पड़ती है। हमारे देश में लोक सेवाओं की बड़ी ऊंची परम्परा रही है। मैं मानता हूं कि सेवा निवृत्ति के पश्चात् न्यायाधीशों को रहने सहने का काफ़ी ऊंचा स्तर रखना पड़ता है। किन्तु मैं समझता हूं हमारे देश की लोक सेवाओं के लोग सादगी और उच्च विचारों के लिये विशेष विख्यात रहे हैं। हमें उस परम्परा को निभाना चाहिये। हम न्यायाधीशों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा पहले से ही दुगना निवृत्ति वेतन दे रहे हैं हम उनको पहले से ही अधिकतम निवृत्ति-वेतन दे रहे हैं। इसलिये उस को बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यह कहा गया है कि यदि उन्हें ऊंची पेंशन न दी जातीं तो उन का लोभ का शिकार बनने की बड़ी सम्भावना हो सकती है। मैं इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं। इतने स्वतन्त्र तथा ऊंचे विचारों के व्यक्ति कभी लोभ का शिकार नहीं बन सकते। हिन्दुस्तान एक गरीब देश है। उस की हालत को देखते हुए ७,५०० से २०,००० या २६,००० रुपये की वार्षिक रकम को कुछ कम रकम नहीं कहा जा सकता है। मैं समझता हूं जब हम उन की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तब हमें उन्हें रुपयों से तौलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। हमारे मुख से यह बात शोभा नहीं देती कि हमारे इतने ऊंचे न्यायाधीश रुपये के लालच में फंस सकते हैं। देश की आर्थिक हालत को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि हम ने उन के लिये जो कुछ भी किया है तथा जो कुछ अब करने जा रहे हैं वह काफ़ी सन्तोषजनक है तथा ऐसी स्थिति में अन्य देशों की अपेक्षा काफी अधिक है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में भी यही कहा गया है कि उन्हें कार्यपालिका में उच्च पदों पर आसीन होने की राह नहीं ताकनी चाहिये तथा उन के सामने सेवा निवृत्ति के पश्चात् उच्च पदों पर लगने का मोह नहीं होना चाहिये। जहां तक इन न्यायाधीशों का प्रश्न है कई बार ऐसे

मौके आ जाते हैं जबकि हम किसी मामले का न्यायिक विवेचन कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले में पूर्णतया निष्पक्ष तथा स्वतंत्र जांच कराई जाये। इस सभा ने स्वयं कई बार यह मांग की है कि अमुक समिति या आयोग का अध्यक्ष किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होना चाहिये। उस समय हमें ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं की विशेष रूप से आवश्यकता पड़ती है। मैं समझता हूं किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश कभी भी पदलालसा के लिये किसी के पीछे नहीं दौड़ता। इस के विपरीत हम लोगों को ही उन से प्रार्थना करनी पड़ती है कि वह अपनी सेवायें राष्ट्र की सेवा के लिये उपलब्ध कराने की कृपा करें। हम उन पर कोई कृपा नहीं करते। बल्कि वह हम पर एहसान करते हैं।

जहां तक अवकाश सम्बन्धी नियमों का सम्बन्ध है वे भी काफी उचित ही हैं। उन्हें वर्ष में २$^1/_2$ महीने का अवकाश मिलता है। इस के अतिरिक्त उन्हें चिकित्सा के लिये अवकाश तथा इस के इलावा असाधारण अवकाश की व्यवस्था भी की गई है। उन को पूरे वेतन सहित अवकाश आदि देने की सभी सुविधायें प्राप्त होंगी। मैं समझता हूं हम ने उदारता से ही काम लिया है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है न्यायाधीशों के छुट्टियों के नियमों तथा निवृत्ति वेतन के बारे में संविधान में स्पष्ट उपबन्ध किया हुआ है। ऐसी दशा में हम उन को ये सब सुविधायें देने के लिये बाध्य थे। अतः हमारे उदारता दिखाने का प्रश्न कैसे उठ सकता है? संविधान में द्वितीय अनुसूची के भाग (ग) के पैरा ९(५) में यह लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों के छुट्टी तथा निवृत्ति वेतन सम्बन्धी नियम वही रहेंगे जोकि संविधान के प्रवर्त्तन से पहले संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होते थे। अतः जब तक हमें यह पता न चल जाये कि संविधान बनने से पहले उन पर कौन से नियम लागू होते थे तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हम ने उन के लिये उदारता दिखाई है? मंत्री महोदय को पहले वे नियम सदस्यों में परिचालित करने चाहियें थे ताकि हमें पता लग सकता कि सरकार ने इस दिशा में क्या किया है और सभा के सामने सही स्थिति आ सकती।

†**श्री दातार** : इस औचित्य प्रश्न में कोई सार नहीं है। संविधान में अनुच्छेद १२५ में यह कहा गया है कि न्यायाधीशों के विशेषाधिकार तथा छुट्टी व निवृत्ति वेतन सम्बन्धी नियम संसद द्वारा बनाई जाने वाली विधि के अन्तर्गत शासित होंगे। और अब संसद् उन के लिये एक विधि बनाने जा रही है। इसलिये इस आपत्ति में कोई सार नहीं है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यदि आप संविधान के उपबन्ध का इस प्रकार निर्वचन करना चाहते हैं तब तो वेतनों में परिवर्तन करने का प्रश्न भी उठाया जा सकता है।

†**श्री दातार** : एक माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि न्यायाधीशों के लिये भविष्य निधि में रुपया जमा करने का कैसे उपबन्ध किया गया है। भविष्य निधि क्या है? जब किसी भी सरकारी कर्मचारी को निवृत्ति वेतन पाने का अधिकार होता है स्वभावतः वह भविष्य के लिये भी कुछ रुपया कटा सकता है। इस निधि को भविष्य निधि कहते हैं। इस में कर्मचारी का रुपया ही होता है। किन्तु क्योंकि वह रुपया सरकार के पास रहता है इसलिये सरकार उस पर कुछ ब्याज दे देती है। मैं नहीं समझ सकता इस में सदस्यों को क्या आपत्ति हो सकती है। हम ने जो कुछ भी किया है वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हित में ही किया है। हम ने आज तक उन के हित के विपरीत कुछ नहीं किया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : श्रीमान् औचित्य प्रश्न का ठीक समाधान नहीं हुआ है। अनुच्छेद १२५ (२) में यह कहा गया है कि "किसी न्यायाधीश के न तो विशेषाधिकारों में और न भत्तों में और न अनुपस्थिति छुट्टी अथवा निवृत्ति वेतन विषयक अधिकारों में उस की नियुक्ति के पश्चात् उस को अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा।"

†**श्री दातार** : हम उन में कौन सा परिवर्तन कर रहे हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इस औचित्य प्रश्न में कोई सार नहीं समझता। अनुच्छेद १२५(२) में यह कहा गया है कि "प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का तथा अनुपस्थिति छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के बारे में ऐसे अधिकारों का जैसे कि संसद् निर्मित विधि के द्वारा या अधीन समय समय पर निर्धारित किये जायें तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न हों, तब तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधिकारों का जैसाकि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है, हक होगा।" यह संसद् का परमाधिकार है। इस के बाद उसी अनुच्छेद में आगे यह कहा गया है जब तक ये निर्धारित नहीं हो जाते तब उन को संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित अधिकार मिलते रहेंगे। प्रथम उपबन्ध के अनुसार संसद् को पूर्ण अधिकार है कि वह जब भी तथा जैसे भी चाहे नियम निर्धारित कर सकती है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यह बात पूर्णतया सत्य है परन्तु जहां तक संघ न्यायालय के न्यायाधीशों के अधिकारों आदि का प्रश्न है उन को किसी भी भांति कम नहीं किया जा सकता। संसद् उन्हें ज्यादा बेशक कर दे परन्तु उन में कुछ कमी नहीं की जा सकती।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उस उपबन्ध का यह अर्थ है कि जब तक कोई ऐसा न्यायाधीश सेवा में है तब तक उसकी सेवा की शर्तों के उस के अहित में नहीं बदला जा सकता। इसका यही आशय था कि किसी न्यायाधीश की सेवावधि में उसको किसी प्रकार का अलाभ न हो। उनकी सुरक्षा के हित से ही यह उपबन्ध किया गया है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इसीलिये तो मैं कह रहा हूं कि हमें पता होना चाहिये कि संघ न्यायालय के न्यायाधीशों के क्या अधिकार आदि थे। ताकि हमें पता चल सके कि वर्तमान न्यायाधीशों को उनकी तुलना में क्या मिल रहा है ? मैं समझता हूं हमें इस में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

†**श्री दातार** : इस सम्बन्ध में क्या मैं आप का ध्यान खंड २५ की ओर दिला सकता हूं ? इस खंड में स्पष्ट रूप से यह उपबन्ध कर दिया गया है कि इस अधिनियम का किसी भी न्यायाधीश को इस के प्रवर्तन से पहले मिल रहे विशेषाधिकारों तथा भत्तों अथवा छुट्टी की अनुमति अथवा निवृत्ति वेतन सम्बन्धी अधिकारों पर किसी भी प्रकार का अलाभकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम ने प्रत्येक बात का ध्यान रखा है। इसलिये मैं समझता हूं इस विधेयक के किसी खंड के बारे में कोई मतभेद का प्रश्न नही उठता। इसको प्रवर समिति को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सब प्रश्न पर संविधान सभा में भली भांति विचार कर लिया गया था। अब कोई नया तर्क नहीं दिया गया है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सभा को इस विधेयक को स्वीकृत करने की सिफारिश करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री फ्रेंक एन्थनी का, इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का, प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

सभा में मत-विभाजन हुआ। पक्ष में ४०, विपक्ष में १०७

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं मूल प्रस्ताव को रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की कुछ शर्तों का विनियमन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्डवार चर्चा आरम्भ करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ४

(बकाया छुट्टी के विवरण का लेखा)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं खण्ड ४ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरी समझ में तो ठीक यही होगा कि हम पहले यह पता लगा लें कि इस संविधान के प्रवृत्त होने से पहले फेडरल न्यायालयों के न्यायाधीशों की छुट्टियों और पेन्शनों के सम्बन्ध में क्या नियम लागू होते थे। मेरा अपना मत तो यह है कि जब तक संविधान के अनुच्छेद १२५ में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक द्वितीय अनुसूची के नियम ९ (५) की व्यवस्थाओं को हमें अनिवार्य रूप से मानना ही पड़ेगा। अनुच्छेद १२५ के परन्तुक के अनुसार, हम द्वितीय अनुसूची के नियम ९ (५) से शासित होने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते। आज तक छुट्टिया और पेन्शनों के मामले में उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों पर वही नियम लागू होते आये हैं जो संविधान के आरम्भ से फेडरल न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लागू होते रहे हैं।

अब इस विधेयक की व्यवस्थायें ठीक वैसी ही हैं, या उनसे अच्छी या बुरी ? यदि वे उनके मुकाबले बुरी हैं, तो मैं जरूर कहूंगा कि हम उन नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन इसका निर्णय तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि हम दोनों की तुलना न कर लें। तब तक मैं इस खण्ड ४ का समर्थन नहीं कर सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

इसलिये मेरा अनुरोध है कि गृह-कार्य मंत्री हमें इस सम्बन्ध में पूरी सामग्री जुटायें। तभी हम कोई निर्णय कर सकेंगे।

†**श्री दातार**: फेडरल न्यायालय की स्थापना उच्चतम न्यायालय से पहले हुई थी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ब्रिटिश प्रशासन ने १९३७ में एक आदेश जारी किया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना तक की सभी परिस्थितियां बताई गई थीं। वह आदेश संसद् पुस्तकालय में देखा जा सकता है। माननीय सदस्य उसे देख सकते थे। दूसरी चीज यह है कि उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में हम ने स्पष्ट रूप में कहा है कि विधेयक में रखी गई सेवा की शर्तें १९३७ के फेडरल न्यायालय आदेश की अपेक्षा कहीं अधिक उदार है।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य उसे पुस्तकालय में देख सकते हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड ५ से २१ तक विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५ से २१ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

नया खण्ड २१-क

†**श्री फ्रैंक एन्थनी**: मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं, जिसमें एक नया खण्ड २१-क जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके द्वारा मैं चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिये जाने वाले निवृत्ति वेतन पर आय कर न लगाया जाये।

मैं केवल कुछ ही बातें कहना चाहता हूं। दो-एक माननीय सदस्यों ने इस बात से तो सहमति प्रकट की है कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये, लेकिन वे यह नहीं मानते कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पेन्शनों के मामले में कोई रियायतें देनी चाहिये। राजनीतिज्ञ लोग तो यह चाहते हैं कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को सन्यासी की तरह रहना चाहिये। आम राजनीतिज्ञ आत्म-त्याग और सेवा की भावना पर जरूरत से ज्यादा जोर देते हैं, इतना कि वह पाखंड जैसा ही लगने लगता है। इसकी आड़ में लोगों को पर्याप्त वेतन न देने की बात छिपाई जाती है।

आज देश में सब से अधिक चिन्ता की बात यह है कि पूरे प्रशासन में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। और इसका मुख्य कारण यह है कि देश में जीवन निर्वाह की लागत दिन-दिन बढ़ती जा रही है। इसका इलाज यही है कि हमें लोगों को अधिक से अधिक पर्याप्त वेतन और खास तौर से पेन्शनें देनी चाहियें, तब हमारे प्रशासक अन्य प्रलोभनों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैंने अपने संशोधन में न्यायाधीशों की पेन्शनें बढ़ाने की बात नहीं कही है, हालांकि वह बहुत कम है। मैंने सिर्फ यही चाहा है कि उनकी पेन्शनें आय-कर से विमुक्त कर दी जानी चाहियें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अभी किसी की पेन्शनें भी आय-कर से विमुक्त नहीं हैं और यदि न्यायाधीशों की पेन्शनें आय-कर से विमुक्त कर दी जायेंगी, तो फिर अन्य पदाधिकारी भी इसकी मांग करेंगे। उससे कठिनाइयां पैदा होंगी।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी :** सरकार न तो उनकी पेन्शनों को आय-कर से विमुक्त करने के लिये तैयार है, और न उनको पेन्शन के रूप में ३००० रुपये देने के लिये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं यह नहीं चाहता कि भारतीय नागरिकों में कोई विभेद किया जाये। संसद् ने राष्ट्रपति के वेतन को भी आय-कर से विमुक्त करने का प्रस्ताव नहीं माना था। इसलिये न्यायाधीशों के पेन्शनों को उससे विमुक्त करना उचित नहीं होगा। हां यदि उनकी पेन्शनें बढ़ाने की बात हो, तो मैं उससे सहमत हो सकता हूं। लेकिन मैं न्यायाधीशों के बारे में अलग से कोई नियम बनाने के पक्ष में नहीं हूं।

†**श्री दातार :** जैसा कि पंडित ठाकुर दास भागर्व ने कहा है, न्यायाधीशों की पेन्शनों को आयकर से विमुक्त करना उनके साथ वरीयता का वर्ताव करना होगा, जो उचित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी :** मैं अपना संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, सरकार द्वारा किसी न्यायिक अथवा अर्द्धन्यायिक पद पर नियुक्त किये जाने को छोड़ कर, अन्य किसी सरकारी या ग़ैर-सरकारी पद को ग्रहण न करे।

माननीय मन्त्री की बातें सुन कर मुझे यह उक्ति याद हो आती है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। सभी दलों के माननीय सदस्य यह जरूरत महसूस करते हैं कि न्यायपालिका के लिये एक विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये; उसे किसी भी प्रकार से भ्रष्ट नहीं होने देना चाहिये। लेकिन, मैं आपको बताता हूं कि हमारे कई उच्च न्यायालयों की स्वतन्त्रता दिन-दिन कम होती जा रही है, क्योंकि लोग खुले ढंग से उनके निर्णयों की आलोचना करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार ने एक प्रथा सी बना दी है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राजनीतिक वरीयता भी दी जा सकती है; उनको राजदूत भी बनाया जा सकता है। इसीलिये जनता कहती है कि अमुक न्यायाधीश ने अपने भावीलाभ की दृष्टि से कार्यपालिका के साथ पक्षपात किया है। सरकार ने ही जनता को यह अवसर दिया है। माननीय सदस्य को इस पर विचार करना चाहिये।

माननीय मन्त्री ने इसके पक्ष में यह दलील दी है कि संविधान में इस प्रथा की व्यवस्था की गई है। लेकिन सरकार पूरे संविधान को इतना पवित्र तो नही मानती। उसने इन सात वर्षों में सात बार संविधान में दिये गये जनता के मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात किया है। तब सरकार संविधान की इस व्यवस्था को भी क्यों नहीं बदल सकती? इस प्रथा के कारण ही, जनता का बिश्वास उच्च न्यायालयों पर से उठता जा रहा है। हम इसे अनहोना नहीं कह सकते। माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में कम से कम अपने ही सहयोगियों से परामर्श करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मू० चं० जैन** (कैथल) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है, श्रीमान्, सिद्धान्ततः मैं श्री फ्रैंक एन्थनी के संशोधन का समर्थन करता हूं परन्तु साथ ही साथ मेरा विचार है कि उनका संशोधन संविधान के अनुसार नहीं है। हमने इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद १२५(२) के अधीन प्रस्तुत किया है जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक न्यायाधीश को संसद् द्वारा समय-समय पर बनाई गई विधियों के द्वारा छुट्टी तथा निवृत्ति वेतन आदि के अधिकार दिये जायेंगे। इसलिये इस विधेयक में हम न्यायाधीशों के भत्ते तथा निवृत्ति वेतन आदि का ही उपबन्ध कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विधेयक में हम सेवा की शर्तों की व्यवस्था कर सकते हैं तथा नियुक्ति की शर्तों की नहीं। इसलिये यह संशोधन विधेयक की व्याप्ति में नहीं आता है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र ने कहा कि यह संशोधन अनुच्छेद १२५ के अन्तर्गत नहीं आता है परन्तु मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद १२५ में स्पष्टतया दिया है कि छुट्टी, निवृत्ति वेतन आदि, तथा अन्य विशेषाधिकारों को संसद् विधि द्वारा निर्धारित कर सकती है। उसी के आधार पर हम इनको विधि द्वारा निर्धारित कर रहे हैं। और इसीलिए सेवा की एक शर्त यह भी लगा सकते हैं कि सेवा निवृत्ति के पश्चात् न्यायाधीश अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मेरे विचार से अनुच्छेद १२५ के अधीन ऐसा किया जा सकता है और यह संशोधन ठीक है।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : श्रीमान्, विधेयक में यह व्यवस्था रखी गई है कि उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश सेवा निवृत्ति के पश्चात् भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। अपने ही देश के किसी न्यायालय में कोई न्यायाधीश वकालत करे यह उस न्यायाधीश के प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। परन्तु मैं यह उचित नहीं समझता कि एक न्यायाधीश जिसने देश की सेवा योग्यता और बुद्धिमत्ता से की हो उसको कोई अवसर न दिया जाये ....

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद): क्या माननीय मन्त्री औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ कह रहे हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब औचित्य प्रश्न उठाया गया था संभवतया माननीय मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं थे। मैं इस पर अपना निर्णय देता हूं।

मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के विचारों से सहमत हूं कि इस उपबन्ध को भी सेवा की शर्तों में रखा जा सकता है। ऐसी व्यवस्था रखी जा सकती है कि जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, वह राज्य की न्यायिक अथवा अर्द्धन्यायिक सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई नियुक्ति स्वीकार नहीं कर सकेगा। यह भी एक सेवा की शर्त है जिसको नियुक्ति के पहले बताया जा सकता है इसलिए यह औचित्य प्रश्न ठीक नहीं है।

श्री ब्रज राज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री फ्रैंक एन्थनी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं इसलिये उसका समर्थन करता हूं कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ का सवाल है, देश के नागरिकों के दिलों और दिमागों के अन्दर यह भावना रहनी चाहिए कि वे सिर्फ़ निष्पक्ष ही नहीं हैं बल्कि नागरिकों को भी यह लगता है कि वे निष्पक्ष हैं और निष्पक्षता को दृढ़ रखने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि जब वे सुप्रीम कोर्ट की जजशिप से रिटायर हो जायं तो जैसे कि भारतीय संविधान

†मूल अंग्रेजी में

में कहा गया है कि वे देश में कहीं भी किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकेंगे उसी तरह से यह भी साफ़ चीज़ रहनी चाहिए कि सरकार की तरफ़ से और राज्य की तरफ़ से उन्हें किसी तरह की कोई नियुक्ति नहीं दी जायगी। जब उनके दिमाग़ में इस तरह की भावना रहती है कि सुप्रीम कोर्ट की जजशिप से रिटायर होने के बाद सरकार उनको किसी उच्च सरकारी पद पर नियुक्त कर सकती है तो इंसानी कमज़ोरी के नाते यह आशंका हो सकती है कि वे उस निष्पक्षता और दृढ़ता का परिचय न दें जो कि उनसे अपेक्षित है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि इस तरीक़े से उनकी निष्पक्षता ख़त्म हो जायगी, यह मेरे कहने का उद्देश्य नहीं है लेकिन हमें यह भी देखना है कि भले ही इससे चाहे उनकी निष्पक्षता ख़त्म न हो लेकिन इससे नागरिकों के दिमागों में कोई इस तरह की भावना घर न कर जाये कि इससे उनकी निष्पक्षता ख़त्म हो सकती है। यह चीज़ बहुत ख़तरनाक है और यह देश के भविष्य के लिए और उनकी उन्नति के हक़ में बहुत ख़तरनाक है।

सुप्रीम कोर्ट जजेज़ की बात तो अलग है लेकिन जहां तक दूसरे कुछ लोगों का सवाल है, अभी राज्य की तरफ़ से इस तरह के प्रलोभन दिये जाते हैं और उन प्रलोभनों की वजह से कभी-कभी बड़ा अन्याय हो जाया करता है।

एक केस देखने में आया जिसमें एलेक्शन ट्राइबुनल ने एक जजमेंट दिया और उसके दूसरे ही दिन उनका एपांयटमेंट हो गया। वह वहां से रिटायर हो गये थे। रिटायर होने वाले दिन उन्होंने जजमेंट दिया है और उसके दूसरे दिन सरकार की तरफ़ से उनकी नियुक्ति कर दी गई। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उन्होंने जो जजमेंट दिया वह किस तरह का था लेकिन जिस दिन उन्होंने जजमेंट दिया रिटायर होने की वजह से उसके दूसरे दिन सरकार की तरफ़ से उनकी नियुक्ति हो जाये, इससे नागरिकों के दिमाग़ में एक शंका पैदा हो सकती है कि उसमें कोई गड़बड़ी रही होगी और उसमें अवश्य कोई ऐसी बात रही होगी जो कि उचित नहीं थी। तो इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि जो देश की सब से बड़ी जुडीशियरी है, जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसका कि सिर्फ़ यही कार्य नहीं है कि वह नागरिक और नागरिक के बीच न्याय करे, बल्कि जिसके ऊपर हमारे संवि ान की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, उस जुडीशियरी के सदस्यों के दिमाग में ऐसी बात न आने पावे। और उनके दिमाग में चाहे यह बात आवे या न आवे लेकिन यह भी आवश्यक है कि देश में किसी नागरिक के मन में यह बात न आ सके कि अगर कोई जज किसी खास मामले में खास प्रकार का दृष्टिकोण अपनायेगा तो उसको राजदूत नियुक्त कर दिया जायेगा या और कुछ कर दिया जायेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि फ्रैंक एन्थनी महोदय का जो संशोधन है उस पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करे और उसे स्वीकार कर ले। उसे स्वीकार करके हम संविधान की इस भावना के अनुसार ही कार्य करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जज वकालत न करे। देश में टेलेंट की कमी नहीं है, देश में योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है। लोगों को अपने लिए एक क्षेत्र चुन लेना चाहिए। जो लोग जुडीशियरी में जाते हैं वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। और उससे अवकाश ग्रहण करने के बाद भी जहां सरकार किसी विशेष कार्य के लिए उनकी सेवाओं की आवश्यकता समझे तो उनको सुप्रीम कोर्ट में बुला सकती है या किसी क्वासी जुडीशियल तरीके के ट्राइबुनल में उनको नियुक्त कर सकती है और इस प्रकार उनको ले सकती है। लेकिन यदि उनको किसी राजनीतिक पद पर या किसी दूसरे पद पर नियुक्त किया जायेगा तो इससे देश में एक खतरनाक भावना पैदा हो सकती है।

इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इस संशोधन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और उसे अवश्य स्वीकार कर ले।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जब औचित्य प्रश्न उठाया गया था मैं उस समय यहां पर उपस्थित नहीं था इसलिये मैंने संशोधन के सम्बन्ध में बोलना प्रारम्भ कर दिया था परन्तु बाद में अपनी गलती को समझा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं और होने चाहियें । उनको महान्, प्रतिष्ठावान, चरित्रवान, तथा विद्वान् ही समझा जाना चाहिए । इसी कारण क्या यह उचित होगा कि ऐसे विद्वानों के सेवा निवृत होने के पश्चात् देश को उसके विकास तथा कल्याण के लिये उनकी लाभदायक सेवाओं से वंचित रखा जाये । सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों को चाहे वह ज़िलाधीश, जिला न्यायाधीश, उप न्यायाधीश कोई भी क्यों न हो, स्वतन्त्रता होती है कि सेवा निवृत्ति के पश्चात् जो चाहें वह करें । मैं समझता हूं कि हमारे लोगों के चरित्र के बारे में इस प्रकार की शंका करना उचित नहीं है ।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : हम मान लेते हैं कि वह सभी महात्मा हैं । परन्तु आम जनता को यह सोचने का अवसर देते हैं कि अपना भविष्य सुधारने के लिये उनको भी प्रभावित किया जा सकता है ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यदि इसको स्वीकार कर लिया जाये कि उनके चरित्र, विद्वता के सम्बन्ध में सभा में कोई मतभेद नहीं है तो मैं इसका स्वागत करता हूं । और इसीलिये मेरी समझ में नहीं आता कि इनके बारे में ऐसा क्यों सोचा जाये । जब हम उन पर सन्देह नहीं करते हैं तो देश की हानि क्यों होने दी जाये । यहां पर जनता के प्रतिनिधि हैं और जब उनका विचार है कि यह सभी लोग चरित्रवान, तथा निष्पक्ष होते हैं तो जनता ही उन पर सन्देह क्यों करेगी ।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : लोग सन्देह कर रहे हैं ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं समझता हूं कि लोगों द्वारा यहां पर भेजे गये प्रतिनिधि ही उन पर सन्देह करते हैं अन्यथा दोनों की भावनाओं में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये । यह संभव है कि जनता की भावना को ठीक रूप से प्रतिनिधित्व ही नहीं कर रहे हों । मगर मैं ऐसा नहीं सोचता । मेरा यही कहना है कि सभी कर्मचारियों, जिलाधीश, आदि को जो अधिकार हैं वह उनको भी दिये जाने चाहियें । उनको इस स्वतंत्रता से क्यों वंचित रखा जाये ? हमें अपने लोगों के चरित्र पर विश्वास करना चाहिये अन्यथा हमारी नीव खोखली रहेगी जिसके कभी भी गिरने का खतरा बना रहेगा ।

मैं श्री फ्रेंक एन्थनी को याद दिलाना चाहता हूं कि यह प्रश्न संविधान सभा में भी उठाया गया था और उस समय उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था ।

मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये इस प्रकार का नियम बनाना उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं होगा । जब आप उन्हीं पर विश्वास नहीं करेंगे तो मैं नहीं जानता कि आप और किस पर विश्वास करेंगे ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिये ऐसे ही नियम हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित गो० ब० पन्त :** यह प्रश्न संविधान सभा में भी उठाया गया था। उस समय यह बताया गया था कि लोक सेवा आयोग का सरकार से निकट सम्बन्ध होता है क्योंकि उनकी सभी बातें सरकार से सम्बद्ध होती हैं। परन्तु न्यायपालिका का सरकार से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता है। कभी कोई मामला न्यायपालिका को जाता है। दोनों में अन्तर है इसलिये संविधान सभा ने दोनों समस्याओं पर विचार करके यह निर्णय किया कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिये तो इस प्रकार का नियंत्रण रखना वांछनीय होगा परन्तु न्यायाधीशों के सम्बन्ध में ऐसा करना उचित नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि हमें अपने लोगों के चरित्र पर विश्वास करना चाहिये और कोई सन्देह नहीं करना चाहिये। हम स्वतन्त्र देश के वासी हैं और यदि हम अपने यहां के सब से सम्मानित व्यक्तियों का भी विश्वास नहीं करेंगे तो लोकतंत्र की नींव हमेशा कमज़ोर रहेगी। मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन पर आग्रह नहीं किया जायेगा।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी :** मैं अपने संशोधन पर मतदान चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ मतदान के लिये रखा गया।

सभा में मत विभाजन हुआ; पक्ष में ३१, विपक्ष में १०९।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २२ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २२ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २४.—(नियम बनाने की शक्ति)

†**श्री ब्रज राज सिंह:** मैं अपना संशोधन संख्या १९ प्रस्तुत करता हूं। मैं चाहता हूं कि सब-क्लाज़ (डी) और (ई) को हटा दिया जाये। मैं यह संशोधन इसलिये रख रहा हूं कि इन दो विषयों के बारे में नियम बनाने का कोई प्रश्न न उठे। जहां तक वेतन का सवाल है, संविधान ने एक दर निश्चित कर दी है और उसी के अनुसार उन साहबान को वेतन मिलता है। अब हम उनको और विशेष सुविधायें देने की सोच रहे हैं। मैं जजों को विशेष सुविधायें दिये जाने की कोई बुरी बात नहीं समझता हूं, लेकिन मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि विशेष सुविधायें देने की बात मिनिस्टरों से शुरू हुई है और बढ़ती चली जा रही है। यदि हम जजों की विशेष सुविधाओं को खत्म कर सकें, तो हो सकता है कि यह बात उलट कर मिनिस्टरों की तरफ भी आये और उनकी विशेष सुविधायें भी खत्म हों। मैं चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों या जन-सेवकों को जो कुछ भी वेतन दिया जाये, वह जनता को मालूम हो। उसको अच्छी तरह से ज्ञात हो कि अमुक व्यक्ति को इतना वेतन दिया जाता है। आज स्थिति यह है कि यह दिखाया जाता है कि किसी मिनिस्टर को वेतन दिया जाता है दो हजार, लेकिन उसको जो विशेष सुविधायें दी जाती हैं, वे कभी-कभी जाकर दस हजार की बैठ जाती हैं। मैं यह नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की विशेष सुविधायें भी इतनी बैठ जायेंगी, लेकिन भविष्य

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रज राज सिंह]

के लिये यह एक बुरा उदाहरण होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। आज सरकार के किसी मिनिस्टर के मकान का किराया ३७०० रुपया होता है, फ़रनीचर का किराया १७५० रुपया होता है, लेकिन उसका वेतन २२००, २२५० रुपये होता है। लेकिन जो उनके रेसिडेंस के लिये मकान है, जो फर्निचर है, उसका किराया करीब-करीब जाकर पांच हजार से ऊपर बैठता है। और भी इस तरह के लोग हैं जिनके जितने वेतन हैं उससे कहीं ज्यादा उनके मकान का तथा फर्निचर का किराया हो जाता है, वह ज्यादा बैठता है। इसलिये इस तरह की बातों को अगर हम बढ़ायेंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि जो जनता है देश की, जो वाकई मुल्क की मालिक है, मुल्क की स्वामी है, जिसके नाम पर हम सब राज करते हैं, सरकार राज करती है, जिसके प्रतिनिधि यहां आकर बैठते हैं, जिसके नाम पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजिज़ हैं वे भी कानूनों का पालन करते हैं और कानूनों को इंटरप्रेट करते हैं, उसके साथ हम इंसाफ नहीं करेंगे। यदि उसको यह मालूम न पड़े कि हमारे खजाने में से कितना रुपया और किस काम के लिये जा रहा है, तो उसमें बड़े भय की बात है, बुराई की बात है। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर आप यह महसूस करते हैं कि हमारे विधान में सुप्रीम कोर्ट के जजिज़ के लिये जितना वेतन निश्चित किया गया है, वह वर्तमान परिस्थितियों में कम है, तो आप विधान का संशोधन करें और उनको आप ज्यादा वेतन दें। लेकिन इस तरह उनको रेसिडेंस की पूरी सुविधायें और फ्री सुविधायें और साथ ही साथ मैडिकल ट्रीटमेंट की मुफ्त सुविधायें देना ठीक नहीं होगा। इसी तरह से आप उनके लिये और सुविधायें देते हैं और खर्चा बढ़ाते हैं और मैं समझता हूं यह बुरी बात है। ऐसा करके आगे के लिये हम दूसरे लोगों के लिये इन सुविधाओं की मांग करने का दरवाजा खोल रहे हैं, जो ठीक नहीं है। मैं तो कहूंगा कि इन सुविधाओं को त्यागने की जो शुरूआत है वह मिनिस्टर्स से ही आज ही होनी चाहिये। कुछ अर्सा हुआ यह कहा गया है कि हम १५०० के बजाय १२५० लेंगे लेकिन साथ ही साथ यह भी कह दिया गया था कि यह इनकम-टैक्स फ्री होगी। अभी यहां पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो पैंशन है वह इनकम-टैक्स से फ्री नहीं होनी चाहिये। मैं इस बात से सहमत हूं। इनकम-टैक्स में छट की बात किसी की आमदनी में भी नहीं होनी चाहिये।

जो मैं इसका विरोध कर रहा हूं इसका यह अर्थ नहीं है कि मुझे उनके खिलाफ कोई शिकायत है। मैं नहीं चाहता कि उनके ही वेतन कम हों और दूसरों के वेतन कम न हों। मैं चाहूंगा कि सरकार की तरफ से ही स्वयं इसका उदाहरण पेश हो। हम समाजवादी समाज की रचना करने जा रहे हैं। उसके वास्ते सब से पहले सरकार को आगे आना है। इस वास्ते इस अवसर पर जब कि सुप्रीम कोर्ट के जजिज़ के लिये जो फ्री रेसिडेंस की तथा अन्य सुविधाओं की बात की जा रही है, सरकार उदाहरण पेश करे कि किसी को भी इस तरह की मुफ्त सुविधायें प्राप्त नहीं होंगी और जिनको पहले से ही प्राप्त हैं उनकी छिन जायेंगी। इस तरह की जो घोषणा हो वह साफ तौर से हो। ऐसा न हो कि तनख्वाह को तो कम करके दो हजार या डेढ़ हजार या एक हज़ार कर दिया जाये और पांच हज़ार दूसरी प्रकार की सुविधाओं के रूप में प्राप्त कर लिया जाये।

इसलिये मैं चाहता हूं कि (डी) और (ई) को इसमें से निकाल दिया जाये।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं समझता हूं कि इस संशोधन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि खण्ड २४ में अधिनियम के अन्तर्गत सारे संगत मामलों पर नियम बनाने के अधिकार दिये

†मूल अंग्रेजी में

गये हैं। यदि उपखण्ड (ग), (घ) अथवा (ङ) को निकाल भी दिया जाये तो भी सरकार के नियम बनाने के अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त ये नियम सभा पटल पर रखे जायेंगे और संसद् उनमें जो परिवर्तन करना चाहे कर सकती है।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** जहां तक विधेयक के इस उपबन्ध का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि स्थिति स्पष्ट है। इससे केवल वर्तमान व्यवस्था का विनियमन किया गया है। इस समय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू आदेश के अधीन, प्रत्येक न्यायाधीश को बिना किराये दिये सरकारी निवास स्थान का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है और उसके विपरीत हम यहां पर कुछ पारित नहीं कर सकते हैं। केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार की व्यवस्था रखी जाये अपितु मेरा अपना विचार है कि दिल्ली जैसे नगर में, जहां पर निवास स्थानों की बहुत कमी है, अन्य सरकारी पदाधिकारियों को भी सरकारी निवास स्थान देने की व्यवस्था होनी चाहिये। मंत्रियों को जो सुविधायें दी जाती हैं वह इस सभा के द्वारा दी हुई हैं। जो यह सभा देगी वही उनको मिल सकता है। खैर, इस उपबन्ध में उनको चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें देने की व्यवस्था की गई है। जब ये सुविधायें सभी को उपलब्ध हैं तो न्यायाधीशों को भी इनसे वंचित नहीं रखा जाना चाहिये। यदि उन खण्डों को हटा भी दिया जाये तो कोई अन्तर नहीं पड़ता है। जब तक उपखण्ड (१) है तब तक सरकार जो भी नियम चाहे बना सकती है। संशोधन में कोई सार नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि श्री ब्रज राज सिंह अपने संशोधन पर आग्रह नहीं कर रहे हैं।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** जी नहीं, मैं आग्रह नहीं करता।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २५ विधेयक में जोड़ दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

अनुसूची (न्यायाधीशों के निवृति वेतन)

†**श्री ब्रज राज सिंह:** मैं अपना संशोधन संख्या २० प्रस्तुत करता हूं। मुझे इसके विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहना है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज मुल्क की जो परिस्थिति है उसे देखते हुये २०,००० के बजाये १०,००० रुपये रखे जायें तो वह हमारी परम्परा के अनुसार ज्यादा अच्छा होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री को इस बारे में कुछ कहना है ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २० मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा का कार्य

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : अगला कार्य आरम्भ किये जाने से पहले मेरा एक निवेदन है कि सरकारी कार्य के लिये एक घंटा तथा कुछ मिनट आज और ढाई घंटे कल है । एक प्रस्ताव है जिसको सत्र के समाप्त होने से पहले पारित करना होगा । इसलिये यदि इस विधेयक को लिया जायेगा तो गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये निर्धारित समय में से कुछ समय ले लिया जायेगा । इसलिये इस विधेयक को अगले सत्र तक के लिये रोक दिया जाये ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : इस विधेयक को अवश्य पारित करना है जिससे राज्य सभा भी इसे अपने इसी सत्र में पारित कर सके ।

ऊच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

संविधान से पहले अंग्रेजी सरकार द्वारा १९३७ में जारी किये गये आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें निर्धारित होती रही हैं। तत्पश्चात् संविधान पारित किया गया जिसके अधीन कुछ नियम बनाये गये और उनको संविधान में ही रख दिया गया। भाग 'क' राज्यों के लिये उपबन्ध बनाते समय भाग 'ख' राज्यों के लिये भी उपबन्ध बनाये गये। बाद में १९५३ में भाग 'ख' राज्यों के लिये एक आदेश जारी किया गया और १९५४ में संसद् ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (भाग 'क' राज्य) अधिनियम था। जब तक भाग 'क' राज्यों का अस्तित्व रहा तब तक यह अधिनियम भाग 'क' राज्यों में लागू रहा। तत्पश्चात् राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने पर भाग 'क' तथा भाग 'ख' राज्यों में कोई अन्तर नहीं रहा और अनुकूलन के द्वारा १९५४ का अधिनियम, १ नवम्बर, १९५६ से सभी उच्च न्यायालयों पर लागू कर दिया गया। भाग 'ख' राज्यों के समाप्त हो जाने के कारण १ नवम्बर, १९५६ को १९५३ में जारी किया गया आदेश समाप्त हो गया लेकिन बाद में ऐसा पता लगा कि पुराने भाग 'ख' राज्यों के न्यायाधीशों के संबंध में कुछ संशोधन किये जाने होंगे। इसलिये अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने जरूरी हो गये थे और मुख्यतः इसी उद्देश्य को लेकर यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस संबंध में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यह अधिनियम १ नवम्बर, १९५६ से लागू होना था। भाग 'ख' राज्यों के उच्च न्यायालयों के अधिकांश न्यायाधीश नये उच्च न्यायालयों में नियुक्त हो गये थे क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन पहले भाग 'ख' के उच्च न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया था तथा इन राज्यों में नये उच्च न्यायालय बना दिये गये थे। अब सभी १४ राज्यों में एक ही श्रेणी के उच्च न्यायालय हैं जिन पर १९५४ का अधिनियम लागू है।

[श्री वर्मन पीठासीन हुये]

परन्तु उन न्यायाधीशों, जो भाग 'ख' राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश थे और जो राज्य पुनर्गठन के पश्चात् भी विभिन्न राज्यों में न्यायाधीश नियुक्त हैं, की सेवा की शर्तों और निवृत्ति वेतन आदि के संबंध में कुछ कठिनाइयां रहीं। जैसा कि मैंने बताया पुराने नियमों के अनुसार उनकी कुछ छुट्टियां जमा थीं। निवृत्ति वेतन के प्रश्न पर भी विचार करना था क्योंकि भाग 'क' राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अधिनियम, १९५४ उन पर लागू नहीं होता था उसमें परिवर्तन करना आवश्यक था और इसीलिये इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है।

उनके निवृत्ति वेतन के प्रश्न पर विचार करना था और इसके साथ ही इस प्रश्न पर कि भाग 'ख' राज्यों में उनकी सेवा अवधि की कुल अवधि को लिया जाये अथवा नहीं आदि पर भी विचार करना था। उनकी छुट्टी भी जमा थी, इसका भी प्रश्न था।

इसके अतिरिक्त कुछ और कठिनाइयां भी थीं। १ नवम्बर, १९५६ के दिन से परिवर्तन होने से पूर्व संविधान के अधीन तदर्थ न्यायाधीश भी होते थे परन्तु अब संशोधित संविधान के अधीन हमारे यहां कार्यकारी न्यायाधीश तथा अपर न्यायाधीश भी हैं। उनके बारे में भी व्यवस्था करनी थी। इन सभी बातों पर विचार किया गया और यह विधेयक प्रस्तुत किया गया।

छुट्टी तथा निवृत्ति वेतन के संबंध में सरकार ने पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात् निर्णय किया कि उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों के मामले में, जो अब विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में नियुक्त हैं, लेकिन जो पहले भाग 'ख' राज्यों के उच्च न्यायालओं में थे, उनकी पूरी वास्तविक सेवा को गिना जाये और १ नवम्बर, १९५६ से जो वास्तविक सेवा वह कर रहे हैं, उसमें उसे जोड़

दिया जाये। इस विधेयक में पहली चीज़ यही की गई है ताकि सेवा लगातार रहती आये और निवृत्ति वेतन के लिये उनकी सारी सेवा को गिना जाये या पहली सेवा अवधि बाद की सेवा अवधि में जोड़ दी जाये ताकि सेवा निवृत्ति होने पर वे निवृत्ति वेतन के लिये अर्ह हो सकें।

दूसरे, छुट्टी की असमाप्त अवधि के लिये भी व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि १९५४ के मूल अधिनियम में कुछ सिद्धांत रखे गये थे जिनके अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश निर्धारित अवधि तक की छुट्टी ले सकते हैं। अब यह कर दिया गया है कि जो कुछ सेवा वे कर चुके हों उसके आधार पर जितनी छुट्टी जमा हो गई हो, उसे अब गिना जायेगा। १९५४ के अधिनियम में यह हिसाब रखने का उपबन्ध कर दिया गया था कि कुल कितनी छुट्टी उनकी जमा होगी और कितनी वह ले सकेंगे। दूसरे शब्दों में इसका यह अर्थ है कि अब इस बात का हिसाब रखा जायेगा कि उनकी कितनी छुट्टी जमा है, और इसकी गणना का आधार वही सब सिद्धांत होंगे जिन्हें मैं कल ही बता चुका हूं, क्योंकि इन्हें १९५४ के मूल अधिनियम से लिया गया है। सारी छुट्टी का हिसाब आधे भत्तों की छुट्टी के आधार पर रखा जायेगा।

छुट्टी तीन प्रकार की होगी। एक चिकित्सा प्रमाण पत्र पर छुट्टी, दूसरे चिकित्सा प्रमाणपत्र के अतिरिक्त छुट्टी। यह दोनों प्रकार की छुट्टियां, जो छुट्टियां उनकी जमा हों, उनमें से ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे असाधारण छुट्टी भी ले सकते हैं फिर यह निर्धारित किया गया था कि ऐसी छुट्टियों की अधिकतम सीमा छः महीने होगी। अब प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि छः महीने की छुट्टी एक साथ लगातार ली जा सकती है अथवा थोड़ी थोड़ी करके छः मास की सीमा तक ली जा सकती है। इस पर विचार करना था।

१९५४ के अधिनियम के अधीन एक साथ छः महीने की छुट्टी लेने की ही व्यवस्था थी। यह अनुचित समझा गया क्योंकि कभी कभी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को थोड़ी अवधि की छुट्टी की जरूरत हो सकती है। इस लिये इस पर विचार किया गया और इसी प्रकार की व्यवस्था उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम में भी रखी गई है कि अधिकतम छः मास की छुट्टी ली जा सकती है परन्तु न्यायाधीश यदि चाहे तो कम अवधि के लिये भी छुट्टी ले सकते हैं लेकिन यह शर्त होगी कि कुल छुट्टी की अवधि सिर्फ छः महीने होगी। अन्य बातों के साथ साथ इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि निवृत्ति वेतन आदि के मामले में भी इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा।

एक बात और है भाग 'ख' राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के लिये हमने यह व्यवस्था रखी है कि जितनी छुट्टी उनकी जमा हो अथवा जितनी उनकी कुल वास्तविक सेवा हो, उसे जब वे नये अधिनियम के अधीन आ जायें, हिसाब में गिना जाये, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट है कि वे वर्तमान विधेयक के उपबन्धों से ही शासित होंगे।

दीर्घावकाश के संबंध में भी उपबन्ध रख दिया गया है, यद्यपि दीर्घावकाश की अवधि अधिनियम में नहीं रखी गई है। उच्च न्यायालयों की प्रतिष्ठा के अनुकूल यही उचित है कि इसकी व्यवस्था नियमों में की जाये। ये नियम राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात् ही क्रियान्वित होंगे।

इस विधेयक के यही मुख्य उपबन्ध हैं। आप देखेंगे कि इसके द्वारा अधिनियम का केवल संशोधन किया जा रहा है, न्यायाधीशों से संबंधित सभी आवश्यक उपबन्धों वाला यह कोई मूल अधि-

नियम नहीं है, मूल अधिनियम १९५४ का अधिनियम है ही । हमने सिर्फ बहुत जरूरी परिवर्तन ही इसमें किये हैं । इसलिये मेरा अपना विचार है कि इस विधेयक के सभी उपबन्धों से माननीय सदस्य सहमत होंगे ।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ता प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री नाथ पाई** (राजा पुर) : श्रीमान् आज प्रातः मैंने इस विषय में अपने कुछ विचार व्यक्त किये हैं । मैं समझता हूं गृह मंत्री उन पर सम्यक् विचार करके उन सिद्धांतों को कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वे विचार किसी दिन सरकार के विचार थे । पहला सिद्धांत यह है कि सरकार को न्यायपालिका के सदस्यों को कार्यपालिका के पदों से कम से विभूषित करना चाहिये । हम यह चाहते हैं कि न्यायाधीशों के सामने कभी भी यह विचार नहीं आना चाहिये कि उन्हें सरकार की कृपा बनाये रखनी चाहिये ताकि उन्हें कार्यपालिका का कोई उच्च पद प्राप्त हो सके । एक न्यायाधीश को न्यायपालिका में ही या अर्धन्यायिक आयोगों आदि के उच्च पदों तक पहुंचने की ही महत्वाकांक्षा रहनी चाहिये । पिछले कुछ वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि सरकार न्यायाधीशों को कार्यपालिका में उच्च पद देकर विशेष रूप से अनुगृहीत कर रही है । हम इस प्रवृत्ति का घोर विरोध करते हैं । मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने पिछले दस वर्षों में कितने न्यायाधीशों को कार्यपालिका में उच्च पदों पर नियुक्त किया है ? कितने न्यायाधीशों को राज्यपाल तथा राजदूत आदि नियुक्त किया है ? मैं समझता हूं सरकार को इस प्रकार की उदारता अपने घर ही रखनी चाहिये और न्यायपालिका के जीवन को ऐसे प्रलोभनों से भ्रष्ट नहीं करना चाहिये ।

मंत्री महोदय ने न्यायाधीशों को ऐसे पदों पर नियुक्त करने के लिये यह तर्क उपस्थित किया है कि कभी कभी ऐसे पदों के लिये योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति नहीं मिल सकते इसलिये न्यायाधीशों को नियुक्त कर दिया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में विधि व्यवसाय या न्यायाधीशों को छोड़ कर अन्यत्र कहीं योग्य व्यक्ति नहीं पैदा होते हैं । क्या इतने बड़े देश में योग्यता का इतना अभाव आ गया है कि अन्यत्र कहीं उपयुक्त व्यक्ति ही नहीं मिल सकता । मैं इस बात को मानने को हरगिज़ तैयार नहीं हो सकता । कभी कभी सरकार ऐसी नियुक्तियों को यह कह कर संगत बताने का प्रयत्न करती है कि यह नियुक्ति अपवाद स्वरूप है । मैं कहता हूं यह अपवाद का सिद्धांत बड़ा खतरनाक है । हमें इस सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करना चाहिये ताकि न्यायाधीशों के सामने कभी यह प्रलोभन न पैदा हो कि सरकार की कृपा बनाये रखने से उनकी अन्य क्षेत्रों में भी पदोन्नति हो सकती है । हमारी न्यायपालिका की स्वाधीनता व निष्पक्षता के लिये इस सिद्धांत का पालन करना परम आवश्यक है ।

†**श्री वासुदेवन् नायर** (तिरुवल्ला) : श्रीमान् मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक निविवाद विधेयक है । मैं सझता हूं कि इस बात में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि हमारे उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीशों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा सुविधायें आदि कम हैं । उनको पर्याप्त ऊंचे वेतन मिल रहेहैं और उनकी सेवा की शर्तें भी काफी अच्छी हैं । जिन लोगों ने उनके वेतन बढ़ाने का पक्ष लिया है शायद वे यह भूल गये हैं कि आप केवल किसी को ऊंचा वेतन देकर ही उसकी सत्य निष्ठा या ईमानदारी नहीं खरीद सकते । न्याय के काम में मानवता का पहलू भी है । न्यायाधीश इस लिये सही-सही न्याय करता है क्योंकि वह अपना कर्त्तव्य समझता है ।

†मूल अंग्रेजी में

वह मानव को उसका सही हक देने में अपना गौरव समझता है। यदि यह सेवा और कर्तव्य की भावना न हो तो कोई भी व्यक्ति ठीक न्याय नहीं कर सकता और फिर देश में न कोई न्याय रहे और न कोई न्यायालय। आपको न्यायपालिका के कार्य को मानवता के इस दृष्टिकोण से देखना होगा तभी हम इस विधेयक का सही-सही मूल्यांकन कर सकेंगे।

आज हमारे समाज में रुपये के पीछे अंधाधुंध होड़ लगी हुई है। ऊंचे दर्जे के लोगों में यह मृगतृष्णा और भी बलवती है। लोग इस बात का ध्यान भूल जाते हैं कि जब इस देश में एक राज्य का मुख्य मंत्री केवल ३५० रुपये मासिक वेतन लेकर अपना कार्य कर सकता है और उसकी प्रतिष्ठा नहीं कम होती तब न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा में थोड़ी कम तनखाह लेने से क्या अन्तर पड़ जायेगा।

हमें न्यायपालिका तथा न्यायाधीशों को अपने समाज का अंग समझना चाहिये। हमारे न्यायाधीशों को भी हमारे समाज की बदलती हुई मान्यताओं का ध्यान रखना चाहिये। सरकार को न्यायाधीशों का चुनाव करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिये। आज कई उच्च न्यायालयों में और कुछ सीमा तक उच्चतम न्यायालय में भी यह दिखाई देता है कि हमारे न्यायाधीश प्रतिक्रियावादी रवैया अपना रहे हैं। वे युग की नई चेतना को समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। हमें अपने देश के न्यायाधीशों में उच्च आदर्श पैदा करने के लिये प्रयास करना चाहिये।

पिछले कुछ वर्षों में हमारे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। किन्तु फिर भी आज किसी वाद का फैसला होने में महीनों बल्कि बरसों लग जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी देरी क्यों होती है तथा सरकार ने इस दिशा में सुधार करने के लिये विधि मंत्रियों के सम्मेलन के बाद क्या कदम उठाये हैं? हम इस सम्बन्ध में भाषण सुनते-सुनते तंग आ गये हैं। हम केवल यह जानना चाहते हैं कि इस-स्थिति में परिवर्तन लाने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं।

इस विधेयक में पुनर्गठित उच्च-न्यायालयों के सम्बन्ध में जो उपबन्ध किया गया है वह ऐसे न्यायालयों में काम करने वाले न्यायाधीशों के साथ पूरा न्याय नहीं करता। उदाहरण के लिये पुनर्गठन के बाद केरल का जो वर्तमान उच्च न्यायालय बनाया गया है इसमें त्रावनकोर-कोचीन व मद्रास दोनों राज्यों में काम करने वाले न्यायाधीशों को लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि मद्रास के न्यायाधीशों के मुकाबिले में त्रावनकोर-कोचीन राज्य में काम करने वाले न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों आदि की अब क्या स्थिति है। इनमें त्रावनकोर-कोचीन के कई ऐसे न्याधीश होंगे जिनकी सेवावधि मद्रास के न्यायाधीशों से अधिक होगी किन्तु वर्तमान विधेयक के अनुसार उनको मद्रास राज्य के न्यायाधीशों से कनिष्ठ माना जायेगा। मेरा निवेदन है कि इस अन्याय को दूर किया जाना चाहिये। इसी प्रकार की समस्या आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में भी है। मेरी समझ में नहीं आता कि भाग 'ख' या भाग 'क' राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों में क्या अन्तर है? क्या 'क' राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों को 'ख' राज्यों के निर्णयों से अधिक महत्व दिया जाता था? आखिर इन दोनों राज्यों की सेवावधि गिनने में क्यों अन्तर रखा गया है। मुझे पूर्ण आशा है मंत्री महोदय इस प्रश्न पर भली भांति विचार करके इस त्रुटि को दूर करने की कृपा करेंगे।

†**श्री हेडा** (निज़ामाबाद) : मेरे पहले वक्ता ने मंत्रियों तथा न्यायाधीशों के वेतन की तुलना करते हुये कहा है कि जब एक राज्य का मंत्री ३५० रुपये मासिक वेतन लेकर कार्य कर सकता है तब न्यायाधीश को क्या आपत्ति हो सकती है । मैं समझता हूं यह तुलना ठीक नहीं । एक मंत्री और एक न्यायाधीश दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है । हो सकता है किसी राज्य के मंत्रियों ने जनता को अपने पक्ष में जीतने के लिये यह काम किया हो । इसका यह मतलब नहीं निकलता कि ३५० रुपये पर्याप्त हैं । यह एक राजनीतिक चाल हो सकती है । दूसरे मंत्रियों को अनेक प्रकार के यात्रा भत्ते वगैरह मिलते रहते हैं । इसलिये दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती ।

उन्होंने एक तर्क यह भी दिया है कि अन्य देशों में अगर न्यायाधीशों को अधिक वेतन मिलता है तो वहां की प्रति व्यक्ति आय भी अपेक्षतया भारत से कहीं अधिक है । इसलिये भारत की आर्थिक स्थिति को देखते हुये भी न्यायाधीशों को मिलने वाले वेतन को पर्याप्त कहा जा सकता है । मैं समझता हूं यह तुलना भी ठीक नहीं । यहां पर सरकार द्वारा आवास, चिकित्सा, यातायात या शिक्षा सम्बन्धी कोई सुविधायें नहीं दी जातीं । फिर यहां पर संयुक्त परिवार व्यवस्था है । एक व्यक्ति को इन सब वस्तुओं का भार वहन करने के लिये जो व्यय करना पड़ता है उस को देखते हुये हम इस वेतन को कदापि ज्यादा नहीं कह सकते ।

इसके बाद मेरे पूर्व वक्ता ने भाग 'ख' राज्यों के उच्च न्यायालयों में काम करने वाले न्यायाधीशों का प्रश्न उठाया है इस विषय में मैं उनसे सहमत हूं कि वर्तमान विधेयक में उनके साथ न्याय नहीं किया गया है । जहां तक उनकी वरिष्ठता का प्रश्न है उनकी पुनर्गठित न्यायालयों में नियुक्ति को नई नियुक्ति नहीं माना जाना चाहिये । उनकी पहले की सेवा भी गिनीजानी चाहिये और उसके आधार पर ही उनकी वरिष्ठता या कनिष्ठता का निश्चय किया जाना चाहिये । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इन के प्रति पूर्ण न्याय करने की कृपा करेंगे और इस प्रश्न पर सहानुभूति पूर्व विचार करेंगे ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि बिल बहुत सीधा सादा है और इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है ।

आज सभी आदमी और सभी माननीय सदस्य यह मानते हैं कि हाई कोर्टस (उच्च न्यायालयों) में काम काफ़ी बढ़ गया है और इसलिये और अधिक जजेज़ के लगाने की ज़रूरत होती है और जब उनको लगाने की आवश्यकता है तो उनकी जो सर्विस है, वह क्यों न गिनी जाय और जिस तरह से हेडा साहब ने कहा कि बी० क्लास स्टेटस के जो जजेज़ (न्यायाधीश) थे, उनकी भी नौकरी या उनका जो पीरियड है वह गिनती न किया जाय, मैं तो ऐसा न करने के लिये कोई कारण नहीं देखता ।

जहां तक इस बिल का वास्ता है वह बड़ा सादा और साफ़ है लेकिन कई एक बातें इसमें कही गईं या पिछले विधेयक के सम्बन्ध में कही गईं । मैं समझता हूं कि उसके अन्दर बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जिन पर कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब्रज राज सिंह ने ज़िक्र किया और गोकि उन्होंने उस जज का नाम नहीं लिया लेकिन जिस जज की तरफ़ वह इशारा करना चाहते थे उसको मैं समझ गया। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जो एपायन्टमेंट हुई है वह भी वही हुई है जोकि एन्थनी साहब का संशोधन था......

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद -बिहार) : आप इस विधेयक पर बोल रहें हैं या पहले पर ?

†**चौ० रणवीर सिंह** : मैं इसी विधेयक पर बोल रहा हूं और मुझे किसी भी संगत उपबन्ध का निर्देश करने का पूर्ण अधिकार है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने उस वक्त बतलाने की कोशिश की थी कि वह एक ऐसी बात कही गई जोकि ठीक बात नहीं थी और मैं समझता हूं कि मैं उस बात का यहां पर ज़िक्र कर दूं कि जो उनका रेफ़्रेंस था वह सही नहीं है क्योंकि अगर किसी जज को लगाया भी था या लगाया गया होगा तो वह ग़ालिबन उस चीज़ के लिये लगाया गया जिसको कि उनका संशोधन भी मानता था यानी ऐसी जगह पर जहां कि एक जुडिशिएल (न्यायिक) या सैमी जुडिशिएल (अर्ध न्यायिक) एपायन्टमेंट हो, वह किया जा सकता है। अब जहां तक गवर्नमेंट में या किसी दूसरी जगह उनको लगाने पर पाबन्दी रखने का सवाल है, मैं समझता हूं कि बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जो कि इस बात से सहमत होंगे कि इस तरह की उन पर पाबन्दी लगाना ग़लत होगा।

आज केरल एक स्टेट (राज्य) है उसके अन्दर आमतौर पर कुछ ऐसा देखा गया कि वहां पर जो पार्टी पोज़ीशन है उसमें केवल एक आध का ही फ़र्क रहता है और अगर वहां केरल के अन्दर किसी जज को गवर्नर लगाया जाय तो मैं समझता हूं कि जो वज़ारत के मुख़ालिफ होंगे वे भी यह मानेंगे कि यह सही है। अब अगर हमको ऐसी जगह पर कहीं किसी जज को लगाने की ज़रूरत महसूस हो या कुछ ऐसी वजूहात हो सकती है जिनकी कि वजह से जज को लगाया जाना ज़रूरी हो तो फिर उसके ऊपर यह पाबन्दी क्यों लगाई जाय ? इस तरीक़े से ख़ुद उन्होंने माना और नाथ पाई साहब ने इसको माना कि छागला साहब का वहां पर लगाना बहुत सही बात है लेकिन फिर भी वह चाहते हैं कि इस क़िस्म की पावन्दी ज़रूर लगा दी जाय। अब अगर ऐसे मौकों पर लगाना सही है तो पाबन्दी लगाने से उनकी क्या मंशा है ? मैं समझता हूं कि जहां तक मुमकिन हो सरकार यह कोशिश करे कि जजों को जुडिशियल और सैमी जुडिशिएल जगहों के अलावा अन्य जगहों पर रिटायर (सेवा निवृत्ति) होने के बाद न लगाया जाय, लेकिन मेरी समझ में पाबन्दी लगाना सही बात नहीं है।

मेरे कई दोस्तों का यह ख़याल है कि तनख्वाह के साथ एक व्यक्ति के काम करने की शक्ति के ऊपर असर पड़ता है या उसकी इंटैग्रिटी (सत्यनिष्ठा) पर असर पड़ता है। यह बात ठीक नहीं है। यह बात तो बिल्कुल साफ़ है कि हम को जज लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि देश की कैसी हालत है, देश के बदले हुये हालात को मद्देनज़र रखते हुये जजेज़ को लगाने में देश का भला होगा। इस बारे में मैं किसी जज के ऊपर या किसी अदालत के बारे में कोई ख़ास ज़िक्र नहीं करना चाहता और न ही मेरी मंशा कोई डाउट करने की है। लेकिन मैं इस सदन् को याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर जब संविधान बना और जब विधान की उन धाराओं

---

†मूल अंग्रेजी में

पर जो कि अदालतों, हाई कोर्ट्स (उच्च न्यायालयों) और सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम-न्यायालय) से सम्बन्धित थीं, विचार चल रहा था तो उस समय उनके बारे में जो रायज़नी की गई वह बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ़ थी। एक तरफ़ तो हमारे ला मिनिस्टर साहब थे और दूसरे जो बड़े-बड़े क़ानूनी विशेषज्ञ वहां पर थे, उन्होंने राय दे कर कुछ क़ानून बनवाये। मेरा मतलब लैंड रिफ़ार्म्स क़ानून से है। हमने देखा कि इस लैंड रिफ़ार्म्स के क़ानून को एफ़ैक्टिव बनाने के लिये उनको इस को कांस्टीट्यूशन (संविधान) का हिस्सा बनाना पड़ा। यह ठीक है कि वह लोग बहुत बड़े वक़ील हैं और अदालतों में पैरवी करके कई-कई हज़ार रुपया कमाते हैं और वे शायद क़ानून के विशेषज्ञ भी हैं, यह बात ठीक है लेकिन यहां पर तो सवाल सिर्फ़ इतना है कि वे क़ानूनी विशेषज्ञ अपनी योग्यता का इस्तेमाल देश के बनाने के लिये इस्तेमाल करना चाहते हैं या देश की तरक्क़ी की राह में कुछ रोक लगाने के लिये इस्तेमाल करना चाहते हैं?

मैं हेडा साहब से कुछ थोड़ा सा तो मुत्तफ़िक हो सकता हूं कि शायद एक चीफ़ मिनिस्टर और एक जज में फ़र्क है लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हम अपने देश के राष्ट्रपति को जब वह रिटायर हो तो उसको १८ हज़ार देते हैं लेकिन हम एक जज को रिटायर होने पर राष्ट्रपति से भी ज्यादा देना चाहते हैं और ऐसा करना कहां तक उचित होगा? हमको अपने देश की जैसी उसकी वर्तमान हालत और आर्थिक दशा है उसके अनुसार हमें उनकी पेंशन निश्चित करनी होंगी और यह बात भी याद रहनी चाहिये कि आज पबलिक सैक्टर (सरकारी क्षेत्र) के ज़माने में कोई बहुत बढ़ी-चढ़ी रक़म रखना अनुचित होगा।

अब आखिर सदन के मेम्बर्स जिनको कि केवल ४०० रुपये तनख्वाह मिलती है और जिनको कि रिटायर होने के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी आखिर वे भी तो इस देश के अन्दर रह कर गुज़र करेंगे और कोई गुज़र का अपने लिये रास्ता निकालेंगे। मेरी तो समझ में यह नहीं आया कि कोई एक खास तनख्वाह या एक खास पेंशन की व्यवस्था करने से किसी आदमी की एफ़िशिएंशी (दक्षता) या उसकी इंटैग्रिटी में कोई खास फ़र्क पड़ता है।

बात सच यह है कि इस में लाखों रुपये की बात आती है। कई दफ़ा आदमी करोड़ों की बात सोचता है और कितने ही आदमी इस देश के अन्दर ऐसे हैं जोकि दस साल के अन्दर करोड़पति बन गये हैं। अब यह तो जाहिर है कि कोई जज करोड़पति नहीं बन सकता और क्या वह उस करोड़-पति का मुक़ाबला कर सकेगा अगर हम उसको लाखों भी दे दें? क्या उस हालत में उसकी इंटैग्रिटी में और ईमानदारी में कोई फ़र्क आयेगा? हमको मानना होगा कि रुपये के साथ ईमानदारी नहीं चलती है। ईमानदारी, ईमानदारी की जगह है चाहे आप तनख्वाह कम दीजिये या फ़ालतू दीजिये, भत्ता कम दीजिये या ज्यादा दीजिये, पेंशन कम दीजिये या ज्यादा दीजिये ईमानदारी की माप इन चीज़ों के साथ नहीं चल सकती। ईमानदारी की माप तो उसके अपने दिल से और आत्मा से होती है। वह तो एक आत्मा की चीज़ है और वह आत्मा के विश्वास से चलती है या देश के हालात से चलती है। इसलिये मैं समझता हूं कि यहां पर इस वर्तमान बिल के सम्बन्ध में और पिछले विधेयक के सम्बन्ध में जो जजेज की तनख्वाहों, भत्तों और पेंशन की रक़मों को अधिक करने का सुझाव दिया गया है, वह सही नहीं है और आज इस देश की जैसी आर्थिक अवस्था है उसमें अगर इनको बढ़ाने के बजाय कुछ घटाने की बात की जाय, तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा माक़ूल और सही होगी।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : श्रीमान् मैं इस विधेयक का स्वागत करता हुँ। जहां तक राज्य पुनर्गठन से पहले के भाग 'ख' राज्यों के उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों का संबंध है मैं समझता हूँ पहले उनके वेतन आदि में बहुत अन्तर था। अब इस विधेयक के पश्चात् यह सब अन्तर दूर हो जायेगा। मैं विधेयक के इस खंड को यहां तक बहुत ठीक समझता हूँ।

जहां तक मंत्रियों के वेतनों तथा न्यायाधीशों के वेतनों का प्रश्न है मैं भी यही समझता हूं कि इस प्रकार की तुलना करना सर्वथा गलत है। मुझे विश्वस्त रूप से पता चला है कि जिस राज्य में आज मंत्री ३५० रुपये का वेतन ले रहे हैं उनको अन्य कई सुविधाएं व भत्ते मिल रहे हैं जिन सब को मिलाकर वहां के वर्तमान मंत्रियों को पहले दलों के मंत्रियों से भी ज्यादा राशि मिलती है।

मैं समझता हूं वर्तमान वेतन को पर्याप्त वेतन नहीं कहा जा सकता है और यदि हम यह चाहते हैं कि विधि व्यवसाय में से अच्छे अच्छे व्यक्ति न्यायपालिका में आयें तब हमें उनकी सेवायें प्राप्त करने के लिये अवश्य ऊँचे वेतन देने चाहियें।

मेरे मित्र ने अदालतों में देरी का जिक्र किया है। केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ जाने से ही मामलों का निपटारा जल्दी से नहीं किया जा सकता। इसके लिये दक्ष एवं कुशल न्यायाधीश चाहियें। यह तभी हो सकता है जब योग्य व्यक्ति इस ओर बढ़ें। आज एक न्यायाधीश की आय एक अच्छे वकील की आय की चौथाई है। ऐसी दशा में अच्छे व्यक्ति इस ओर कैसे आगे आ सकते हैं? फिर हमें केवल वेतन का ही प्रश्न नहीं देखना है। हमें उनके बुढ़ापे के लिये उचित निवृत्ति वेतन भी देना चाहिये। इसलिये हमें उनकी सेवा की शर्तों में पर्याप्त सुधार करने की जरूरत है।

†**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : मेरे मित्र श्री हेडा द्वारा पूर्ववर्ती भाग 'ख' राज्यों के न्यायाधीशों के बारे में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या आप उनकी पुनःनियुक्ति के बाद उनकी पुरानी सेवा को अनन्तर सेवा मानेंगे या नये सिरे से प्रारम्भ हुई सेवा? वरिष्ठता तथा निवृत्ति वेतन दोनों दृष्टियों से यह प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि इनकी सेवा को अनन्तर सेवा माना जाना चाहिये। किन्तु मैं उनसे इस बात पर सहमत नहीं हूं। क्योंकि भाग 'ख' राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्तर भाग 'क' राज्यों के 'जिला न्यायाधीशों' के बराबर था और उनका वेतन अधिकतम २००० रुपये तक जा सकता था। किन्तु जब पुनर्गठन के पश्चात् उन्हें उच्चन्यायालयों में नियुक्त किया गया है तब उनकी सेवा को पदोन्नति मानना चाहिये। तथा उनकी भाग 'ख' राज्यों के न्यायालयों की सेवा को अनन्तर नहीं मानना चाहिये। अधिक से अधिक हम उनकी आधी सेवावधि को उच्चन्यायालय की सेवा मान सकते हैं और आधी को 'जिला न्यायाधीश' के समतुल्य। मैं समझता हूं इस उपखंड से जो अनियमितता पैदा हो गई है उसको इस प्रकार दूर किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मैं समझता हूं मेरे पूर्व प्रवक्ता ने जो भाग 'ख' राज्यों के न्यायाधीशों का सादृश्य उपस्थित किया है वह बड़ा अन्यायपूर्ण और अनियमित है।

मैं समझता हूं हमें वरिष्ठता के प्रश्न को निवृत्ति वेतन और छुट्टी के प्रश्नों के साथ नहीं मिलाना चाहिये। मैं समझता हूं वरिष्ठता के प्रश्न के बारे में इन न्यायाधीशों के साथ पूरा न्याय नहीं किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब उन न्यायाधीशों को भाग 'क' राज्यों के उच्चन्यायालयों के योग्य पाया गया है तब उनकी नियुक्ति को कैसे पदोन्नति समझा जाये? उनको अनायास ही इन पदों पर नहीं नियुक्त कर दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति से पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने पूरी छानबीन की थी। इस प्रकार जब उनकी योग्यता के आधार पर उनको नियुक्त किया गया है तब उनको अब यह कहना कि आपकी पुरानी सेवा को नहीं गिना जायेगा उनके प्रति सरासर अन्याय करना है। मैं समझता हूं मंत्री महोदय इस विषय में उचित आश्वासन देने की कृपा करेंगे।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें। अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, २७ सितम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २५ सितम्बर, १९५८]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		. ४०९३—४११४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५८४	गोआ जेल में श्रीमती जोशी	४०९३–९४
१५८५	कपड़े की कीमतें .	४०९४—९६
१५८६	प्रशासन का विकेन्द्रीकरण	४०९६—९८
१५८७	लंका में भारतीय राष्ट्रजन .	४०९८
१६३३	लंका से स्वदेश वापिस आने वाले भारतीय	. ४०९८—४१०१
१५८८	नागा विद्रोही .	४१०१–०२
१५८९	उद्योगों के लिए कच्चा सामान .	४१०२—०५
१५९०	सूती वस्त्र उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	४१०५—०७
१५९२	अलौह धातुएं	४१०७–०८
१५९३	दावों का सत्यापन .	४१०८–०९
१५९४	शरणार्थी पुनर्वास सम्मेलन	४१०९–१०
१५९५	इलायची बोर्ड . .	४११०—१२
१५९६	कच्ची फिल्में बनाने वाली फैक्टरी	४११२–१३
१५९८	टायर बनाने वाली कम्पनियां	४११३–१४
१६००	बापू पार्क में जल संभरण	४११४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१५	बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा नौका सेवा बन्द किया जाना . .	४११५–१६
१६	झरिया में निवास स्थानों का खाली करवाया जाना	४११६—१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४११८—९०
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५९१	सीमेंट का उत्पादन	४११८
१५९७	मोटर टायरों का आयात	४११८–१९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१५९९	पुनर्वास के लिये भूमि	४११९
१६०१	फरीदाबाद का कस्बा	४११९–२०
१६०२	तिहाड़ बस्ती में विस्थापित व्यक्ति	४१२०
१६०३	वस्त्र के निर्यात में कमी	४१२०
१६०४	जंगपुरा का पुल	४१२१
१६०५	अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों का संभरण	४१२१
१६०६	मध्य प्रदेश में कागज की मिलें	४१२१–२२
१६०६-क	लौह-अयस्क का निर्यात	४१२२
१६०७	राजस्थान में खादी बुनकर	४१२२–२३
१६०८	कच्ची फिल्मों का आवंटन	४१२३
१६०९	हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता	४१२३–२४
१६१०	चाय बागान के श्रमिक	४१२४
१६११	लुधियाना (पंजाब) में बाईसिकल के कारखाने	४१२५
१६१२	तम्बाकू का आयात	४१२५–२६
१६१३	फिल्म विभाग	४१२६
१६१४	एक्स-रे फिल्मों की कमी	४१२६
१६१५	"भारत—१९५८" प्रदर्शनी	४१२७
१६१६	केरल राज्य का उद्योगीकरण	४१२७
१६१७	मूर्तियों की स्थापना	४१२८
१६१७-क	ग्लाइडरों का निर्माण	४१२८
१६१८	आसाम की चाय बागानों का बन्द किया जाना	४१२८–२९
१६१९	हथकरघा उद्योग	४१२९
१६२०	धूमक पदार्थों का आयात	४१२९
१६२१	सीताराम माइका माइनिंग कम्पनी के कर्मचारियों की हड़ताल	४१३०
१६२२	जेनेवा अणु सम्मेलन	४१३०
१६२३	शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल लिमिटेड	४१३०–३१
१६२४	नयी दिल्ली का खादी ग्रामोद्योग भवन	४१३१
१६२५	केरल की तिरूवान्नूर काटन मिल	४१३१–३२
१६२६	परिवहन गत्यावरोध	४१३२
१६२७	कच्ची फिल्मों का कारखाना	४१३२–३३

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
तारांकित प्रश्न संख्या	
१६२८ नागा विद्रोही .	४१३३
१६२९ अलौह धातुएं . .	४१३३–३४
१६३० नांगल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	४१३४
१६३१ मद्यसार का निर्यात	४१३४
१६३२ सीमेंट . .	४१३५
१६३४ विदेशों में चाय का प्रचार	४१३५
१६३५ टीन की प्लेटों की आवश्यकता .	४१३५–३६
१६३६ कानपुर की कपड़ा मिलों का वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण	४१३६
१६३६-क भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	४१३६
१६३७ श्रमिक समितियां . . .	४१३७
१६३७-क भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	४१३७
१६३८ केन्द्रीय सूचना सेवा	४१३७–३८
१६३९ सीमेंट उद्योग	४१३८
१६४० मध्य क्षेत्रीय परिषद् .	४१३८
१६४१ दिल्ली में भूमि का अर्जन	४१३८–३९
१६४२ दरभंगा में औद्योगिक बस्ती	४१३९
१६४३ छावनी बोर्डों के कर्मचारी	४१३९
अतारांकित प्रश्न संख्या	
२७४२ लोक नृत्य .	४१३९
२७४३ हथकरघा उद्योग .	४१४०
२७४४ स्थानीय विकास कार्य . .	४१४०
२७४५ दिल्ली दूकान तथा संस्थापन अधिनियम	४१४०
२७४६ दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां .	४१४०–४१
२७४७ आकाशवाणी . .	४१४१
२७४८ आंध्र में लघु उद्योगों के लिये इस्पात	४१४१
२७४९ शराब के लाइसेंस	४१४२
२७५० पशु पालन कार्यक्रम .	४१४२
२७५२ मनीपुर में आरे और होज़री के कारखाने	४१४२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२७५३	डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड .	४१४३
२७५४	विदेशी व्यापार मिशन	४१४३
२७५५	उद्योगों का विकास . .	४१४३
२७५६	पंजाब में समवाय अधिनियम का उल्लंघन करने वाले समवाय	४१४३–४४
२७५७	रासायनिक उद्योग	४१४४
२७५८	पंजाब में नये उद्योग	४१४४
२७५९	भारत का मजूरी नक्शा	४१४४–४५
२७६०	फ्रेंच टोगोलैंड	४१४५
२७६१	हस्तिनापुर बस्ती . . .	४१४५
२७६२	भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन . .	४१४५–४६
२७६३	आणविक ईंधन तैयार करने वाला संयंत्र .	४१४६
२७६४	आस्ट्रेलिया में भारतीय राष्ट्रजन . .	४१४६
२७६५	दर्शन उपकरणों का आयात	४१४६–४७
२७६६	ईंटों के भाव . . .	४१४७
२७६७	अलौह धातुएं . . .	४१४७
२७६८	चीनी और गुड़ का उत्पादन . . .	४१४७
२७६९	त्रिपुरा की औद्योगिक उत्पादन यूनिट .	४१४८
२७७०	दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम . .	४१४८
२७७१	विस्थापित व्यक्तियों के लिये अस्पताल	४१४८–४९
२७७२	छोटे पैमाने के उद्योग	४१४९
२७७३	मोटरों के टायर .	४१४९–५०
२७७४	आसाम में विस्थापित व्यक्ति .	४१५०
२७७५	लौह-अयस्क का निर्यात .	४१५०
२७७६	गोआ . .	४१५०–५१
२७७७	जन-सहयोग केन्द्र .	४१५१
२७७९	काम दिलाऊ दफ्तर .	४१५१
२७८०	विस्थापित व्यक्तियों को ऋण .	५१५२
२७८१	जिरकोन . .	४१५२
२७८२	मैंगनीज अयस्क का निर्यात	४१५२–५३
२७८३	पीयान नदी में भारतीय मछुए	४१५३

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

२७८४	भूमि सुधार	४१५३
२७८५	जेटा और सुपर जेटा	४१५३–५४
२७८६	बेरिलियम आक्साइड . . .	४१५४
२७८७	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	४१५४
२७८८	भारत-गोआ सीमा पर घटनाएं .	४१५४–५५
२७८९	हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात	४१५५
२७९०	नारियल जटा जांच समिति	४१५५
२७९१	अशोक होटल . .	४१५६
२७९२	समाचार-पत्रों के 'फ्री लांस' फोटोग्राफर	४१५६
२७९३	बंगलौर की आबादी .	४१५६–५७
२७९४	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग .	४१५७
२७९५	श्रम और रोजगार मंत्रालय में कर्मचारी	४१५७
२७९६	योजना आयोग के कर्मचारी .	४१५७–५८
२७९७	पुनर्वास मंत्रालय के कर्मचारी .	४१५८
२७९८	औषधियां तैयार करने के लिये कच्चे पदार्थ	४१५९
२७९९	पंजाब में प्रचण्ड विस्फोटक पदार्थ कारखाना	४१५९
२८००	दण्डकारण्य योजना	४१५९
२८०१	बिना बारी आवंटन	४१६०
२८०२	मदिरा निर्माण	४१६०
२८०३	नेपाल में पुस्तकालय .	४१६०
२८०४	खाद्यान्न का निर्यात . .	४१६०–६१
२८०५	विस्थापित व्यक्तियों की जमीनें	४१६१
२८०६	अमान्य घोषित किये गये व्यक्ति	४१६१–६२
२८०७	समाचार-पत्र .	४१६२–६३
२८०८	माघेपुर (बिहार) में खाद्य उत्पादन फैक्टरी	४१६३
२८०९	लखीमपुर की सीमावर्ती घटनाएं .	४१५३
२८१०	त्रिपुरा में प्रशिक्षण केन्द्र	४१६४
२८११	अगरताला (त्रिपुरा) में औद्योगिक बस्ती	४१६४
२८१२	दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का विभाजन .	४१६५
२८१३	तिलहन का सट्टा . .	४१६५

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२८१४	ग्राम पुनर्निर्माण पर चलचित्र	४१६६
२८१५	दिल्ली में भूमिदारी अधिकार	४१६६
२८१६	गीता कालोनी . .	४१६६–६७
२८१७	समुद्री पानी से यूरेनियम निकालना	४१६७
२८१८	मिण्टो रोड पर रहने के क्वार्टर . .	४१६७–६८
२८१९	कृषि भवन के समीप भवन का गिराया जाना	४१६८
२८२०	कृषि भवन के समीप भवन का गिराया जाना	४१६८
२८२१	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	४१६८–६९
२८२२	केरल में औद्योगिक विस्तार केन्द्र	४१६९
२८२३	भारतीय सिलाई मशीनों का निर्यात	४१७०
२८२४	उड़ीसा में गृह-निर्माण . .	४१७०
२८२५	दिल्ली की बस्तियों का नाम बदलना	४१७०
२८२६	निष्क्राम्य घरों में रहने वाले हरिजन	४१७१
२८२७	आकाशवाणी के कर्मचारी	४५७१
२८२८	भारतनगर में शरणार्थी बस्ती .	४१७१–७२
२८२९	संभरण और निपटान महानिदेशालय	४१७२–७३
२८३०	टिटेनियम डाइ-आक्साइड .	४१७३–७४
२८३१	पोलैंड के साथ ऋण सुविधा संबंधी करार	४१७४
२८३२	चाय .	४१७४
२८३३	राज्य योजनायें .	४१७५
२८३४	चाय बागान के लिये वित्त . .	४१७५
२८३५	अशोक होटल के निकट झोंपड़ियों का गिराया जाना	४१७५–७६
२८३६	भारतीय फिल्मों का निर्यात . .	४१७६
२८३७	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	४१७६
२८३८	ईरान को चाय का निर्यात	४१७६–७७
२८३९	निष्क्राम्य इमारतों का नीलाम	४१७७
२८४०	सरकारी इमारतें . . .	४१७७
२८४१	निष्क्रांत हित (पृथक्काय) अधिनियम, १९५१	४१७७
२८४२	सस्ते मकानों की निर्माण संबंधी योजना	४१७८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२८४३	आकाशवाणी . .	४१७८
२८४४	पीतल का सामान बनाने का उद्योग .	४१८७–७९
२८४५	खान मुख्य निरीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट	४१७९–८०
२८४६	इंगलैंड स्थित भारतीय उच्चायोग में कर्मचारी . .	४१८०
२८४७	विदेशों में भारतीय मिशनों के मुखियाओं द्वारा भारत को भेजी गयी राशियां . . .	४१८१
२८४८	विदेशी सेवा निरीक्षक .	४१८१
२८४९	विदेश सेवा भत्ता . .	४१८१
२८५०	खानों में काम करने वाले सरदार आदि .	४१८१–८२
२८५१	खानों का बन्द हो जाना	४१८२
२८५२	मद्रास में साइकल के कारखानें .	४१८२–८३
२८५३	एक्स-रे की फिल्में . .	४१८३
२८५४	भारतीय चल-चित्रों के गाने . . .	४१८३–८४
२८५६	जालन्धर के प्रादेशिक निबटारा आयुक्त के कार्यालय में मूल्य निर्धारक तथा चपरासी . . .	४१८४
२८५७	उपभोक्ता वस्तुओं के लिये आयात लाइसेंस	४१८४–८५
२८५८	दवाओं के निर्माण के लिये लाइसेंस .	४१८५
२८५९	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	४१८५–८६
२८६०	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	४१८६
२८६१	निर्यात के कोटे	४१८६
२८६२	कास्टिक सोडे का संभरण	४१८६–८७
२८६३	मैंगनीज अयस्क का निर्यात . .	४१८७
२८६४	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	४१८८
२८६५	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	४१८८
२८६६	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	४१८८–८९
२८६७	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	४१८९
२८६८	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	४१८९
२८६९	लौह-अयस्क का निर्यात .	४१९०
२८६९–क	शस्त्रास्त्र और गोला बारूद का आयात	४१९०

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४१६०–६१
निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—	
(१) १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक की अवधि के लिये प्रशासनिक सजगता विभाग के प्रतिवेदन की एक प्रति ।	
(२) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत रबड़ नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७९७ की एक प्रति ।	
(३) नारियल-जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति:	
(एक) वर्ष १९५७–५८ के लिये नारियल-जटा बोर्ड के कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन ।	
(दो) ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाली छमाही में नारियल-जटा बोर्ड के कार्य का प्रतिवेदन ।	
सदस्य की गिरफ्तारी	४१६१
अध्यक्ष ने लोक-सभा को सूचित किया कि उन्हें पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट से दिनांक २४ सितम्बर, १९५८ का तार मिला है, कि श्री मोहन स्वरूप को सिटी मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध खाद्य आंदोलन के जलूस का नेतृत्व करते हुये भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४३ के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया है।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	४१६१
अट्ठाइसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन––उपस्थापित .	४१६१
छब्बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन––उपस्थापित .	४१६२
नवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	४१६२
श्री सोनावने ने शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड के बन्द हो जाने से देश में वस्त्र के उत्पादन में होने वाली कमी की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाया ।	
वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) ने उस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।	

विषय पृष्ठ

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ४१९३–९४

(एक) प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) ने भारत इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा-परीक्षित लेखे के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(दो) पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) ने दिल्ली में निष्क्रांत सम्पत्ति के बारे में श्री राधा रमण और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७६४ के उत्तर में १ सितम्बर, १९५८ को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।

विधेयक—पुरस्थापित . ४१९४

विनियोग (संख्या ४) : विधेयक, १९५९।

विधेयक—पारित . . . ४१९४—४२२२

(एक) राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) ने विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५८ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार चर्चा के पश्चात् विधेयक को पारित किया गया।

(दो) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक, १९५८ पर विचार करने के प्रस्ताव तथा विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के संशोधन पर आगे चर्चा जारी रही। संशोधन अस्वीकृत हुआ और विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार चर्चा के पश्चात् विधेयक को पारित किया गया।

विधेयक—विचाराधीन . . . . . . ४२२२—३१

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १९५८ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शनिवार, २७ सितम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

उड़ीसा और बिहार तथा उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच सीमा संबंधी झगड़ों में निर्णय करने के लिये सीमा आयोग नियुक्त करने के बारेमें श्री महन्ती के संकल्प पर आगे चर्चा और अन्य गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा।